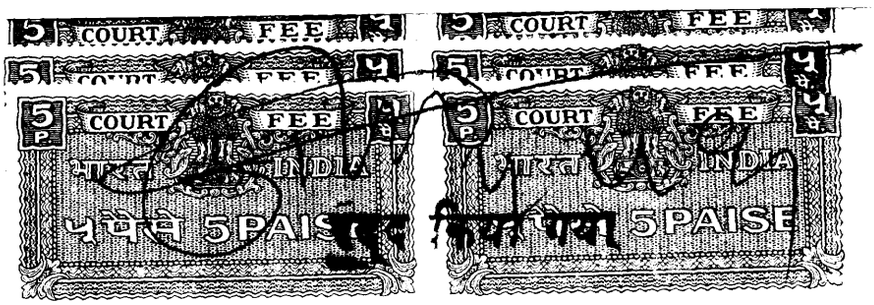

एन०सी०ए०नं०
10941/95

प्रतिलिपि एन एन परमेश्वर की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यु दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.

2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड़ नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड़ नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.

4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग

6. नथान शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- भिम्ही थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-38, एल०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

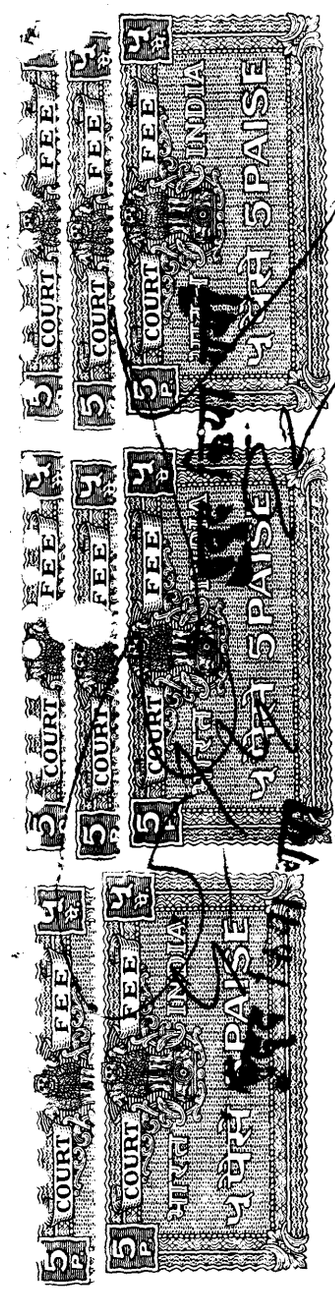

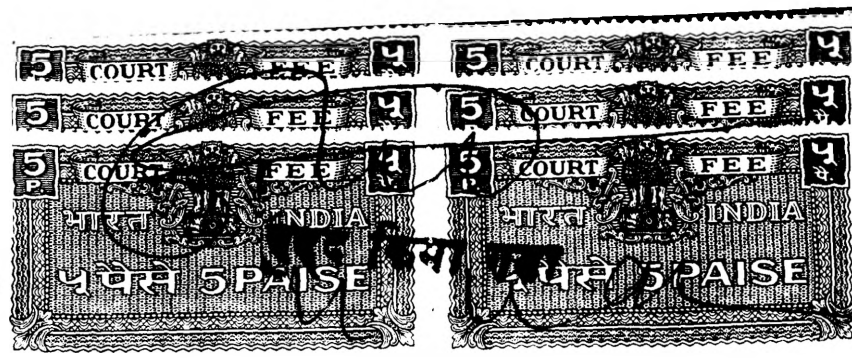

COURT FEE 5 PAISE भारत INDIA (court fee stamps)

GRPI-153-7Lakhs-8-92

Witness No. 8 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 27-10-94 day of .... Witness's apparent age 39 वर्ष

States on affirmation my name is एस0एस0परेश्वर

son of श्री एस0एस0परेश्वर occupation एस0आई0

address थाना-अर्जुनी, जिला-रायपुर.

शपथपूर्वक :-

1. दिनांक 6-2-91 से 3-1-92 तक मैं पुलिस चौकी उरला पर चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ था । हमारे थाना क्षेत्र में ।चौकी क्षेत्र में। कई फैक्टरियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी फैक्टरी सिम्पलेक्स कास्टिंग है । जो सरोरा में स्थित है । सिम्पलेक्स कास्टिंग की ओर से एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 17-4-91 को मुझे प्राप्त हुआ था, जो प्रदर्श पी-51 है । इस लिखित रिपोर्ट को मैंने जांच हेतु रणजीतसिंह, प्रधान आरक्षक पी51 नं0-86 को मार्क किया था । इस बाबत इस रिपोर्ट पर मेरा इन्डोर्समेंट बिंदु अ पर है ।

2. प्रधान आरक्षक जांच पर से लौटकर बताया कि रिपोर्ट पर हड़ताली मजदूरों ने एवं सिम्पलेक्स वालों ने बातचीत से मना कर दिया है । इसके बाद मैं स्वयं जांच हेतु गया था । जांच हेतु मैं दिनांक 20-4-91 को गया था । यह रिपोर्ट प्रदर्श पी-51 डी0व्ही0सिंग, जनरल मैनेजर, सिम्पलेक्स कास्टिंग, उरला की ओर से है और इसमें मुख्य आरोप यह है कि उनकी फैक्टरी सिम्पलेक्स कास्टिंग लि0 में 18-12-90 से हड़ताल चल रही है । हड़ताली ~~छछछ~~ श्रमिक का नेतृत्व श्री शंकर गुहा नियोगी कर रहे हैं और हड़ताली श्रमिक अपने नेता नियोगी के भड़काने पर इच्छुक श्रमिकों को व स्टॉफ मेम्बरों को गाली-गलौच करते हैं और बलपूर्वक काम पर जाने से रोकते हैं ।

3. मैंने इसकी जांच की । जांच करने पर, हड़ताल करने का, भड़कीले भाषण देने का और नारेबाजी का आरोप भी पाया । मारपीट करना और रोकना, गाली-गलौच होना मैंने जांच में नहीं पाया । थाने आकर मैंने जी0डी0नं0- 489 में इस जांच का इंद्राज किया । यह इंद्राज दिनांक 20-4-91 को किया । इसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-52 है । असल रोजनामचा मेरे सामने है । साक्षी ने प्रदर्श पी-52 पर पी-52

अ0 न्या0 रायपुर
अपर सत्र न्यायाधीश

COURT FEE 5 (court fee stamps)

साक्षी ... दुर्ग (म.प्र.)

साक्षी ने न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर किये । प्रदर्श पी-5। एवं 52 सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे दिनांक 7-1-92 को सीजर मेमो प्रदर्श पी-53 के व्दारा जप्त किया था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।यह हस्ताक्षर अ से अ भागपर हैं । पी-5

4. शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये पुलिस गार्ड सिम्पलेक्स कास्टिंग सरोरा, उरला में गेट के पास पोस्ट की गई थी । मेरे चौकी में पदस्थ होने के पहले से यह पोस्टिंग की गई थी । सिम्पलेक्स कास्टिंग के मैनेजर के रिक्वेजीशन पर यह पोस्टिंग की गई थी ।

5. मेरे चौकी के अधिकार क्षेत्र में सिम्पलेक्स कास्टिंग के अलावा जो अन्य फैक्टरियां हैं वहां पर गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई थी । नियोगी उनके श्रमिकों के साथ सिम्पलेक्स कास्टिंग, उरला के गेट के सामने ही हड़ताल कर रहे थे और किसी फैक्टरी के सामने हड़ताल नहीं कर रहे थे । ये हड़ताली नियोगी के गुट के थे ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधिवक्ता वास्ते अभि0 मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.

6. बी0ई0सी0 मेरे चौकी के क्षेत्र में है । मेरे अवधि में बी0ई0सी0 में हड़ताल नहीं हुई । लिखित रिपोर्ट का तात्पर्य यह था कि फैक्टरी के सामनेसेहड़तालियों के पांडाल को हटवा दिया जावे । ऐसी बात नहीं थी कि पांडालकेहड़तालियों व्दारा काम करने वालों को फैक्टरी में जाने से रोका जा रहा था । दिनांक 11-4-91 का रोजनामचा मेरे सामने है तथा प्रदर्श जिसके अनुसार सिम्पलेक्स गेट के सामने एडीशनल एस0पी0देहात, सी0एस0पी0माना तथा देहात के थाना प्रभारी ।आसपास देहात के थाना प्रभारी। भी वहां आ गयेथे । मर्ग की जांच करते हुये मैं भी वहां पर पहुंच गया शांति भंग न हो इसलिये इतने अफसर वहां पर आ गये थे ।

7. हड़ताली मजदूर फैक्टरी में काम करने जाने वाले मजदूरों को छीटाकशी करते थे, थू-थू करते थे और नारेबाजी करते थे । नारेबाजी में कहते थे कि तुम लोग कुत्ते हो, हरामजादे हो, भंगी हो । सिम्पलेक्स कास्टिंग में मेरे चौकी में पदस्थ होने के पहले से गार्ड लगी हुई थी । मैंने जब चार्ज लिया तब फैक्टरी के सामने एक हेड-कांस्टेबल और दो सिपाही की ड्यूटी थी । 11 तारीख की घटना के बाद भी गार्ड नहीं बढ़ाई गई । साक्षी स्वत: कहता है कि 11 तारीख को कोई घटना नहीं हुई ।

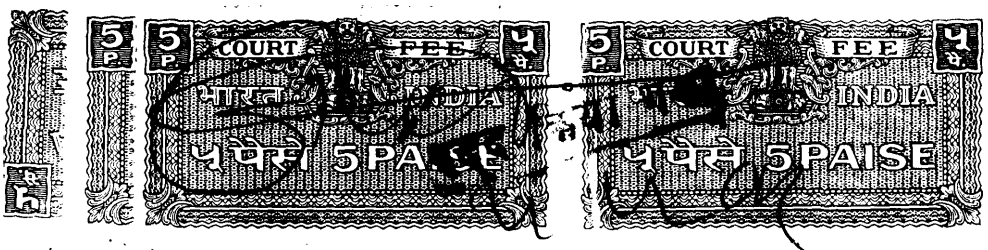

बाद में गार्ड की संख्या नहीं बढ़ाई गई ।

8. प्रदर्श पी-52 में यह लिखा है कि केडिया डिस्टलरी, कुम्हारी में घटित घटना के संबंध में जन आक्रोश व्याप्त है। केडिया डिस्टलरी के घटना के संबंध में मुझे नहीं मालूम कि वहां हड़तालियों ने बहुत तोड़फोड़ की औरवहां में गोली भी चली थी । केडिया में जो घटना हुई है उसके कारण सिम्पलेक्समेंभी उसी प्रकार की घटना होने की संभावना है । हड़ताली कर्मचारी पांडाल में भड़की-ले भाषण दे रहे थे । इन भाषणों से दूसरे हड़ताली भड़क रहे थे ।

9. सिम्पलेक्स में तैनात गार्ड का इन हड़तालियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । प्रदर्श डी-1 में यह बात नहीं लिखी है कि सिम्पलेक्स के अलावा डी-1 और कहीं गार्ड नहीं लगाई गई थी । प्रदर्श डी-1 में यह बात नहीं लिखी है कि नियोगी सिम्पलेक्स के अलावा और कहीं हड़ताल नहीं कर रहा था । यह बात गलत है कि मैं ये दोनों बातें आज इसलिये कह रहा हूं, क्योंकि मुझे समझाया गया है कि अदालत में ऐसा कहना है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री धुरंधर, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

11. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री हासिम खान, अधि0 वास्ते अभियुक्त अभयसिंह

12. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, अवधेश राय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

13. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
J.K.Rajput	J.K.Rajput
। जे0के0एस0राजपूत ।	। जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0।	दुर्ग । म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि

8-3-95

11-3-95

4-4-95

8-3-95

on

5 Ap... ived 30-3-95
fro...
rece...
fo...
r

6

4-4-95

4-4-95

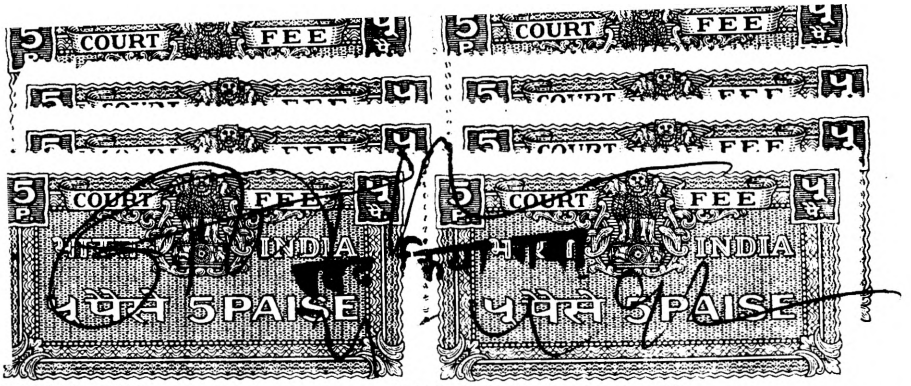

COURT FEE 5 पैसे 5 PAISE INDIA

80

एस०ओ०ए०ओ०ए०ओ०
1094/95

आतलाप --- निश्चाम प्रसाद कंवार की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-30, एल०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

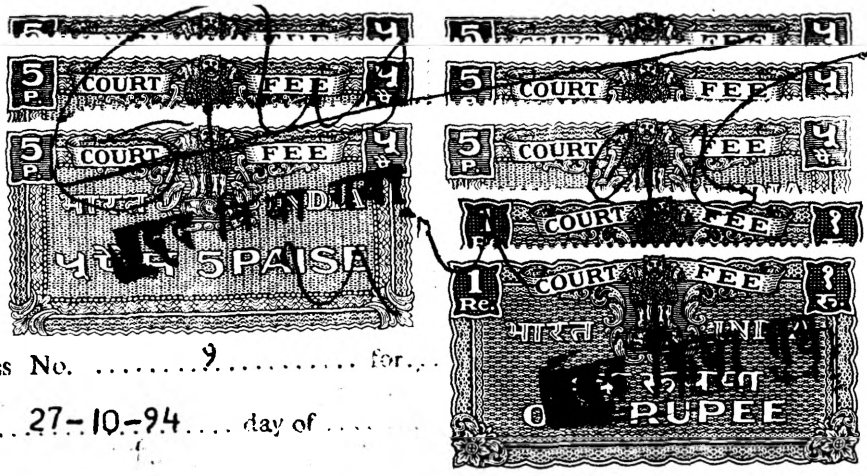

2-110

GPPI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II-157
C. J.

Witness No. ....9.......... for ....Deposition take

the ....27-10-94.... day of ....rent age ....41 वर्ष....

States on affirmation　　　　　　　　　　　　my name is ....प्रसाद बंजारे ....

son of ....श्री एम०एस० बंजारे................ occupation ..सहायक उप-निरीक्षक.

address........यातायात शाखा, भिलाई...........

शपथपूर्वक :-

1.　　　　मैं थाना जामुल में सितम्बर 90 से मई 93 तक बतौर ए०एस०आई० पोस्टेडरहा हूं । हमारे थानेकेप्रभारी श्री एस०एल० सलाम थे । मेरे साथ एस०आई० सुरेश सेन, ए०एस०आई० गजपाल वगैरह भी पदस्थ रहे हैं । छ०मु०मोर्चा के प्रमुख नेता मृतक शंकर गुहा नियोगी थे । छ०मु०मोर्चा के सभा, रैली, आंदोलन आदि के सिलसिले में शांति व्यवस्था के सिलसिले में मेरी भी ड्यूटी लगी थी ।

2.　　　　दिनांक 9-8-91 को मैं लॉ एंड आर्डर की ड्यूटी में केडिया डिस्टलरी गया था, वहां मैंने देखा कि 80 पुरूष व 30 महिला डिस्टलरी के गेट के सामने शासन व प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जिनमें रविन्द्र शुक्ला, सतेन्दर सिंह वगैरह शामिल थे और ये फिर रैली के रूप में सभी हड़ताली उत्तेजनापूर्ण नारे लगाते हुये सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग व कास्टिंग की ओर चले गये । केडिया डिस्टलरी का और सिम्पलेक्स कास्टिंग की दीवालें मिली हुई हैं और सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग वहां से करीब 100 फीट की दूरी पर है रोड के दूसरी तरफ ।

3.　　　　थाने लौटकर आकर मैंने इस बात का इंद्राज जी०डी०नं०- 509, दिनांक 9-8-91 को किया । असल रोजनामचा मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-12 है ।

4.　　　　दिनांक 13-8-91 को सुबह करीब ~~80~~.00 बजे 8.00 बजे मैं केडिया डिस्टलरी ड्यूटी पर गया था । वहां जाकर मैंने देखा कि 35 महिला और 40 पुरूष श्रमिक नारेबाजी कर रहे थे । मैं वहां पर 9.30 बजे तक रहा । इसके बाद हड़ताली कर्मचारी रैली बनाकर सिम्पलेक्स कास्टिंग की ओर चले गये । सिम्पलेक्स कास्टिंग के पास जाकर हड़ताली क्या किये मैं नहीं बता सकता । थाना वापस आकर मैंने जी०डी०नं०- 789 में इंद्राज किया । असल मेरे सामने है, जिसकी सही नकल प्रदर्श पी-13 है ।

J.U.S.Rajuu

कार्या. जिला ... दुर्ग (म.प्र.)

5. दिनांक 20-8-91 को थाने पर मैं मौजूद था तब पवन कुमार आ0 फंदी साहू, उम्र- 35 साल, साकिन-कंड्का ने आकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि सिम्पलेक्स गेट के सामने श्रमिक रोजाने की तरह नारेबाजी करते हैं तथा काम पर आने-जाने वाले मजदूरों को रोकटोक करते हैं और ऐसा करने वालों के नामभी उसने बताये । रिपोर्ट में यह भी बताया कि ये लोग धरना के रूप में गेट पर बैठ जाते हैं इसका इंद्राज मैंने जी0डी0नं0- 1229 में किया । असल मेरे सामने है, जिसकी सही नकल प्रदर्श पी-54 है । पी-5

6. यह रिपोर्ट अदस्तनदाजी होने के कारण न्यायालय में जाने कासलाह दिया गया ।

7. दिनांक 20-8-91 को मैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर अपने स्टॉफ के साथ सिम्पलेक्स उद्योग में गया था । मैं वहां करीब 8.45 बजे सुबह पहुंचा । वहां 40 श्रमिक गेट के सामने नारेबाजी कर रहे थे । यह नारेबाजी सिम्पलेक्स उद्योग के गेट के सामने कर रहे थे । उसके बाद ये लोग सिम्पलेक्स कास्टिंग की ओर आ गये । वहां भी ये लोग नारेबाजी किये और मीटिंग लिये । उमाशंकर के साथ की गई मारपीट के संबंध में यह मीटिंग ली गई थी । मारपीट करने वालों को पकड़ने के लिये यह मीटिंग ली गई थी ।

8. यह मांग की गई कि एक सप्ताह में अपराधी पकड़ा जावे अन्यथा 3 दिन तक समस्त संस्थान बंद करने का आव्हान किया । थाना जामुल लौटकर आकर मैंने जी0डी0नं0-1193, दिनांक 20-8-91 को 11.05 बजे मैंने इसका इंद्राज किया । असल मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-515 है ।

9. दिनांक 22-8-91 को मैं अपने स्टॉफ के साथ सिम्पलेक्स उद्योग करीब 7.45 बजे सुबह ड्यूटी पर गया था । वहां मैंने देखा कि करीब 40 मजदूर गेट के सामने नारेबाजी कर रहे थे । उन लोगों का नेतृत्व रामलखन, सुदामा, अजायबलाल कर रहे थे । सुदामा भी छ0मु0मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता में से हैं । ये लोग रैली बनाकर सिम्पलेक्स कास्टिंग के गेट पर पहुंचकर सभा किये । उमाशंकर की मारपीट के सिलसिले में गिरफ्तार करने एवं सिम्पलेक्स व केडिया मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की । यह सभा 9.45 बजे सुबह खत्म हो गई । थाने में लौटकर आकर मैंने जी0डी0नं0-1328, दिनांक 22-8-91 को इंद्राज किया । असल मेरे सामने है,

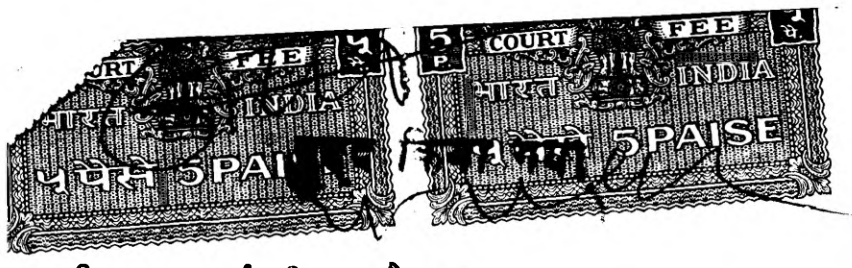

सही नकल प्रदर्श पी-17 है ।

10. दिनांक 26-8-91 को मैं थाना जामुल में मौजूद था । उस दिन 17.20 बजे पवन कुमार आ0 फंदी साहू, उम्र-35 साल, साकिन-कंड्का, जो सिम्पलेक्स इं0 कंपनी में चौकीदार है ने थाना आकर एक रिपोर्ट दी कि सिम्पलेक्स इं0 कंपनी के प्रथम तथा द्वितीय पाली में जाने वाले मजदूरों को हड़ताली श्रमिक गाली देते हैं और नारेबाजी करते हैं, जिनके प्रमुख नेता मंगलसिंह, रामनाथ राव वगैरह हैं और जो छ0मु0 मोर्चा के यूनियन से संबंधित हैं । इस रिपोर्ट के बारे में थाना के जी0डी0नं0-1558 में इंद्राज किया, असल मेरे सामने है, जिसकी सही नकल प्रदर्श पी-45 है ।

11. मैंने इस आवेदन-पत्र को रिसीव करने के बाद थाना प्रभारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेज दिया था ।

12. दिनांक 28-8-91 को उपरोक्त पवन कुमार, जो सिम्पलेक्स के चौकीदार हैं ने आकर मेरे समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की कि हड़ताली मजदूर 19-8-91 से लेकर 25-8-91 तक सिम्पलेक्स गेट के सामने नारेबाजी करते हैं और आने-जाने वाले श्रमिकों एवं अधिकारियों को बाधा उत्पन्न करते हैं । इन श्रमिकों में उन्होंने कई नेताओं के नाम लिखाये, जिनमें सुदामाप्रसाद का होना भी बताया गया । सुदामाप्रसाद छ0मु0मोर्चा के नेताओं में से एक हैं । इस रिपोर्ट में उसने यह भी लिखाया था कि उपरोक्त नेता न्यायालय के आदेश के मुताबिक कार्य करेंगे, किंतु आदेशका उल्लंघन करते हुये गेट के सामने बैठ जाते हैं, जिसका इंद्राज जी0डी0नं0-1686 में किया गया । असल मेरे सामने है और उसकी सही नकल प्रदर्श पी-55है । पी-55

13. उस दिन बिसाहिनबाई जौजे धनुषकुमार, साकिन- शारदापारा कैम्प-2 ने थाना हाजिर आकर मुझे जुबानी रिपोर्ट दी कि दुलारीबाई, जो छ0मु0मोर्चा की कार्यकर्ता है ने आकरबोली कि 29-8-91 को हड़ताल करना है, काम पर नहीं जाना है । उसने यह भी कहा कि तुम्हारी वजह से उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है दुलारीबाई द्वारा उसके बाल पकड़कर, हाथ मुक्के से मारना भी बताया । इसके बारे में जी0डी0नं0-1693, दिनांक 28-8-91 को रिपोर्ट दर्ज किया गया । असल मेरे सामने है, जिसकी सही नकल प्रदर्श पी-56 है । पी-56

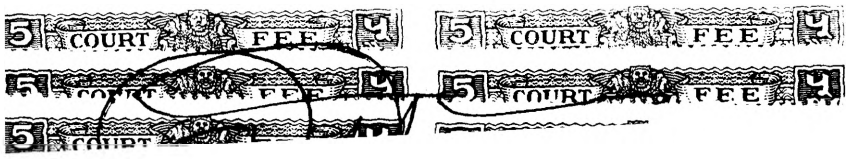

चूंकि जुर्म अदमदस्तदाजी पाया गया, इसलिये उसे न्यायालय में जाने की सलाह दी गई ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह अधिवक्ता वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह

नोट :- चायकाल का समय होने के कारण साक्षी का प्रति-परीक्षण चायकाल तक के लिये स्थगित किया गया ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

J. M. Rajput J. M. Rajput

। जे0के0एस0राजपूत । । जे0के0एस0राजपूत ।
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0। दुर्ग ।म0प्र0।

14. चायकाल पश्चात साक्षी को शपथ दिलाकर साक्षी का प्रति-परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

15. 1-7-92 में छ0मु0मोर्चा वालों ने रेल्वे लाईन, दुर्ग में धरना दिया था, जिससे आने-जाने वाली सभी गाड़ियां रूक गई थी । छ0मु0मोर्चा के श्रमिकों ने पत्थरबाजी और मारपीट की, जिसमें एक इंस्पेक्टर के0पी0सिंग की मृत्यु हो गई । इसके बाद पुलिस फायरिंग हुई थी । फायरिंग के बाद हड़ताली लोग रेल्वे लाईन छोड़कर उठ गये ।

16. मुझे नहीं मालूम कि जनकलाल ठाकुर, भीमराव बागड़े, अनूपसिंह एवं घोषायल पर सब इंस्पेक्टर को मारने के कारण मुकदमा चला है । जैसे कि सिम्पलेक्स वालों के यहां मजदूर लोग मजमा लेकर आया करते थे उसी प्रकार ये लोग भिलाई वायर्स, केडिया, विश्वविशाल, बी0ई0सी0ई0, भिलाई आॅक्जिलरी, जनरल फेब्रिकेटर्स में भी उसी प्रकार आया करते थे । सब जगह यही डिमांड होती थी कि हमारा वेतन बढ़ाओ, बी0एस0पी0 के समानांतर सुविधायें दी जाये, हटाये गये मजदूर वापस लिये जायें ।

17. केडिया फैक्टरी के समक्ष छ0मु0मोर्चा के श्रमिक जाते थे वे केडिया को और प्रशासन को अश्लील गालियां दिया करते थे ।

J. M. Rajput

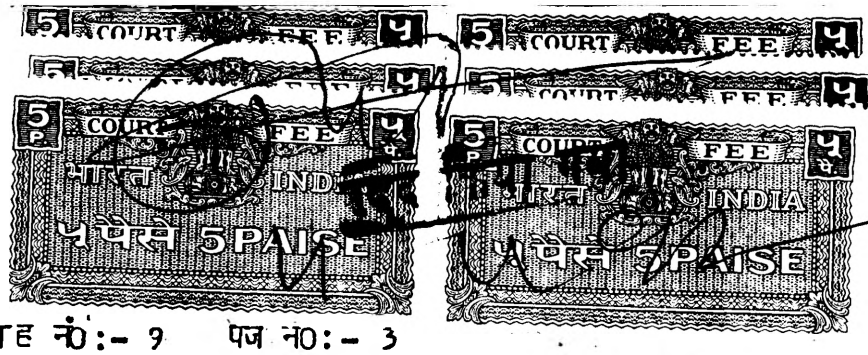

80

गवाह नं0:- 9   पज नं0:- 3

18.   पवन कुमार व्दारा लाये गये रिपोर्ट किसके हाथ की लिखी होती थीं मुझे नहीं मालूम । उमाशंकर की मारपीट के संबंध में मेरे थाने से जांच हुई थी । मैंने जांच नहीं किया था । नियोगी के मृत्यु के बाद भी कुछ समय बाद तक नारेबाजी, सभायें, धरना देना, उत्तेजनापूर्ण भाषण, आंदोलन उसी प्रकार चलता रहा, जो बाद में कम हो गये ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री धुरंधर, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

19.   कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री जे0पी0संघी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

20.   कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री हासिम खान, अधि0 वास्ते अभियुक्त अभयसिंह.

21.   कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश रॉय. चंद्रबक्श एवं बलदेव.

22.   कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।   मेरे निर्देशन पर टंकित ।

[signature]   [signature]

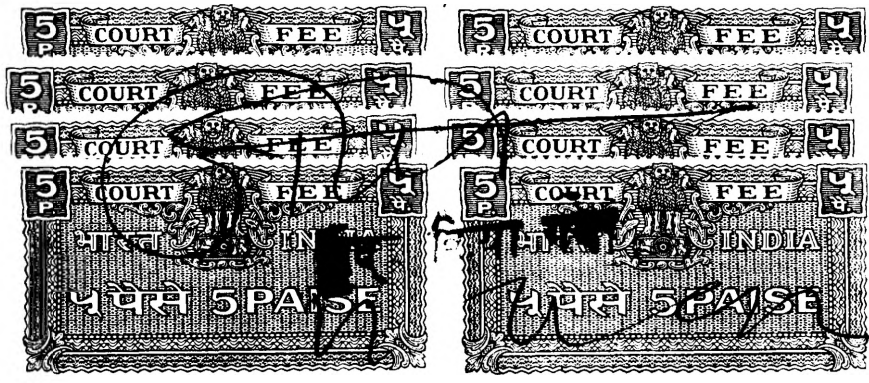

। जे0के0एस0राजपूत ।   । जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,   व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।   दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि
[signature] 5/98
दुर्ग (म.प्र.)

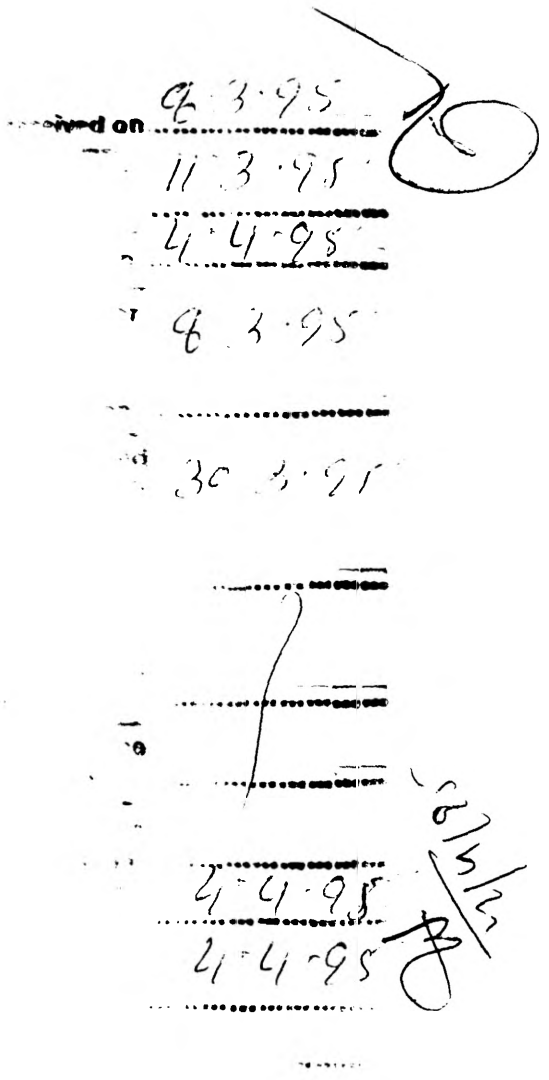

ived on 9.3.95

11.3.95

4.4.95

9.3.95

30.3.95

4.4.95

4.4.95

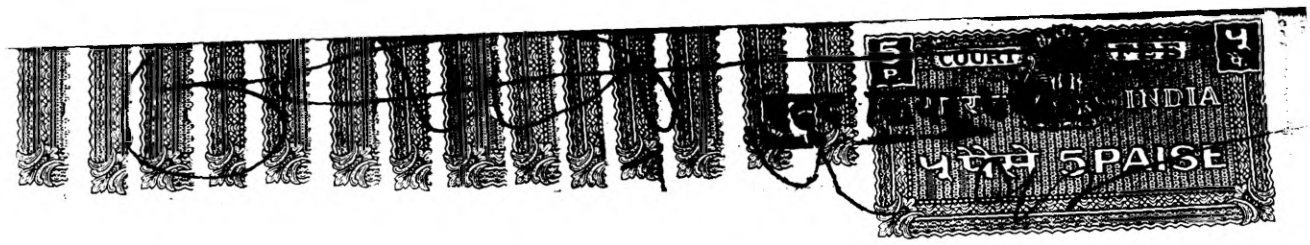

एम०सी०आर०सी०नं०
1094/95

प्रतिलिपि सूर्यदेव वर्मा - - - - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्ही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

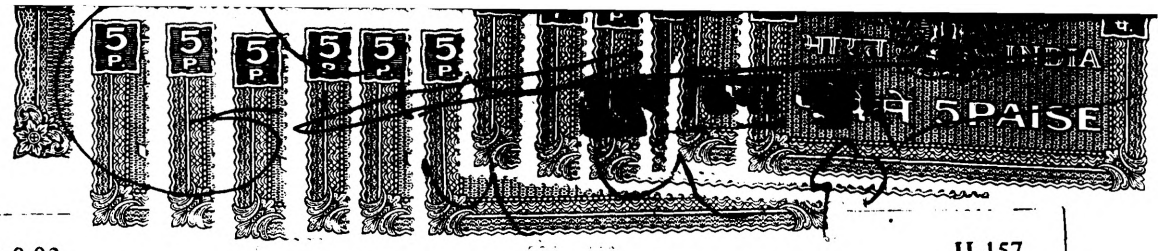

CP Pi-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. 10 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 27-10-94 day of .... Witness's apparent age 32 वर्ष

States on affirmation my name is सूर्यदेव वर्मा

son of श्री जगबंधन वर्मा occupation सर्विस भिलाई वायर्स

address लेबर कॉलोनी, खुर्सीपार, से0-11, जोन-3, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. सन् 1990 में मैं भिलाई वायर्स में ऑपरेटर का काम करता था। मैं छ0मु0मोर्चा का सदस्य था। नवम्बर 1990 से मैं छ0मु0मोर्चा का सदस्य नहीं हूं। 17 सितम्बर 90 की बात है उस दिन विश्वकर्मा पूजा थी, जिसके कारण छुट्टी थी। फैक्टरी बंद था। मैं छ0मु0मोर्चा के जुलूस में शामिल होने के लिये गया था। 17-9-90 को मैं सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग के पास पहुंचा करीब 1.15 बजे का समय था। मैं झंडा लाल-हरा लेकर जा रहा था। सिम्पलेक्स इं0 से 10 मीटर आगे कुछ अज्ञात लोगों ने मुझ पर हमला किया। मैं नहीं देख पाया कि ये लोग कहां से आये।

2. मेरे पैर में और नाक के पास उस हमले में चोट आई थी। मैं हमलावरों को नहीं देख पाया। मैं बेहोश हो गया था, इसलिये हमलावरों को नहीं देख पाया। कोई आदमी वहां से उठाकर मुझे दुर्ग ले आया, जहां मेरा ईलाज हुआ। उसके बाद मुझे पावरहाउस में छोड़ दिया गया।

3. मैं जामुल थाना 2-3 आदमियों के साथ गया था, जहां मैंने रिपोर्ट लिखाई थी।

4. मैं नहीं बता सकता कि मुझ पर हमला क्यों हुआ। झंडा मैंने फेक दिया। मेरी इच्छा थी, इसलिये मैंने सदस्यता छोड़ दी।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. विश्वकर्मा की छुट्टी सभी फैक्टरियों में थी। इस जुलूस में सभी फैक्टरी, केडिया, सिम्पलेक्स आदि के श्रमिक शामिल थे। हम लोग गाना गाते जा रहे थे, अचानक मार पड़ गई। मारने वाले किस दिशा से आये यह मैं नहीं देख पाया था। भीड़ में से किसी ने मार दिया यह भी मैं नहीं देख पाया।

Jutkyru

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री धुरंधर, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधिवक्ता वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री हासिम खान, अधि० वास्ते अभियुक्त अभयसिंह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अवधेश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

9. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । | सही होना पाया ।
मेरे निर्देशन पर टंकित ।

ह०/- (जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

ह०/- (जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
5/5/80
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

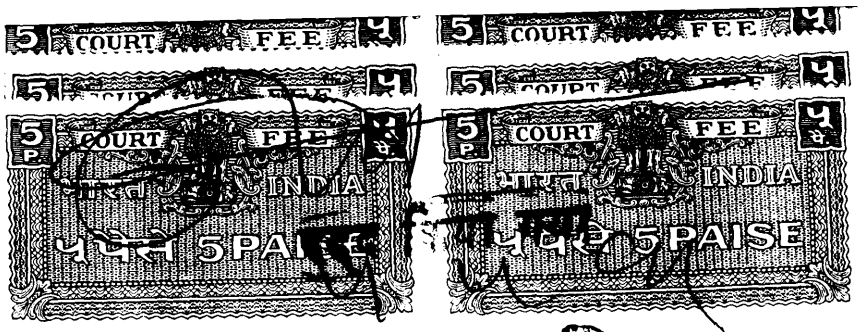

प्रतिलिपि क्रमांक 1094/95 प्रतिलिपि – मुन्नू भाई – – – – – – – की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरु नगर, भिलाई

2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई ।

4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्हौी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-38, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

2-५०

GRPI-153-7Lakhs-8-92 II-157
C. J.

Witness No. 11 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 19-12-94 day of .... Witness's apparent age 37 वर्ष

States on affirmation my name is मन्नूभाई बोड़ा

son of श्री बेलजी बोड़ा occupation सर्विस

address फ्लाट नं0-31स, आ0आ0 डी0पी0सिंहनगर, भिलाई-23.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सिम्पलेक्स कॉस्टिंग में सन् 1981 से भिलाई में जूनियर एक्जीक्यूटिव परचेज ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं । इस फर्म में श्री अरविंद शाह व श्री केतन शाह मेनेजिंग डॉयरेक्टर हैं । इनके अलावा एक-दो व्यक्ति और हैं, जिनके मुझे नाम याद नहीं हैं । 1991 में नवीन शाह सिम्पलेक्स कॉस्टिंग में डायरेक्टर थे, सन 94 से वे डॉयरेक्टर नहीं हैं । 91-92 में सि0 कॉस्टिंग का काम नवीन शाह ही देखते थे। नवीन शाह आज अदालत में मौजूद हैं । ये लोग शांत भाई मूलचंद शाह, नवीन शाह, दीपक शाह, प्रसन्न शाह, महेश शाह, चंद्रकांत शाह और केतन शाह हैं ।

2. सिम्पलेक्स ग्रुप की अन्य फेक्टरी भिलाईमें सि0इं0 एंड फा0 वर्क्स लि0 एवं संगम प्रोजेक्ट्स है । सिम्पलेक्स इं0 एंड फा0 वर्क्स में 3 यूनिट हैं । चंद्रकांत शाह की ओसवाल आयरन भिलाई में फेक्टरी थी । आज चंद्रकांत शाह भी आज अदालत में मौजूद हैं ।

3. परचेज ऑफिस की हैसियत से मैं मेरा काम फेक्टरी के लिये रॉ मटेरियल परचेज करना था । हमारे यहां प्रोडक्शन विभाग प्रत्येक माह के लिये एक रिपोर्ट तैयार करता था क्या माल बनना है और उसके लिये क्या-क्या रॉ मटेरियल आना है उसके आधार पर मैं रॉ मटेरियल की खरीददारी का काम करता था ।

4. मेसर्स सि0कॉस्टिंग का रिजेक्टेड माल का कटिंग ओसवाल इंडस्ट्रीज में तथा मैनुअल कटिंग में होता था । ओसवाल इं0 में जो माल जाता था उसका मैं रिकार्ड रखता था । मैं आज अभिलेख लेकर नहीं आया हूं ।

नोट :- अभिलेख लाने हेतु सी0बी0आई0 की ओर से एक आवेदन पेश किया गया, जिसके कारण गवाह का परीक्षण स्थगित किया जाता है ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(signature) (signature)

(जे0के0एस0राजपूत) (जे0के0एस0राजपूत)

श्री. ... एवं ... दुर्ग (म.प्र.)

उक्त साक्षी को आज दिनांक 20-12-94 को पुन: शपथ दिलाकर परीक्षण आरंभ किया गया ।

<u>शपथपूर्वक</u> :-

5. 90-91 के रिजेक्टेड माल जो मेसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग से भेजा गया था उसके रिकाईस हमारे यहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि एकाउंट माल के वापस आने पर क्लोज हो जाता है ।

<u>नोट</u> :- न्यायालय का समय समाप्त हो रहा है, ऐसी परिस्थिति में गवाह को कल के लिये पाबंद किया जावे ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

(हस्ताक्षर)

‡ जे0के0एस0राजपूत ‡
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ‡म0प्र0‡

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(हस्ताक्षर)

‡ जे0के0एस0राजपूत ‡
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ‡म0प्र0‡

साक्षी को आज दिनांक 21-12-94 को पुन: शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

6. मूलचंद शाह एवं नवीन शाह, चंद्रकांत शाह के पिताजी का नाम रामजी भाई शाह है । मूलचंद शाह एवं नवीन शाह वगैरह अपना नाम तथा अपने पिताजी के नाम के बाद शाह लगाते हैं । मैं अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को पहचानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद है । ओसवाल से जो माल टूटकर हमारी फर्म में वापस आता था उस माल के ट्रकों के साथ कभी-कभी अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा भी सिम्पलेक्स कॉस्टिंग में आता था । मुझे नहीं मालूम कि अभियुक्त ज्ञानप्रकाश मिश्रा को नवीन भाई जानते थे या नहीं । ज्ञानप्रकाश मिश्रा को ठेका देने के बारे में नवीन शाह ने नहीं कहा था । ज्ञानप्रकाश से मैं रेती के ठेके के बारे में बात किया था ।

<u>नोट</u> :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को विरोधी घोषित कर उससे प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

7, इस मुकदमे के सिलसिले में सी0बी0आई0 के अधिकारी ने मुझसे पूछताछ किया था । मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं । प्रदर्श पी-63 में अ से अ ज्ञानप्रकाश - - - - - सेंड

(हस्ताक्षर)

ONE RUPEE ONE RUPEE

गवाह नं0 :- 11 पेज नं0 :- 2

का ब्यान नहीं दिया था । मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों लिखा, अपनी मर्जी से लिखा होगा । ज्ञानप्रकाश मिश्रा मुझसे ठेके के संबंध में 91 में मिला था । हमारे फैक्टरी में रेत की आवश्यकता होती है । ज्ञानप्रकाश को ठेके का तजुर्बा था या नहीं था मुझे नहीं मालूम । ज्ञानप्रकाश को ऐसा कोई ठेका नहीं दिया गया । सिम्पलेक्स कास्टिंग से चंद्रकांत शाह की फैक्टरी रिजेक्टेड माल तोड़ने का काम बल्क में वहीं जाता था ,चूंकि 91 के रिकार्ड 190-91-92 के भी रिकार्ड। मेसर्स सि0 कास्टिंग के रिकार्ड्स नष्ट करने के कारण उपलब्ध नहीं है, इसलिये यह मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस माह में कितना रिजेक्टेड लोहा मेसर्स सि0 कास्टिंग से मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0, जो कि चंद्रकांत शाह की फैक्टरी हैमें तोड़ने के लिये भेजा गया था ।

8. मुझे मालूम है कि शंकर गुहा नियोगी की हत्या सितम्बर 91 में हुई है । यह मुझे मालूम है कि हत्या का संदेह मूलचंद शाह और नवीन शाह तथा चंद्रकांत शाह पर पुलिस कर रही थी । शंकर गुहा नियोगी की हत्या 28 सितम्बर 91 में हुई है मुझे मालूम है । मुझे यह भी मालूम है कि हत्या के बाद अक्टूबर 91 के पहले सप्ताह में चंद्रकांत शाह फरार हो गया था । चंद्रकांत शाह के फरार होने के बाद मेरी जानकारी में मे0 ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0 का काम बंद नहीं हुआ था । मैं कभी-कभी मे0 ओसवाल फैक्टरी में जाता था ।

9. यह कहना गलत है कि चंद्रकांत शाह के फरार होने के बाद मे0 ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0 का काम बंद हो गया था । यह कहना भी गलत है कि मे0 ओसवाल फैक्टरी का काम बंद होने के कारण वहां माल जाता नहीं था, इसलिये 90-91 के रिकार्ड नष्ट होनेxxxxxxxxx की बात मैं गलत कह रहा हूं । मैं आज भी मेसर्स सि0 कास्टिंग का मुलाजिम हूं । यह कहना गलत है कि मैं इस कारण से मूलचंद शाह, नवीन शाह और चंद्रकांत शाह के खिलाफ रिकार्ड जाता है, इसलिये पेश नहीं कर रहा हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह

10. इस मुकदमे के अनुसंधान में सी0बी0आई0 वालों की 15-20 अधिकारी हमारे फैक्टरी में आये थे । उन्होंने जो=जो रिकार्ड देखने के लिये मांगा वह हमने उन्हें दिखा दिया था । जो माल सि0 कास्टिंग से मे0 ओसवाल में जाता था उससे संबंधित रिकार्ड सी0बी0आई0 वालों ने कभी नहीं मांगा । माल आने-जाने का रिकार्ड हम अपनी सहूलियत के लिये रखते हैं कि कितना माल आया और कितना माल गया । यह रिकार्ड केवल हमारे विभाग का है, इसका संबंध किसी विभाग से नहीं है, न ही वहां चेकिंग के लिये जाता है ।

11. मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0 सिम्पलेक्स कास्टिंग से करीब है । चंद्रकांत शाह के फरार होने का मतलब उनका दुर्ग से चले जाना था । दुर्ग से इस प्रकार से चंद्रकांत शाह के चले जाने के कारण उनको उच्च-न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली थी । अग्रिम जमानत प्राप्त होने के बाद चंद्रकांत शाह दुर्ग वापस आ गया था । मेसर्स सि0 कास्टिंग से माल रिजेक्टेड ओसवाल फैक्टरी में तोड़ने के लिये जाता था । छोटे टुकड़े करने का कारण यह था कि बड़े टुकड़े आसानी से गलाने के लिये नहीं डाला जा सकता था । गलाने के बाद उसी लोहे को सिम्पलेक्स कास्टिंगमेंरि-सायकिल करते थे ।

12. चंद्रकांत शाह की 91 के पहले एक फैक्टरी ओसवाल स्टील इंडस्ट्रीज थी । सन् 91 में चंद्रकांत शाह ने एक और फैक्टरी मेसर्स ओसवाल आयरन स्टील प्रा0लि0 की डाली । ओसवाल स्टील इंडस्ट्री-ज में लोके के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का ही काक होता था । मेसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग के माल के अलावा अन्य फैक्टिरियों से भी माल तोड़ने के लिये मे0 ओसवाल फैक्टरी में जाता था ।

13. चंद्रकांत शाह ने मेसर्स ओसवाल आयरन स्टील प्रा0लि0 में लोहे के तोड़ने के अलावा लोहे के प्रोसेसिंग का भी काम प्रारंभ कर दिया । प्रोसेसिंग का काम शुरू होने के बाद चंद्रकांत शाह ने सीधा भिलाई स्टील प्लांट से लोहा लेना प्रारंभ कर दिया और स्क्रेब लोहा भी खरीदना शुरू कर दिया । मेसर्स ओसवाल आयरन स्टील प्रा0लि0 का काम इस प्रकार से बहुत बढ़ गया था । इस फैक्टरी का टर्न ओवर करोड़ों में हो गया । मेसर्स ओसवाल स्टील इं0 के बहुत से काम मे0 ओसवाल आयरन स्टील एंड प्रा0लि0 में ट्रांसफर हो गये ।

गवाह नं0:- 11 पेज नं0:- 3

14. मेसर्स सि0 कॉस्टिंग भी भिलाई स्टील प्लांट से कास्ट आयरन स्कल खरीदता था । कास्ट आयरन स्कल के एक -एक पीस 5 से 20 टन के होते हैं । ये स्कल भी तोड़ने के लिये मेसर्स ओसवाल आयरन स्टील प्रा0 लि0 में जाता था । भिलाई स्टील प्लांट से स्कल कभी मिलते थे और कभी नहीं मिलते थे । स्कल भिलाई स्टील प्लांट से इंडेन से मिलता था । भिलाई स्टील प्लांट से स्कल के खरीदार सि0 कॉस्टिंग के अलावा और कई अन्य फैक्टरी भी थी । भिलाई स्टील प्लांट से उक्त माल राशन के व्दारा विभिन्न कंपनियों को प्राप्त होता था । सिम्पलेक्स कॉस्टिंग के विधि प्रत्येक साल परिवर्तित होता चला गया । परिवर्तत से मेरा मतलब उन्नति से है । जैसे-जैसे उन्नति होती चली गई वैसे-वैसे रिजेक्टेड माल की कमी होती गई । माल कम रिजेक्ट होने के कारण कम माल मेसर्स ओसवाल फैक्टरी में तोड़ने के लिये भेजा गया ।

15. हमारे मेसर्स सिम्पलेक्स कॉस्टिंग में जब कोई माल सप्लाई करना चाहता है तो हम उससे उसका अनुभव, माल की कीमत और माल का सेम्पल मंगवाते हैं । माल का सेम्पल टेस्टिंग के लिये टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जाता है और यदि वहां पास हो जाये तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में रेट के एप्रूअल के लिये जाता है ।

16. जुलाई-अगस्त 91 में ज्ञानप्रकाश मिश्रा ने हमारे यहां रेत के ठेके के लिये एप्लाई किया था । हमने ज्ञानप्रकाश से कहा कि इस संबंध में अनुभव, कीमत और सेम्पल दो । इसके बाद ज्ञानप्रकाश लौटकर नहीं आया और उसको ठेका नहीं दिया गया ।

17. सी0बी0आई0 वालेहमारे यहां डेढ़-दो महीने तक अन्वेषण करते रहे । प्रत्येक साल के अंत में माल आने-जाने का रिकार्ड नष्ट कर दिया जाता है । यह प्रक्रिया सन् 88 से है, क्योंकि रजिस्टर रखने की कोई आवश्यकता हमारे यहां नहीं है । नियोगी की हत्या के बाद उनकी हत्या का संदेह सभी उद्योगपतियों के विरूद्ध उत्पन्न हो गया और सभी के विरूद्ध अनुसंधान किया गया ।

18. नियोगी जी की हत्या के बाद केडिया डिस्टलरी के 2 कर्मचारियों को पुलिस ने 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था । छ0मु0मोर्चा के आंदोलन के कारण सिम्पलेक्स कॉस्टिंग का काम सुचारू रूप से चलता था । इस आंदोलन से काम प्रभावित नहीं होता था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0वास्ते अभियुक्तगण ज्ञानप्रकाश, अभयसिंह, अवधेश, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

19. चूंकि मैं सिम्पलेक्स कॉस्टिंग में परचेस ऑफिसर था, इस कारण मुझसे कोई भी व्यक्ति मिलता था । उस व्यक्ति को मुझसे मिलने के लिये किसी के अनुमति/सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती थी ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभि0चंद्रकांत शाह.

20. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

21. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

।जे0के0एस0राजपूत।	।जे0के0एस0राजपूत।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।	दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि
14/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय,
दुर्ग (म.प्र.)

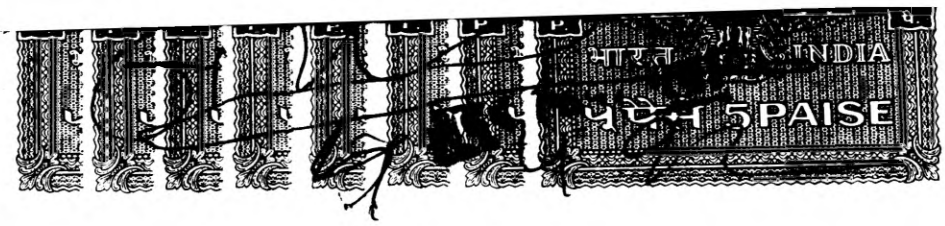

एस०सी०ओ०सं० 1094/95

प्रतिलिपि आर एस तिवारी - की जो कि श्री के. के. एल. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,

द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. भानुप्रकाश मिश्रा उर्फ भानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-38, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

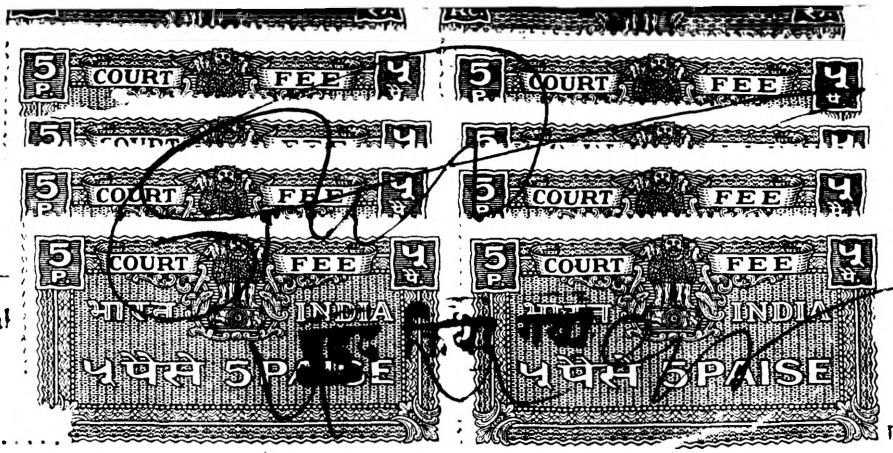

2-100

G?RPJ-153-7Lal

II-157
C. J.

Witness No. ..... Deposition taken

the ....20-12-94..... day of .... Witness's apparent age ......40 वर्ष......

States on affirmation my name is ...आर0एस0 तिवारी..........

son of ....श्री एस0डी0 तिवारी.. occupation .सर्विस.....

address.....परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल...................................

शपथपूर्वक :-

1. दिनांक 5-8-90 से दिनांक 3-7-93 तक मैं दुर्ग में मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के रूप में कार्यरत था। दुर्ग में औद्योगिक क्षेत्र की जितनी भी उद्योग थे उनके भूमि संबंधी आवंटन के संबंध में अभिलेख मेरे माध्यम से रखे जाते हैं। मेसर्स सिम्पलेक्स एंड इं0एंड फाउंडरी वर्क्स लि0 इंडस्ट्रीयल स्टेट, भिलाई, मेसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग लि0, इं0एरिया, भिलाई, मेसर्स ओसवाल आयरन-स्टील प्रायवेट लि0, इंडस्ट्रीयल एरिया भिलाई, मेसर्स ओसवाल स्टील इं0, भिलाई तथा मेसर्स लोहावाला प्रोसेसर्स, भिलाई के संबंध में भी मेरे कार्यालय में रिकार्ड मेरे व्दारा पुटअप होते थे। मैं ऑफिस से वे रिकार्ड आज लेकर आया हूं।

2. मेसर्स/सि0 इंजीनियरिंग फाउंडरी वर्क्स लि0 में 1990-91 ‡91-92‡ में निम्नलिखित व्यक्ति संचालक थे। इनमें श्री एच0बी0शाह, न्यू देहली, श्री ए0के0शाह, दुर्ग, श्री एम0आर0शाह, दुर्ग, श्री एन0आर0शाह, दुर्ग, श्री डी0एच0शाह, न्यू देहली थे। श्री ए0के0शाह, श्री एम0आर0शाह और एन0आर0शाह का पता सिम्पलेक्स कॉलोनी, मालवीयनगर, दुर्ग लिखा हुआ है।

3. मेसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग लि0 में संचालक मंडल में सन् 90-91 ‡91-92‡ में निम्नानुसार संचालक थे :- श्री एच0बी0शाह, न्यू देहली, श्री ए0के0शाह, दुर्ग, श्री एम0आर0शाह, दुर्ग, श्री एन0आर0शाह, दुर्ग, तथा श्री एच0बालचंद्रन, घाटकोपर बांबे हैं। श्री एच0 बालचंद्रन को छोड़कर शेष चारों उपरोक्त औद्योगिक संस्थानों में संचालक मंडल के संचालक थे।

4. मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रायवेट लि0 में 90-91 में तथा 91-92 में दो संचालक श्री चंद्रकांत शाह, नेहरूनगर, भिलाई तथा श्रीमती प्रफुल्ल शाह वैशाली नगर भिलाई थे।

5. मेसर्स ओसवाल स्टील इंडस्ट्रीज में सन् 90-91, 91-92 में चार भागीदार थे :- 1. श्री रतनचंद जैन, कैम्प-2 भिलाई 2. श्री चंद्रकांत शाह, पद्मनाभपुर दुर्ग 3. श्री मनीषकुमार शुक्ला, भाटापारा रायपुर तथा 4. श्रीमती प्रफुल्ल शाह वैशालीनगर भिलाई थे ।

6. मेसर्स लोहावाला प्रोसेसर्स औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में इस इकाई के मालिक श्री चंद्रकांत शाह हैं । श्री चंद्रकांत शाह ने ही इस इकाई के भूमि आबंटन हेतु आवेदन किया था ।

7. उपरोक्त डायरेक्टर्स, पार्टनर्स आदि के जानकारी के बारे में सी0बी0आई0 ने एक पत्र कार्यालय में भेजा था ।

<u>नोट</u> :- धारा 161 एवं 162 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दस्तावेज लेने में आपत्ति की गई, जो निरस्त की गई ।

8. उसका उत्तर पत्र दिनांक 9-12-91 को प्रदर्श पी-57 के व्दारा सी0बी0 आई0 को भेजा गया, जिसके साथ प्रदर्श पी-58 की जानकारी भेजी गई थी । इन दोनों दस्तावेजों पर तत्कालीन महाप्रबंधक श्री एस0के0 मिश्रा के हस्ताक्षर हैं और मैं उनके हस्ताक्षर उनके अधीनस्थ होने के नाते पहचानता हूं । पी-57, 58

9. दिनांक 16-12-91 को सी0बी0आई0 अधिकारी व्दारा मुझसे मेरे ऑफिस के रिकार्ड की फोटोकापी जप्त की गई थी, सीजर मेमो प्रदर्श पी-59 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और जप्त की हुई फोटोकापी में से दो फोटोकापी हैं, जो कि प्रदर्श पी-60 और पी-61 हैं । प्रदर्श पी-60 और 61 असल के आधार पर मिलान करने पर सही पाई गई । पी-59 60,61

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री राजेन्द्रसिंह, अधिवक्ता</u> वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

10. सिम्पलेक्स इं0 एंड फाउंडरी वर्क्स लि0 तथा सिम्पलेक्स कॉस्टिंग लि0 के संचालक मंडल के अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध न होने से सी0बी0आई0 के पत्र के बाद इकाईयों से प्राप्त किये गये थे तत्पश्चात् सी0बी0आई0 को भेजे गये थे । मेसर्स ओसवाल स्टील इं0 और मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 अलग-अलग इकाइयां हैं । इसी प्रकार से मेसर्स लोहावाला प्रोसेसर्स भी तीसरी इकाई है । सन् 76 में ओसवाल स्टील ट्रंक इं0 का अस्तित्व था, जिसके मालिक श्री रतनचंद जैन थे ।

J.K.S. Rajput

GRPI-153-7Lakhs-8-... I-157

C. J.

Witness No. ....12.... taken

the ....

States on affirmation

son of .... occupation ....

address ....

11. मैसर्स ओसवाल स्टील ट्रंक इं0 में 12-6-84 को नये पार्टनर्स आये, जिनके नाम हैं:- श्री रतनचंद जैन, श्री चंद्रकांत शाह, श्री मनीष कुमार शुक्ला, श्रीमती प्रफुल्ल शाह हैं। मूल अभिलेख के आधार पर ओसवाल स्टील ट्रंक इं0 ही अस्तित्व में है ट्रंक शब्द टायपिस्ट की गलती से छूट गया है।

12. मैसर्स ओसवाल स्टील ट्रंक इं0/स्टील अलमारी, वाटर टैंक, ट्रंक हेतु भूमि आवंटित की गई थी। मैसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 को भूमि का आवंटन एम0एस0 और सी0आई0 के प्रोसेसिंग के लिये की गई थी। मैसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 इकाई को भूमि 29-8-88 को कब्जे में दी गई थी।

13. मैसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ मैं रिकार्ड देखे बगैर नहीं बता सकता। अभियुक्तगण की ओर से प्रदर्श डी-2 का दस्तावेज साक्षी को दिखाया गया, जिसके आधार पर साक्षी ने बताया कि उक्त इकाई का उत्पादन दिनांक 11-1-90 को आरंभ हुआ। प्रदर्श डी-2 हमारे विभाग द्वारा दिया गया दस्तावेज है। इस पर तत्कालीन जनरल मैनेजर के हस्ताक्षर हैं, पर मैं ये हस्ताक्षर किनके हैं नहीं जानता।

14. मैसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 को जिस कार्य के लिये जमीन दी थी उस कार्य में प्रदर्श डी-2 में उल्लेखित कार्य का समावेश होता है। एम0एस0 का अर्थ माइल्ड स्टील है तथा सी0आई0 का अर्थ कास्ट आयरन है। हमारे विभाग से सर्वे करने हेतु (निरीक्षण करने हेतु) अधिकारीगण इकाइयों में जाते हैं। हर इकाई को नियमानुसार प्रतिवर्ष हमारे विभाग को इकाइयों में होने वाले उत्पादन की जानकारी देना चाहिये। इकाइयों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े पंजीयन कक्ष एवं विभागीय सुविधा कक्ष में उपलब्ध हो सकती है। साक्षी स्वतः कहता है कि इकाइयों को सामान्यतः उत्पादन के आंकड़े कार्यालय को देना चाहिये, लेकिन वे नहीं देते हैं।

Jurhyuu

15. प्रदर्श डी-3 में मैं अतल को देखकर साक्षी कहता है कि इस पर जनरल मैनेजर के हस्ताक्षर हैं, जिसकी फोटोप्रति पर डी-3 अंकित कर असल वापस किया गया। हमारे विभाग से कुछ औद्योगिक इकाइयों को बिक्रीकर से छूटने लिये आदेश (प्रमाण-पत्र) जारी किये जाते हैं। 11-1-90 के बाद से प्रतिवर्ष मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा०लि० की इकाई में उत्पादन कहां इस बाबत मैं नहीं बता सकता।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

16. चंद्रकांत शाह का निवास मैंने जो अभिलेख लाया है उसके अनुसार 19/5 नेहरूनगर, भिलाई अंकित है, इसी प्रकार से दूसरे डायरेक्टर का पता एम०आई०जी०-71 वैशालीनगर, भिलाई है। ओसवाल स्टील इंडस्ट्रीज के भागीदार का पता (रतनचंद जैन का) कैम्प-2, भिलाई तथा चंद्रकांत शाह का पता एच०-52 पद्मनाभपुर, दुर्ग अंकित है तथा श्री मनीषकुमार शुक्ला का पता सदर बाजार ब्राह्मणपारा, जिला-रायपुर है तथा श्रीमती प्रफुल्ल शाह का पता एम०आई०जी०-71 वैशालीनगर, भिलाई है। सिम्पलेक्स कॉलोनी कहां पर स्थित है मुझे जानकारी नहीं है। मालवीयनगर, दुर्ग जी०ई०रोड पर स्थित है। ओसवाल स्टील इं० के भागीदारों के निवास के पते मैंने ऊपर बताये हैं वे मालवीयनगर, दुर्ग से अलग जगह पर स्थित हैं।

17. यह कहना गलत है कि मैंने जो ट्रंक शब्द टायपिस्ट की गलती से छूटना बताया है वह गलत बताया है। यह कहना सही है कि मेसर्स ओसवाल स्टील इंडस्ट्रीज का अस्तित्व रिकार्ड मेरे व्दारा लाये गये हैं उसके आधार पर नहीं है। मेसर्स ओसवाल स्टील इंडस्ट्रीज के कौन भागीदार हैं यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई।

18. पुलिस ने मेरा बयान लिपिबद्ध किया था। मेरे बयान में पुलिस ने मेरे दस्तखत भी लिये थे। मैंने पुलिस को जो बयान दिया था वह मैंने अपने कार्यालय के अभिलेख के आधार पर उनका अध्ययन कर सही जानकारी दी थी। मैं बिना बयान देखे आज नहीं बता सकता कि मैंने क्या बताया था। प्रदर्श पी-58 में चौथे नंबर के कॉलम में जो जानकारी दी गई है वह सही है, परंतु उसमें ट्रंक शब्द छूट गया है। कंडिका-4 में दिये गये भागीदारों के नाम वास्तव में ओसवाल स्टील ट्रंक इंडस्ट्रीज के भागीदारों के नाम हैं। यह बात ठीक नहीं है कि पार्टनर्स के रिक्वेस्ट पर ओसवाल स्टील ट्रंक इं० का नाम बदलकर ओसवाल स्टील इं० कर दिया गया है।

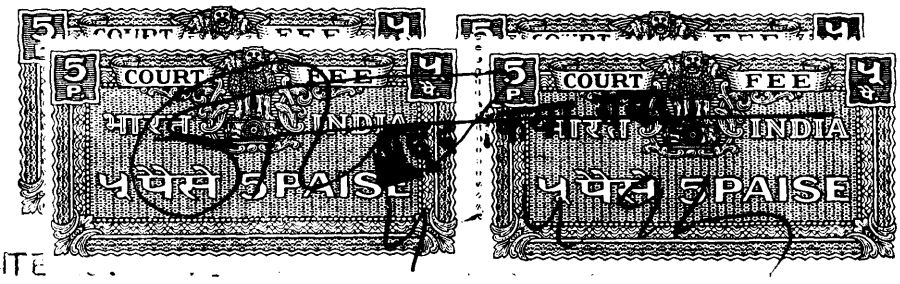

80

बयान

प्रदर्श डी-4 में ज से अ का बयान "ऑन दी - - - - - - - - - - अंडरप्रोज" नहीं दिया था। मैंने अन्वेषण अधिकारी को जो बयान दिया था उसमें मैंने हस्ताक्षर किये थे।

प्रश्न:- प्रदर्श डी-54 पर आपके हस्ताक्षर कहीं पर भी नहीं हैं।

यह प्रश्न पूछने पर अभियोजन की ओर से आपत्ति की गई।

आपत्ति निरस्त की गई।

19. बयान मैंने अपने हाथ से लिखकर नहीं दिया था। मैं नहीं कह सकता कि प्रदर्श डी-4 का बयान मेरे व्दारा दिया गया है अथवा नहीं। प्रदर्श डी-4 को साक्षी को दिखाये जाने में अभियोजन की ओर से आपत्ति की गई, जो निरस्त किया गया।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री धुरंधर, अधि0 वास्ते अभियुक्त पल्टन.

20. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त बलदेव, चंद्रबक्श, अभयसिंह, ज्ञानप्रकाश, अवधेश,

21. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(हस्ताक्षर)

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0।

(हस्ताक्षर)

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग । म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि

(हस्ताक्षर)

प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

...n received on 2-3-95

...ld to 11-3-95

...n 4-4-95

... or 2-3-95

...n ....

5 ... 30-3-95

6 ...

7 ...

8 ... 4-4-95

... with ...

...on

4-4-95

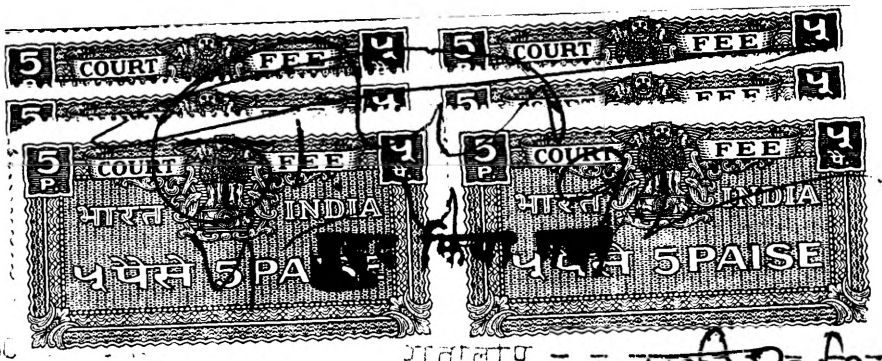

COURT FEE 5 पैसे 5 PAISE भारत INDIA

80

एतत् आतालाप - स्वामी अग्निवेश - की जो कि श्री

1094/95

जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/90 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

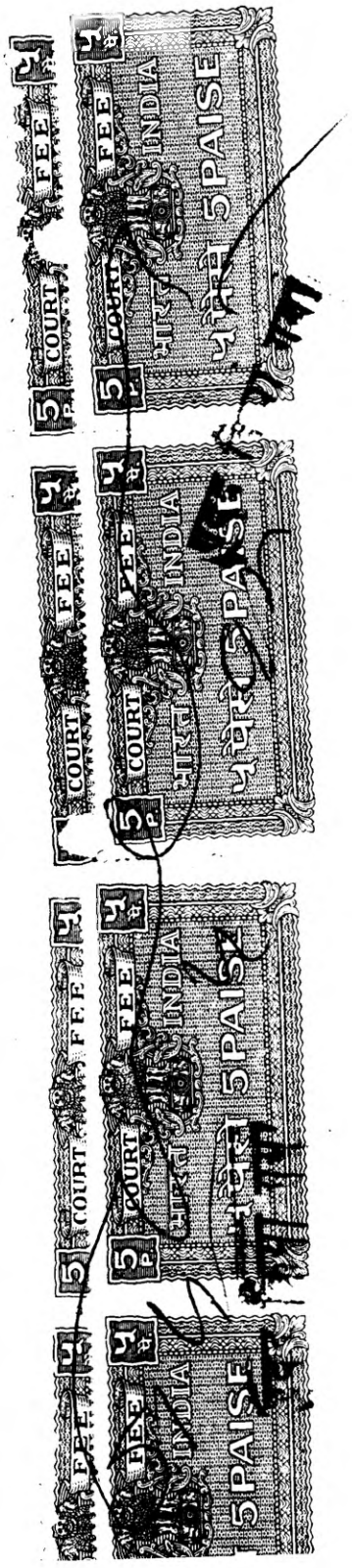

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटेलाल,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्हौी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्स सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-38, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सैनी आ0 रावेल सिंह सैनी
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

COURT FEE 5 पैसे 5 PAISE भारत INDIA

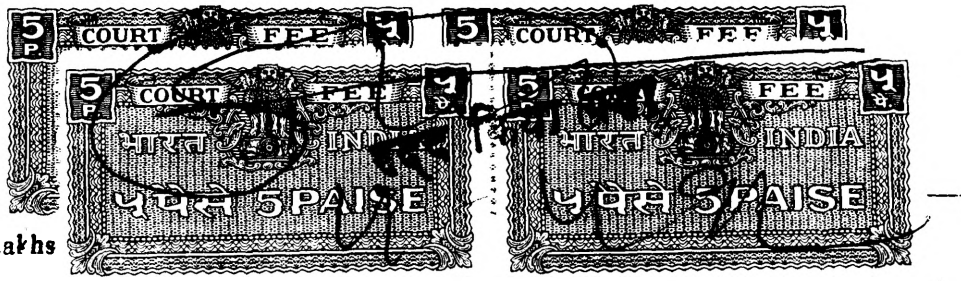

2 [illegible]

ЗRPI-153-7Lakhs

II-157
C. J.

Witness No. 13 for अभियोजन की ओर से Deposition taker the 20-12-94 day of Witness's apparent age 55 वर्ष

States on affirmation my name is स्वामी अग्निवेश

of स्वामी दयानंद सरस्वती occupation स्वामीजी

ress सात जंतर-मंतर रोड, नई दिल्ली-1.

शपथपूर्वक :-

1. मैं छ0मु0मोर्चा के नेता शंकर गुहा नियोगी को जानता हूं अच्छी तरह से श्री नियोगी छ0मु0मोर्चा से संबंधित मजदूरों को उसकी बेहतरी के लिये, उनकी समस्याओं तथा उनके समाधान के लिये कार्य करते थे। छ0मु0मोर्चा के मजदूर शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में शोषण के लिये तथा अन्याय के खिलाफ एवं संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये तथा मानव अधिकारों के लिये संघर्ष कर रहे थे। यह संघर्ष शराब माफिया, जिसमें विशेषकर केडिया डिस्टलरी तथा भिलाई इंडस्ट्रीज के उद्योगपतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे।

2. 1 सितमबर 91 को शंकर गुहा नियोगी के साथ में मैं तथा अन्य छ0मु0मोर्चा के नेता जैसे भीमराव बागड़े, एक बहनजी वगैरह राष्ट्रपति महोदय से मिले थे। उस जमाने में श्री वेंकटरमण राष्ट्रपति थे। 50 हजार मजदूरों का हस्ताक्षरित ज्ञापन नियोगी जी ने राष्ट्रपति जी को सौंपा था। उक्त ज्ञापन मैंने देखा था। उस ज्ञापन में जो समस्यायें मजदूरों की थी, जो कि राष्ट्रपति महोदय को दिया गया था उसकी कापी प्रदर्श पी-62 है। पी-62

3. राष्ट्रपति जी को मुख्य रूप से श्री नियोगी ने बताया था कि हम अपने जीने के अधिकार के लिये संघर्ष कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों के लिये। न्यायोचित मजदूरी के अधिकार तथा कांट्रेक्ट लेबर एक्ट के तहत जो अधिकार प्राप्त है, वे अधिकार-हमसे छीने जा रहे हैं और मजदूर इनके लिये शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। तथा नियोगी ने यह भी कहा था कि मजदूरों के संगठन और मनोबल को तोड़ने के लिये मालिकों के गुंडे उन पर प्राणघातक हमले कर रहे हैं + और उन्होंने यह भी कहा कि उनके जीवन को भी खतरा है।

~~4. राष्ट्रपति जी ने शालीनता के ढंग से और आश्वासन के ढंग से कहा कि~~

[illegible]

तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा और यह भी कहा कि मैं उक्त ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को भिजवाऊंगा तथा इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि श्रम मंत्री जी से मिलिये। श्रम मंत्री इस्तीफा देकर चले गये थे, इसलिये श्रम मंत्रालय का कार्य कोयला मंत्री श्री पी०ए०सम्मा देख रहे थे। इनसे भी मिलने की हमें उन्होंने सलाह दी थी। हमने उनसे यह भी कहा था म०प्र० के मुख्यमंत्री को भी उक्त ज्ञापन भेजा जाये, जिससे कि वे हमें सुरक्षा प्रदान करें। विशेषकर नियोगी जी और उनके साथी, जो संघर्ष कर रहे थे तथा हम सबकी सुरक्षा के लिये कहा था। स्वतः कहा कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं था।

5. शंकर गुहा नियोगी प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हाराव से भी मिले तथा इसी ज्ञापन की प्रति उन्हें भी प्रदान किये, यह प्रतिलिपि प्रधानमंत्री जी को संबोधित थी। इसके अलावा वी०पी०सिंह पूर्व प्रधानमंत्री तथा लालकृष्ण आडवानी से भी इसी दौरान नियोगी जी मिले थे। जार्ज फर्नांडीज से भी मिले थे। हमने अपनी उक्त समस्याओं की जानकारी श्री नियोगी जी के मुख्य नेतृत्व में इन नेताओं को दी थी।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री राजेन्द्रसिंह, अधि०</u> वास्ते अभि० मूलचंदशाह एवं नवीन शाह.

6. श्री नियोगी हट्टे-कट्टे तंदरूस्त आदमी थे। नियोगी जी को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि ये भूख पीड़ित हैं अथवा पहनेनओढ़ने को नहीं मिलता है। श्री नियोगी जनता दल के नेता नहीं थे। मैं भी जनता दल में नहीं हूं। मैं दिल्ली में जनता दल के कार्यालय में नहीं रहता हूं। सात जंतर-मंतर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में मुझे सरदार पटेल ट्रस्ट की ओर से रहने के लिये जगह दी गई है। यह बिल्डिंग बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत से कार्यालय हैं।

7. मुझे जहां तक याद है कि पुलिस ने मेरा बयान 22-12-91 को लिया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मेरा पहला बयान 21 अक्टूबर 91 को पुलिस द्वारा लिया गया है। मैंने अपने बयान में पुलिस को नहीं बताया था कि मैं जनता दल के कार्यालय में रहता हूं। मुझे यह स्मरण है कि मेरा बयान 22-12-91 को ही लिया गया है 21-10-91 के बयान की मुझे जानकारी (स्मरण) नहीं है।

8. मेरा जन्म स्थान बिलासपुर जिले का शक्ति तहसील है।

<u>प्रश्न:-</u> क्या नियोगी जी ने बंधुआ मजदूरों के लिये कभी काम किया?

उत्तर:- बंधुआ मजदूर जैसे मजदूरों की मुक्ति के लिये नियोगी जी ने अपना जीवन समर्पित किया।

2 ~~

गवाह नं0/-

9. दल्लीराजहरा क्षेत्र में मैंने बंधुआ मजदूरों के मुक्ति के लिये कार्य नहीं किया है । नियोगी जी से मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध था । नियोगी जी दिल्ली जब कभी आते थे तो मेरे पास ही रूका करते थे । नियोगी जी ने राजनांदगांव कपड़ा मिल में आंदोलन शुरू किया था । इस आंदोलन में पुलिस को गोली चलानी पड़ी तो मैं भी बाद में गया था । मैं सन् 87-88 में इस सिलसिले में राजनांदगांव गया था । नियोगी जी ने मुझे 84 में राजनांदगांव से एम0पी0 के लिये चुनाव लड़वाया था । बाद में कहा कि नियोगी जी ने मदद किया था । मैं उस समय जनता पार्टी का था । मैं नियोगी के आग्रह पर चुनाव नहीं लड़ा था ।

10. मैं रायपुर वाले राजेन्द्र श्याल को भी जानता हूं । राजेन्द्र श्याल पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के राष्ट्रीय संगठन सचिव थे । राजेन्द्र श्याल के यहां भी मेरा रायपुर में आना-जाना होता था । राजनांदगांव के चुनाव में मैं हार गया था । 19 दिसम्बर को दल्लीराजहरा में वीर नारायणसिंह दिवस छ0मु0 मोर्चा की तरफ से मनाया जाता है । यह दिवस मुझे लगता है कि सन् 78-78 के बाद से मनाया जाता है । दल्लीराजहरा, बालोद, रायपुर, भिलाई आदि स्थानों में, जिन स्थानों पर भी यह दिवस मनाया जाता है वहां मैं प्राय: जाया करता था ।

11. 21-10-91 को पुलिस बयान में मेरे निवास के संबंध में यदि जनता दल कार्यालय उल्लेखित है तो यह बात गलत है । प्रदर्श डी-5 के कथन में अ से अ जनता कार्यालय, नई दिल्ली गलत लिखा हुआ है । प्रदर्श डी-5 में ब से ब 1984 - - - हेतु गया था का बयान मुझे याद नहीं है, परंतु उसमें उल्लेखित "आग्रह" शब्द गलत लिखा हुआ है ।

12. मुझे राजेन्द्र श्याल का बंधुआ मुक्ति मोर्चा से जुड़ने की जानकारी है । राष्ट्रपति के इजाजत पर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिल सकता है । कोई भी संगठन यदि राष्ट्रपति से आवेदन देकर मिलना चाहें तो वे नहीं मिलते हैं । राष्ट्रपति जी से नियोगी जी की मुलाकात मेरे मार्फत हुई थी । नियोगी जी के साथ लगभग 7-8 लोग राष्ट्रपति जी से मिलने गये थे ।

13. मुझे स्मरण नहीं है कि 91 में छ0मु0 मोर्चा में कितने मजदूर सदस्य थे । बंडल के आधार पर मैंने अंदाज लगाया कि लगभग 50 हजार मजदूरों के हस्ताक्षर थे । मैंने बंडल खोलकर देखा था । इस बंडल में कितने पृष्ठ थे आज मैं नहीं बता सकता । मैंने इन बंडलों के 2-4-6-10 पृष्ठों का अवलोकन किया ।

J.K.S.R...

मैंने अधिकतर हस्ताक्षरित देखे थे, अंगूठे नहीं देखेथे । मुझे नहीं मालूम कि ये हस्ताक्षर किन व्यक्तियों के थे । नियोगी जी के साथ 100 से अधिक मजदूर दिल्ली आये थे । ये किसी धर्मशाला में ठहरे थे ।

14. 22-12-91 के बयान में मैंने अपना रिहायशी जनता दल कार्यालय अंकित नहीं कराया था । प्रदर्श डी-6 में अ से अ जनता दल/कार्यालय ॥ऑफिस॥ मैंने अंकित नहीं कराया था । यह कहना सही है कि हम लोग वी0पी0 सिंह से इसलिये मिलने गये थे, क्योंकि वे जनता दल के नेता था । जार्ज फर्नांडीज भी उस समय जनता दल के नेता था । आडवानी के पास पटवा जी की शिकायत लेकर गये थे ।

15. मुझे नहीं मालूम कि नियोगी जी सिलीगुड़ी के रहने वाले थे । नियोगी जी वेस्ट बंगाल के थे यह मुझे मालूम है । मुझे नहीं मालूम कि मजदूरों के लिये नियोगी जी ने वेस्ट बंगाल में कोई कार्य किया । मेरी जानकारी में यह नहीं है कि नियोगी जी ने कभी विश्व मानव संगठन को कोई चिट्ठी लिखी थी । मेरी जानकारी में यह भी नहीं कि नियोगी जी ने सर्वोच्च न्यायालय को इस संबंध में पत्र ॥याचिका॥ दायर किया था । मेरी जानकारी में यह भी नहीं कि नियोगी जी ने मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुये कोई याचिका उच्च-न्यायालय में दायर की थी । मुझसे बातचीत के दौरान नियोगी जी ने यह कहा था कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है । मुझे यह मालूम है कि मजदूरों को यदि न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है तो वे लेबर कोर्ट में कार्यवाही कर सकते हैं । छ0मु0 मोर्चा के के किसी भी मजदूर ने इस संबंध में लेबर कोर्ट में कार्यवाही की मुझे जानकारी नहीं है ।

16. मेरी जानकारी में नियोगी जी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा किसी और मंत्री से नहीं मिले/ या मिले नहीं मालूम परन्तु लेबरकमिश्नर से मिलने गये । यह कहना गलत है नियोगी जी ने अपने जान के खतरे के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को नहीं बताया । साक्षी स्वतः कहता है कि नियोगी जी अपने आपको मजदूरों में शामिल मानते थे । नियोगी जी ने कभी किसी फैक्टरी में मजदूरी नहीं की । नियोगी जी सन् 77 में अपना सामाजिक जीवन एक मजदूर की हैसियत से दल्ली-राजहरा में प्रारंभ किये । मुझे नियोगी जी के मजदूरी के संबंध में व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है । सन् 90-91 में नियोगी जी मजदूर नहीं थे ।

80

गवाह नं:- 13 पेज नं:- 3

17. प्रदर्श डी-5 और 6 के बयान में नियोगी जी ने अपने जान के खतरे की बात कही वह मेरे बयान में क्यों नहीं लिखा गया है मुझे नहीं मालूम ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

18. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री धुरंधर, अधि० वास्ते अभियुक्त पल्टन.

19. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० बलदेव, चंद्रबख्श, अभयसिंह, ज्ञानप्रकाश एवं अवधेश.

20. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
(के०के०एस०राजपूत)	(के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि

कार्या. जिला ... न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

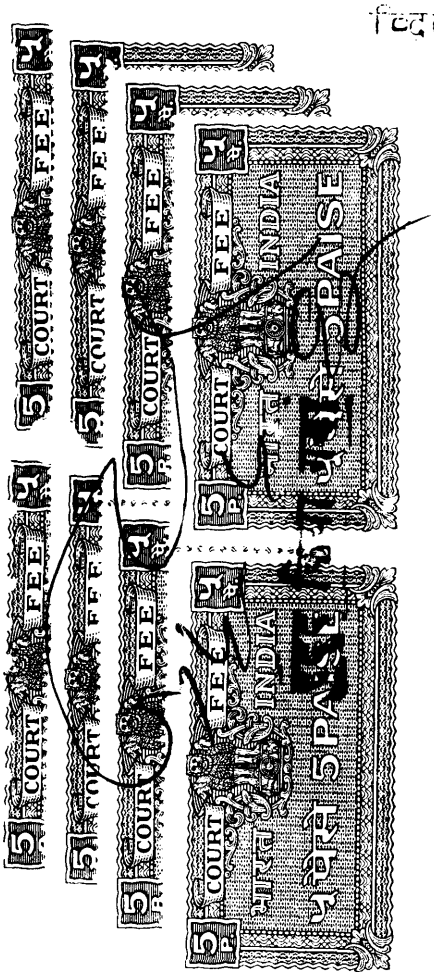

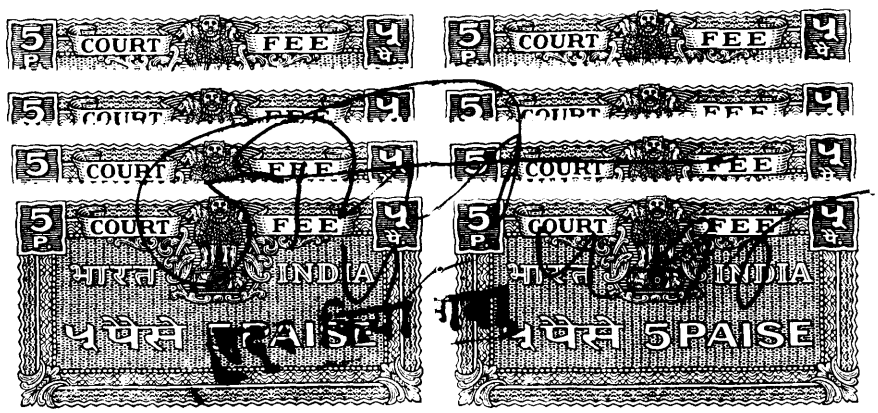

...tion received on 9.3.95

...told to 11.3.95

4.4.95

4 ... 9.3.95

5 ... 30.3.95

6 ...

7 ...

8 ...

4.4.95

4.4.95

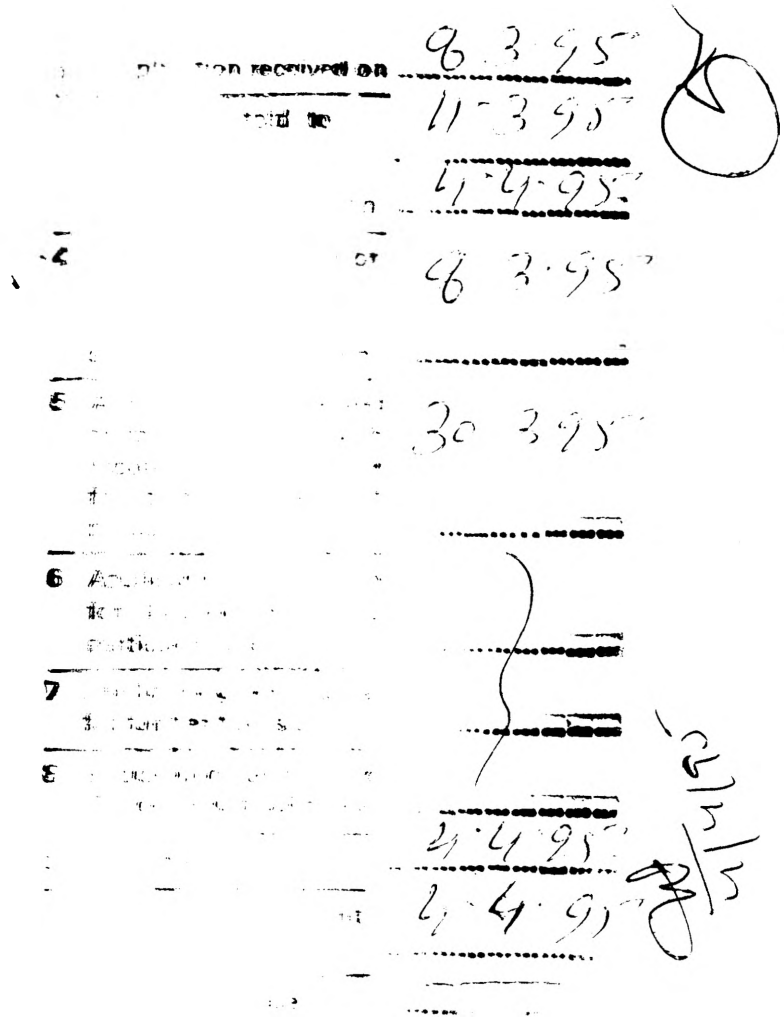

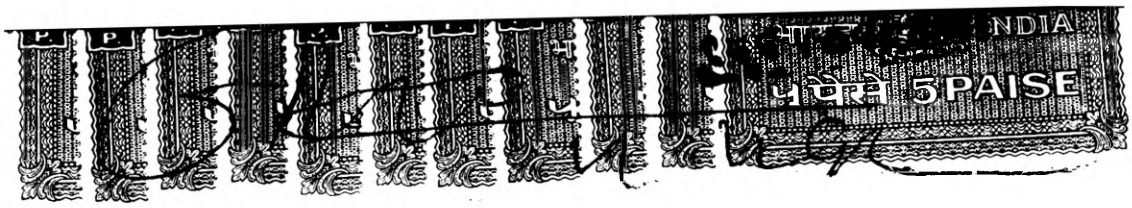

एस०सी०सी०आर०नं० 1094/95

प्रतिलिपि - निगम अहल्या - - - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-38, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेठू आ० रावेल सिंह सेठू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

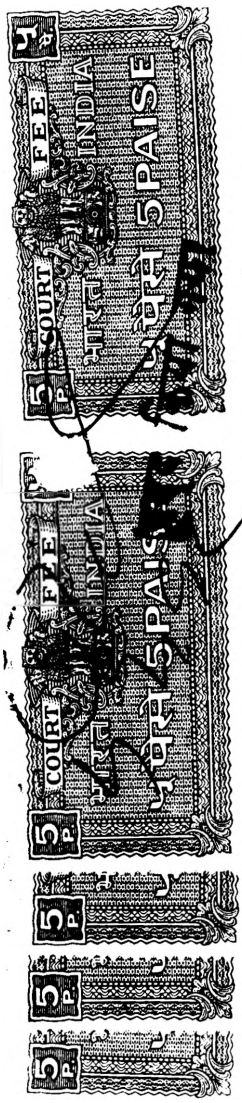

1-60

GRPI-153-7Lakhs-8-92 | II-157 / C. J.

Witness No. 17 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 1-2-95 day of .... Witness's apparent age 52 साल

States on affirmation my name is विजय शुक्ला

son of श्री एस०के० शुक्ला occupation नगर-निरीक्षक

address थाना-भिलाई भट्ठी

शपथपूर्वक :-

1. मैं दिनांक 30-9-91 को थाना राजहरा में थाना-प्रभारी के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को मुझे 15.40 बजे दोपहर श्रीमती आशा गुहा नियोगी द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था । इस रिपोर्ट पर से मैंने रोजनामचा सान्हा क्र०- 2298 दर्ज किया था । उक्त रोजनामचा सान्हा की असल लेकर आया हूं, जिसकी सत्यप्रतिलिपि मैं आज न्यायालय में पेश कर रहा हूं, जो प्रदर्श पी-110 है, उक्त आवेदन-पत्र प्रदर्शपी-111 है । इन पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-110, 111

2. नियोगी जी की हत्या का प्रकरण चूंकि भिलाईनगर थाने में दर्ज हो चुका था, इसलिये मैंने यह आवेदन-पत्र और रोजनामचा की नकल थाना भिलाई भेज दिया था ।

3. प्रदर्श पी-49 का जो आवेदन-पत्र है उसे मैंने ए०एस०आई० योगेन्द्र मिश्रा को जांच कर रिपोर्ट करने के लिये दिया था । प्रदर्श पी-49 पर मेरे हस्ताक्षर हैं । ए०एस०आई० योगेन्द्र मिश्रा ने मुझे रिपोर्ट किया कि धमकी भरा पत्र थाना नागपुर क्षेत्र से आया है, जहां से नियोगी जी को धमकी मिल रही है । मैंने इसे थाना नागपुर भिजवा दिया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

4. प्रदर्श पी-104 में आइटम नं०-2 में जिस पत्र का उल्लेख है वह मुझे मिला था, लेकिन बिना पत्र देखे मैं नहीं बता सकता कि वही पत्र जप्त किया गया था या नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं ।

[signature]

प्रति... जिला एवं सत्र
दुर्ग (म.प्र.)

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभयकुमार सिंह, ज्ञानप्रकाश, अवधेश रॉय, चंद्रबक्श एवं कादेव.

6. प्रदर्श पी-50 (49) पर यह उल्लेखित है कि मूल प्रति एस०पी०, दुर्ग को भेजी गई है और फोटोप्रति थाने भेजी गई थी ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।
(हस्ताक्षर)
(जे०के०एस०राजपूत)
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(हस्ताक्षर)
(जे०के०एस०राजपूत)
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
(हस्ताक्षर) 4/4/95
... प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या... जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1 Application received on ... 8-3-95
2 Applicant told to ... 11-3-95
3 ... 4-4-95
4 ... 8-3-95
5 ... 30-3-95
6 Applicant ... for further ... particulars on ...
7 Applicant given notice for further ... on ...
8 Notice in column (6) or (7) complied with on ... 4-4-95
9 Copy ready on ... 4-4-95
10 ... delivered or sent ...

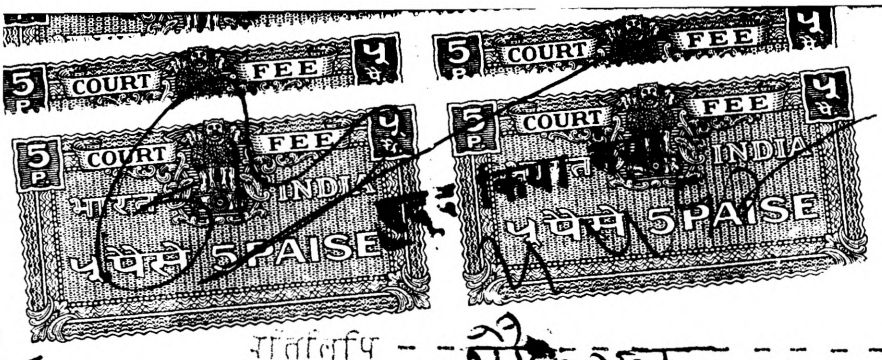

08.

एस०सी०एस०नं०
1094/95

प्रतिलिपि --शौकत २सा----- की जो कि श्री के. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाहर आटा चक्की, कैम्प-1, रोड़ नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड़ नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग
6. नयान शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टूटू आ० रावेल सिंह टूटू
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

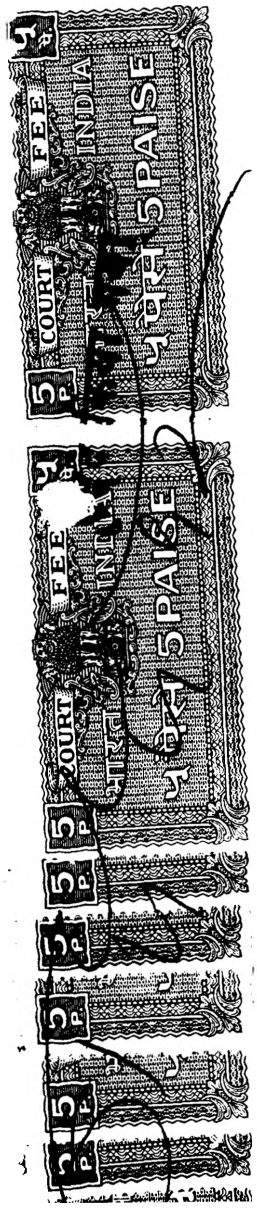

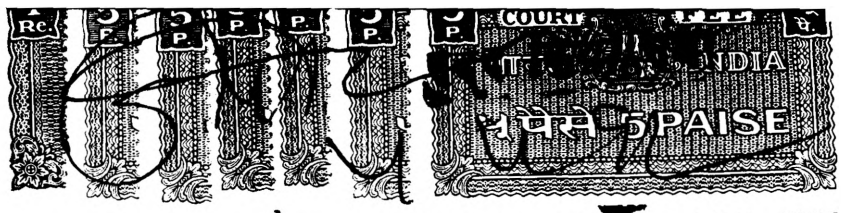

COURT FEE INDIA 5 PAISE

1-6

G PJ-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. 18 for अभियोजन की ओर से Deposition taken
on 1-2-95 day of Witness's apparent age 42 वर्ष
States on affirmation my name is ओमकार प्र. अग्रवाल
son of श्री एम0आर0अग्रवाल occupation ए0एस0आई0
address थाना-पुरानी भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. मैं पुरानी भिलाई में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। दिनांक 17-9-90 को मैं थाना जामुल में पदस्थ था। आज मैं असल रोजनामचा 944 दिनांक 17-9-90 साथ लेकर आया हूं, जिसकी प्रतिलिपि प्रदर्श पी-42 है। इस पर से मुकदमा दर्ज हुआ था। तहकीकात किया तहकीकात में कुछ नहीं पाया तो खात्मा कर दिया।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवाबशाह.

2. रिपोर्टकर्ता सूर्यदेव वर्मा भिलाई वायर्स में काम करता था। भिलाई वायर्स का सिम्पलेक्स ग्रुप से कोई संबंध नहीं है। उस दिन सभी उद्योगों में ~~छछछछछ~~ जामुल के हड़ताल था। उस दिन बी0के0इंडस्ट्रीज, बी0ई0सी0इं0, इंडिया डिस्टलरी, विश्व विशाल जनरल फैब्रिकेटर्स और भिलाई वायर्स में हड़तालें थीं।

3. जब इन उद्योगों से आते हैं तो इनके रास्ते आकर एक मैदान में मिलते हैं, जो सिम्पलेक्स कॉस्टिंग के सामने है। ज्यादातर उस मैदान में अलग-अलग उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति इसी मैदान में आकर इकट्ठे होते हैं और जुलूस जाते हैं। मुझे किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया था कि मारपीट करने वाला कौन व्यक्ति है, इसलिये खात्मा भिजवाया था। सूर्यदेव ने अपने रोजनामचा में यह लिखाया था कि प्रायव्हेट अस्पताल में ईलाज कराया था। कौन से अस्पताल में ईलाज कराया था यह उसने नहीं बताया था। सूर्यदेव के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था।

4. बहुत से भीख मांगने वाले पैर में प्लास्टर चढ़ाकर लंगड़ा कर चलते हैं और भीख मांगते हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

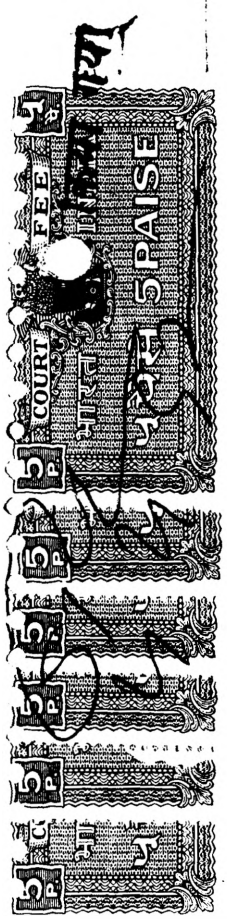

कार्या. जिला एवं सत्र
दुर्ग (म.प्र.)

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 अभयकुमार सिंह, ज्ञानप्रकाश, अवधेश रॉय, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
॥ जे0के0एस0राजपूत ॥	॥ जे0के0एस0राजपूत ॥
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ॥म0प्र0॥	दुर्ग ॥म0प्र0॥

सत्यप्रतिलिपि
5/4/95
प्रभारी प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1 Application received on 8.3.95
2 Applicant told to ... 11.3.95
3 Applicant ... 4.4.95
4 Application ... with ... or ... sent ... 8.3.9
5 App... from ... record ... for ... particulars ... 30.3.
6 Applicant given ... for further or ... particulars ... 4.4.95
7 Applicant ... for further ... 4.4.9

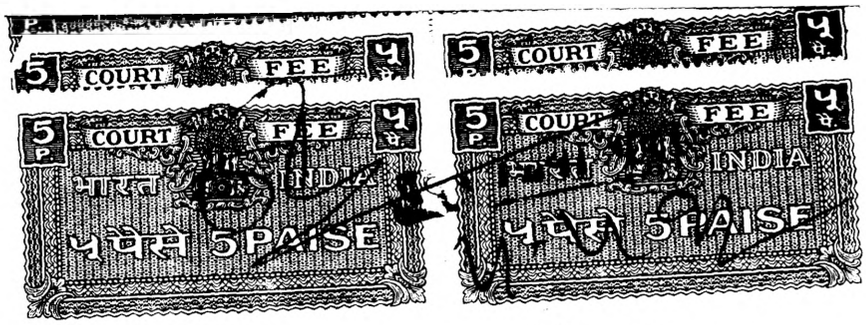

080

COURT FEE 5 PAISE

एस०सी०टी०एस०नं०
1094/95

प्रतिलिपि पी०वी० नायर ---- की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

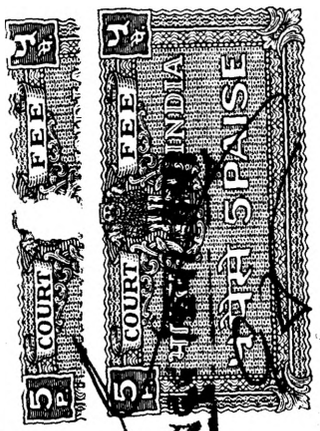

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. भानुप्रकाश मिश्रा उर्फ भानू आ0 छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 16, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई ।
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्हौी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)

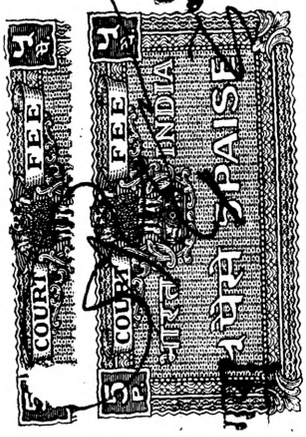

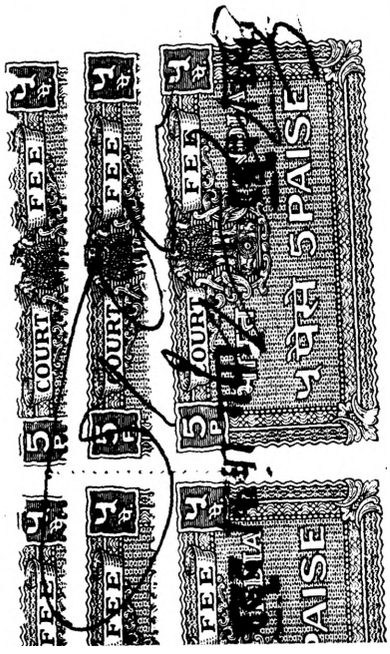

चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, एच0सी0एल0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

बल्देव सिंह संधू आ0 रावेल सिंह संधू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

Witness No. 19 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 1-3-95 day of .... Witness's apparent age 44 वर्ष

States on affirmation my name is पी0बी0नायर

son of श्री पी0के0पी0नायर occupation सर्विस

address क्वा0नं0-16एफ, स्ट्रीटनं0-22, से0-2.

<u>शपथपूर्वक</u> :-

1. मैं भिलाई स्टील प्लांट के टाउन इं0 डिपार्ट में (सिविल) 1973 से कार्यरत हूं । बी0एस0पी0 के मकानों का आबंटन स्टेट डिपार्टमेंट से होता है । स्टेट डिपार्टमेंट से मकान एलॉटमेंट होने के बाद आधिपत्य प्रदान करने की जिम्मेदारी टी0इं0डी0 की है । एलॉटमेंट हो जाने के बाद मेरे विभाग टी0इं0डी0 (सिविल) में एलॉटी के हक में आकूपेशन रिपोर्ट बनाई जाती है और उसको फिजिकल ऑकूपेशन हम लोग देते हैं और उसके सिलसिले में एलॉटी के हस्ताक्षर लेते हैं । क्वा0नं0-7जी लेबर कैम्प नं0-1 एलॉटमेंट ऑर्डर प्रदर्श पी-112 के द्वारा लतलूराम हेल्पर को एलॉट हुआ था । प्री-112
पी-112 पर अ से अ भाग पर राजकुमार हंसा स्टेट मैनेजर के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें मैं पहचानता हूं, क्योंकि मैंने उनके और कागजातों पर भी हस्ताक्षर देखे हैं ।

2. इस एलॉटमेंट ऑर्डर के आधार पर हमारे ऑफिस से ऑकूपेशन रिपोर्ट तैयार की गई, जो तीन प्रतियों में होती है, जो कार्बन से बनाई जाती है । उनमें से एक प्रति प्रदर्श पी-113 है, जो ऑफिस कापी है । पी-113 पर रामस्वरूपराम के अ से अ पी-11
भाग पर हस्ताक्षर हैं, जो मैं पहचानता हूं । यह मेरे साथ काम करते थे, जिन्हें मैंने हस्ताक्षर करते देखा है । इस क्वार्टर का कब्जा देने के संबंध में लतलूराम के भी हस्ताक्षर पी-113 पर लिये गये थे । पी-113 दिनांक 26-4-88 का है । उसी तारीख को मकान का कब्जा लतलूराम को दिया गया था ।

3. क्वा0नं0-6एफ0 लेबर कैम्प-1 भिलाई स्टील प्लांट का सी0आई0एस0एफ0 के नाम एलॉट हुआ था । इस ऑकूपेशन रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट बनी वह पी-114 है । इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जो अ से अ भाग पर हैं । इस क्वार्टर का पी-114
कब्जा 28-1-91 को दिया गया था । इस क्वार्टर का कब्जा सी0आई0एस0एफ0 के एक अफसर को दिया गया था, जिसके नाम मैं नहीं जानता ।

प्रतिलिपि ... जिला एवं सत्र न्याया...
कार्या जिला एवं ... दुर्ग (म.प्र.)

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह एवं नवीन शाह.

4. मकान के कब्जा देने के समय मैं स्वयं जाता हूं । मकान को दिखाकर मैं भौतिक कब्जा दे देता हूं । सी०आई०एस०एफ० से मेरा अर्थ सेन्ट्रल इं० सिक्यूरिटी फोर्स से है । यह फोर्स सिपाहियों का फोर्स है । सी०आई०एस०एफ० के 4-5 आदमियों (सिपाहियों) का समूह मकान के संबंध में मेरे पास आया था । इन 4-5 आदमियों में से एक सिपाही ने मकान का कब्जा प्राप्त किया और अपना ताला लगा दिया । क्वा०नं०-6एफ० में मेरा ताला नहीं लगा हुआ था, पुलिस को बुलवाकर बाईफोर्स खाली करवाकर सी०आई० एस०एफ० को दिया गया था । मैं आज यह नहीं बता सकता कि यह मकान सी०आई०एस० एफ० के कब्जे में कब तक रहा । आज यह मकान सी०आई०एस०एफ० के कब्जे में है या नहीं मैं नहीं बता सकता ।

5. जिस व्यक्ति को मकान का कब्जा दिया जाता है वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उस मकान को सबलेट कर सकता है या नहीं यह मुझे नहीं मालूम । मैं ललूराम को भी मकान का कब्जा देने गया था । कब्जा देने के बाद ललूराम मकान में रहा या नहीं रहा इसका वेरीफिकेशन नहीं होता है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पलटन.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभयकुमारसिंह, ज्ञानप्रकाश, अवधेश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

8. क्वा०नं०-6एफ० किस व्यक्ति से खाली कराकर सी०आई०एस०एफ० वाले को कब्जा दिया गया था उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता तथा उसका नाम भी मैं नहीं जानता । विद्युत विभाग से इन मकानों में मीटर रीडिंग के लिये एक व्यक्ति हर महीने जाता है या नहीं जाता है यह मैं नहीं जानता । यह बात सही है कि जो व्यक्ति प्रतिमाह मीटर रीडिंग नोट करता है वह उक्त रीडिंग को पर्सनल डिपार्टमेंट एलॉटी आदमी के भेजता है, जिसके माहवारी तनख्वाह से उस बिल की कटौती होती है ।

गवाह नं0:- 19 पेज नं0:- 2

9. यह कहना सही है कि यदि एलॉटी व्यक्ति अपने मकान में अपने मकान में न रहे और उसके तनख्वाह से विद्युत का बिल कटे तो वह जरूर आपत्ति करेगा ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

J.K.S. Rajput

(जे0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

J.K.S. Rajput

(जे0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
प्रभारी प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

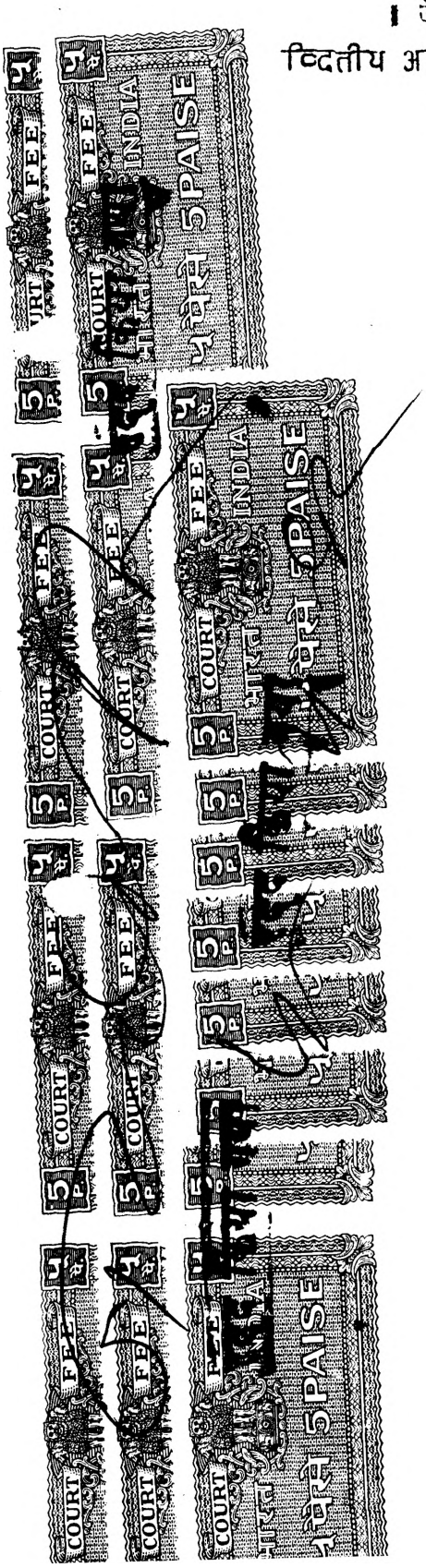

1 Application received on 8.3.95

2 Applicant told to ... 11.3.95

3 ... 4.4.95

4 ... with ... sent ... 8.3.95

5 Applicant ... from re... record ... for further ... particulars ... 30.3.95

6 Applicant given notice for further or correct particulars on

7 Applicant given notice for further funds on

8 Notice in column ... complied with on

... on 4.4.95

... 4.4.95

कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

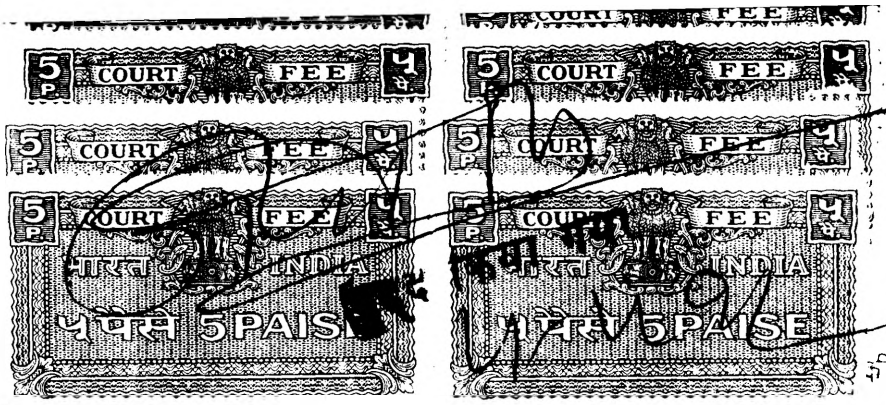

1094/95

080

लतलू राम

श्री जो कि श्री
जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय
में सत्र प्र0क्र0 233/90 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन- जी-38, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ0 राघेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

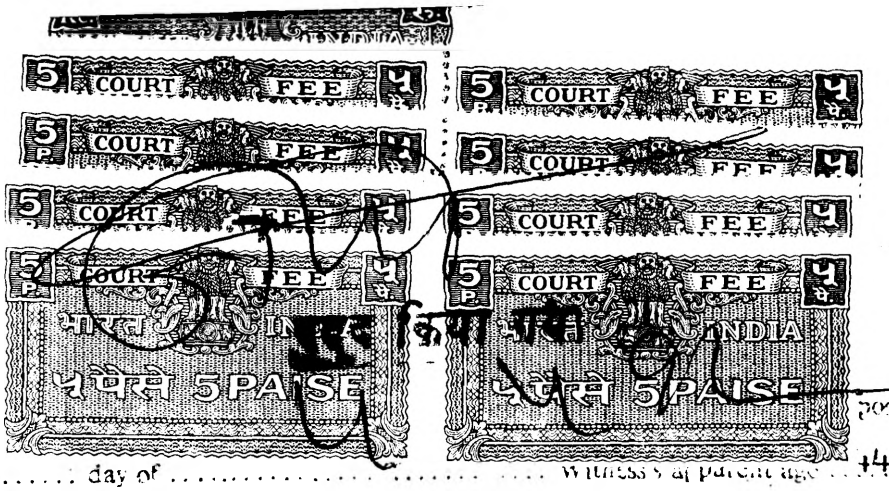

1-60

GRPJ-153-7Lakhs-   II-157
C. J.

Witness No. ....   position take

1-3-95 .... day of .... Witness's apparent age ... 44 वर्ष

States on affirmation   my name is ... लितलूराम

son of .... श्री दौवाराम .... occupation सर्विस बी0 एस0पी0.

Address ...... कैम्प-1 ....

शपथपूर्वक :-

1. मैं बी0एस0पी0 में 1979 से कार्यरत हूं । मैं पहले खलासी था, इसके बाद मैं क्रेन ऑपरेटर हूं । मैं अभियुक्त अभयसिंह को जानता हूं । वह आज अदालत में मौजूद है । यह भी बी0एस0पी0 में मेरे साथ काम करता था ।

2. मैंने बी0एस0पी0 में मकान एलॉटमेंट के लिये आवेदन दिया था । 7जी, कैम्प-1 मुझे एलॉट हुआ था । सन् 1988 में एलॉट हुआ था । उस क्वार्टर के एलॉटमेंट रिपोर्ट प्रदर्श पी-112 है और इस क्वार्टर का कब्जा दिनांक 26-4-88 को मैंने लिया था । इसकी ऑकूपेशन रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर ब से ब भाग पर हैं, जो प्रदर्श पी-113 है ।

3. कैम्प-1 में इस मकान के एलॉट होने के पहले मैं झोपड़ी में रहता था । मैंने इस क्वार्टर को अभियुक्त अभयसिंह को 100/- रूपये माहवार पर किराये से दिया था । इतना ही रूपया मेरे तनखवाह से कटता था । एलॉटमेंट के तुरंत बाद ही इस मकान को मैंने अभियुक्त अभयसिंह को कब्जे में दे दिया था । अभियुक्त अभयसिंह मुझे प्रतिमाह 100/- रूपये इस मकान के किराये में देता था । नियोगी जी की हत्या कांड के पूर्व तक अभियुक्त अभयसिंह मुझे किराया देता था । उसके बाद में उसने मुझे किराया नहीं दिया । अब भी अभियुक्त अभयसिंह उस क्वार्टर में रहता है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह

4. अभियुक्त अभयसिंह को जब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था तब तक वह रेगुलरली मुझे किराया देता था । मैंने जब से अभियुक्त अभयसिंह को यह मकान दिया उस समय से अभी तक अभियुक्त अभयसिंह की फैमिली इस मकान में रहती है ।

कार्या. जिला एवं सत्र न्या.
दुर्ग (म.प्र.)

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 अवधेश, अभयसिंह, ज्ञानप्रकाश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

7. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
‡ जे0के0एस0राजपूत ‡	‡ जे0के0एस0राजपूत ‡
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ‡म0प्र0‡	दुर्ग ‡म0प्र0‡

सत्यप्रतिलिपि

5/4/95

प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1 Application received on 8.3.95
2 Applicant told to [illegible] 11.3.95
3 Applicant [illegible] 4.4.95
4 Appli[illegible] sent [illegible] on 8.3.95
5 Applic[illegible] from [illegible] record[illegible] for further [illegible] particular[illegible] 30.3.95
6 Applicant given [illegible] for further or Correct particulars on
7 Applicant given notice for further funds [illegible]
8 Notice in column [illegible] or (7) complied with on 4.4.95
9 Copy ready [illegible] sent 4.4.95

एस०सी०टी०आर०नं० 1094/95

आवेदन - - - - डी पी भट्टाचार्य - - - - - की जो कि श्री के. के. एल. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरु नगर, भिलाई
2. भानुप्रकाश मिश्रा उर्फ भानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नयान शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोनाई मल्लाह,
साकिन- मिभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-36, एच०सी०सी० कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

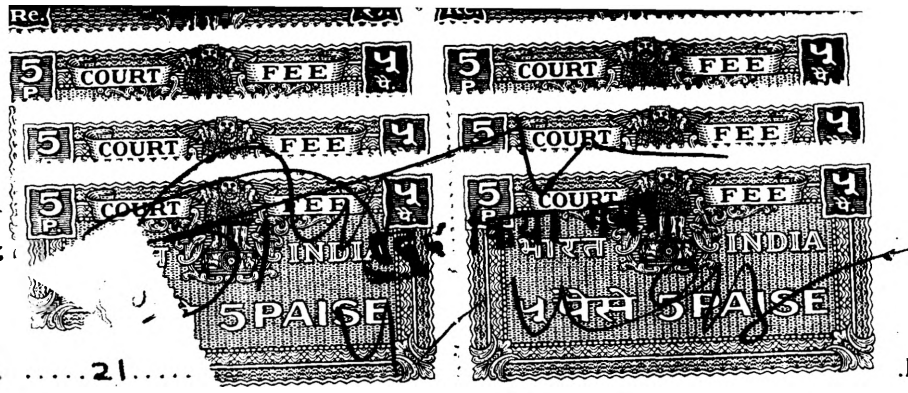

GRPI-153-7 II-157 C. J.

2-w

Witness No. ....21.... Deposition taken the 1-3-95 .... day of .... Witness's apparent age ..44 वर्ष.....

States on affirmation my name is ....डी०पी०भट्टाचार्य..........

son of ....स्वर्गीय एन०के०भट्टाचार्य .... occupation ..सर्विस, सिम्पलेक्स.

address...65 इंडस्ट्रीयल स्टेट, भिलाई.............................

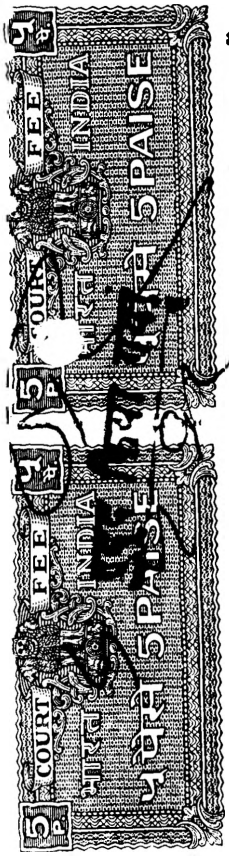

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 1971 से मेसर्स सि० इं०एंड फाउंडरी वर्क्स में कार्यरत हूं । पहले ये प्रायव्हेट कंपनी (फर्म) थी अब पब्लिक लिमिटेड है । आजकल मैं दीपक शाह के पी०ए० के रूप में काम कर रहा हूं । मेसर्स सि०इं० एंड फांउडरी वर्क्स की 3 यूनिट है, जिसमें 2 यूनिट भिलाई में है तथा एक यूनिट टेड़ेसरा-राजनांदगांव में है ।

2. मेसर्स सि०इं० एंड फांउडरी वर्क्स लिमिटेड के एच०बी०शाह चेयरमैन हैं तथा मूलचंद शाह वाइस चेयरमैन तथा नवीन शाह भी वाइस चेयरमैन हैं । मूलचंद शाह तथा नवीन शाह आपस में भाई-भाई हैं । दोनों आज अदालत में उपस्थित हैं । नवीन शाह की सिम्पलेक्स कॉस्टिंग्स फर्म है । इसमें नवीन शाह डायरेक्टर हैं ।

3. एच०बी०शाह दिल्ली में रहते हैं । मेसर्स सि० इं०एंड फाउंडरी वर्क्स की दोनों यूनिटों का कार्य मूलचंद शाह देखते थे, जो भिलाई में स्थित है । टेड़ेसरा यूनिट का कार्य अरविंद शाह देखते थे । उरला में सिम्पलेक्स कॉस्टिंग्स लिमिटेड है । यह भी इसी ग्रुप की कंपनी है । उरला स्थित सिम्पलेक्स कास्टिंग में 90-91 में डी०वी०सिंह काम करते थे ।

4. मैं चंद्रकांत शाह को जानता हूं । चंद्रकांत शाह मूलचंद शाह और नवीन शाह का भाई है । चंद्रकांत शाह का भिलाई में ओसवाल/आयरन एंड स्टील ~~कंपनी~~ वर्क्स कंपनी है । इस कंपनी में क्या काम होता है मैं नहीं बता सकता । मैं राजेश बी०शाह को जानता हूं । राजेश बी०शाह पहले सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग एंड फाउंडरी वर्क्स लि० में काम करते थे । यह मूलचंद शाह वगैरह का भांजा है ।

5. एच०बी०शाह दिल्ली में सन् 83-84 में शिफ्ट हुये थे । वहां पर सेल्स ऑफिस है सि०इंजीनियरिंग का ।

6. मैंने मूलचंद शाह के साथ पी०ए०के रूप में काम किया है । मैंने करीब 4-5

प्रतिलिपि
सत्यापित
जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

साल इनके साथ काम किया है । मैं 90-91 में इनके साथ था ।

7. मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को नहीं जानता । मेसर्स सि0इ0एंड फाउंडर्स वर्क्स में जो हमारे यहां कच्चा माल आता था और उसका प्रोडक्शन होता था उसके संबंध में रिपोर्ट डेली तैयार होती थी । साक्षी अब कहता है कि डेली रिपोर्ट नहीं बनता था महीने में रिपोर्ट तैयार होता था । कच्चा माल जो आता था उसका इंद्राज होता था । माल उत्पादन के संबंध में प्रत्येक माह में स्टेटमेंट रखा जाता था ।

8. हमारी फैक्टरी में प्लानिंग विभाग भी है । माल के उत्पादन के संबंध में प्लानिंग किया जाता था कि कितना माल बनाना है और कितना माल रिजर्व में में रखना है । प्लानिंग सेक्शन यदि महीने में कोई रिपोर्ट बनाता हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है । यह रिपोर्टें मेरे माध्यम से डायरेक्टर के सामने प्रस्तुत करने के लिये नहीं आती थी ।

<u>नोट</u> :- इस अवस्था में सी0बी0आई0 की ओर से श्री सक्सेना ने व्यक्त किया कि साक्षी पक्ष समर्थन नहीं कर रहा है, इसलिये उसे विरोधी घोषित कर प्रति-परीक्षण की अनुमति दी जावे ।

प्रति-परीक्षण की अनुमति केस डायरी कथन के अवलोकन करने के आधार पर प्रदान की जाती है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा <u>श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक</u> वास्ते सी0बी0आई0

9. इस मामले के संबंध में सी0बी0आई0 अधिकारी ने मुझसे पूछताछ किया था । प्रदर्श पी-115 में मैंने अ से अ आई नो श्री ज्ञानप्रकाश मिश्रा - - - - सितम्बर 91" का कथन नहीं दिया था । ज्ञानप्रकाश मिश्रा आज अदालत में उपस्थित हैं । मैं अभी उन्हें पहचानता हूं । प्रदर्श पी-115 में ब से ब आई नो - - - - - - ज्ञानप्रकाश मिश्रा" का बयान भी मैंने सी0बी0आई0 अधिकारी को नहीं दिया था । मैं इस मुकदमे में पूर्व में भी 3-4 बार आहूत किया गया हूं । हर समंस में यह लिखा हुआ प्राप्त होता था कि डिस्पेच एंड प्रोडक्शन स्टेटमेंट मंथली प्लानिंग रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हों । मैंने सी0बी0आई0 के ओमप्रकाश को मौखिक रूप से बताया था कि ये दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध नहीं है, परंतु अदालत में नहीं बताया था । P115

10. मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, इसलिये नहीं बता सकता कि कितना प्रोडक्शन होता था । यह कहना गलत है कि मेरे व्दारा मंथली प्रोडक्शन

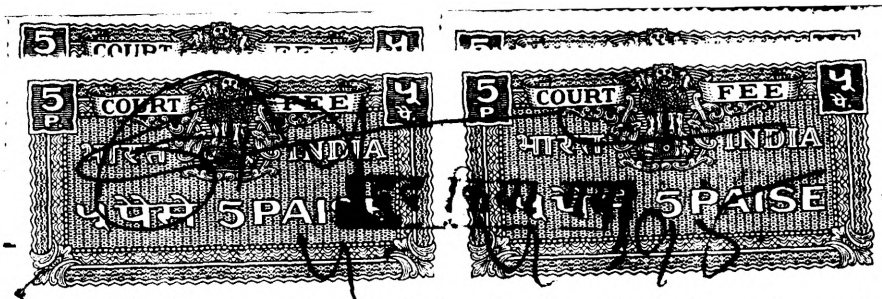

गवाह नं0 :-

रिपोर्ट, मंथली प्लानिंग सेक्शन ऑफ रिपोर्ट, डिस्पेच रिपोर्ट अवलोकनार्थ मूलचंद शाह के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी । प्रदर्श पी-115 का स से स "ऑल दीज स्टेटमेंट - - - - - - - थ्रू मी" का कथन नहीं दिया था ।

11. मैं शंकर गुहा नियोगी को जानता था । शंकर गुहा नियोगीके नेतृत्व में छ0मु0मोर्चा भिलाई में कार्य करता था । हमारे फैक्टरी से छ0मु0मोर्चा मजदूर नहीं निकाले गये थे । यूनिट-1 से कोई छटनी नहीं हुई, जहां मैं काम करता हूं । यूनिट-2, 3 से हुई हो तो मुझे नहीं मालूम । छ0मु0मोर्चा के मजदूरों का हमारे फैक्टरी के खिलाफ भी आंदोलन हुआ तथा अन्य फैक्टरियों के खिलाफ भी आंदोलन हुआ । हमारे फैक्टरी के विरूद्ध आंदोलन में मजदूरों को अच्छा वेतन तथा नौकरी पर वापस लेने के लिये तथा मेडिकल आदि सुविधा के लिये नारेबाजी होती थी तथा हमारे फैक्टरी वालों के खिलाफ गाली-गलौच भी होती थी । इन मांगों के संबंध में यदि ज्ञापन दिया गया हो तो मुझे नहीं मालूम ।

12. शंकर गुहा नियोगी के अगस्त-सितम्बर 90 में भिलाई आने के पूर्व एक दो बार तथा बाद में लगातार हमारे फैक्टरी के खिलाफ आंदोलन हुआ था । मुझे नहीं मालूम कि मजदूर लोग फैक्टरी के सामने लेट जाया करते थे व मजदूरों को फैक्टरी में नहीं जाने दिया करते थे और घेराव करते थे । यह कहना गलत है कि इस आंदोलन की वजह से फैक्टरी के डिस्पेच एंड प्रोडक्शन में कमी आ गई थी ।

13. मेरे समय में एस0नटराजन जनरल मैनेजर थे । वे यूनिट 1 व 2 में थे । विनोद शाह जनरल मैनेजर कामर्शियल थे । इनका काम परचेज मैटर देखना था । मैं विनोद शाह के हस्ताक्षर पहचानता हूं । मुझे नहीं मालूम कि विनोद शाह ने दो सिविल सूट दायर किये थे । मुझे नहीं मालूम कि इस सूट में यह भी लिखा था शंकर गुहा नियोगी और छ0मु0मोर्चा वालों के कारण उनकी फैक्टरी को लाखों का नुकसान रोज का हो रहा है । प्रदर्श पी-115 में मैंने ड से ड "ऑन दी बेसिस - - - रूपीज फिफ्टी लेख्स" का बयान सी0बी0आई0 अधिकारी को नहीं दिया था । मुझे नहीं मालूम कि सी0बी0आई0 अधिकारी ने यह बयान कैसे लिख लिया है, अपना केस बनाने के लिये लिख लिया होगा ।

14. मैं अभी भी मेसर्स सि0इं0फाउंडरी वर्क्स में काम कर रहा हूं । यह कहना गलत है कि फर्म के खिलाफ गवाही देने पर मुझे नौकरी से निकाल दिया जायेगा, इसलिये मैं सही बयान नहीं दे रहा हूं ।

प्रमाणित ... प्रतिलिपि
...ार्या. जिला एवं ... न्याय
दुर्ग (म.प्र.)

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

15. फैक्टरी में नफा हुआ है अथवा नुकसान हुआ है, इसका अच्छा प्रमाण सेलटैक्स और इंकमटैक्स लेटर में उपलब्ध है । जिस समय नियोगी का आंदोलन चल रहा था उस समय फैक्टरी के उत्पादन में कहीं कोई कमी नहीं हुई थी । नियोगी जब से भिलाई में आये तब से सभी उद्योगों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया था । मूलचंद जिस मकान में रहता है वह डबल स्टोरी मकान है । निचले मंजिल में मूलचंद और उसकी पत्नी रहती है । दूसरी मंजिल में दो भाग हैं । एक में केतन शाह अपनी पत्नी के साथ तथा दूसरे में दीपक शाह अपनी पत्नी के साथ निवास करते हैं । ।

16. डिस्पेच एवं प्रोडक्शन रिपोर्ट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है । सी0बी0आई0 के अधिकारी इस दौरान विशाखापटनम हॉस्टल, भिलाई में रहते थे । मुझसे पूछताछ के लिये मुझे उसी हॉस्टल में ले गये थे । वहां मुझे डराया-धमकाया गया था । जो पूछताछ किया जाता था वह अंधेरे कमरे में छोटी सी लाईट में किया जाता था । मैंने वहां पर अभयसिंह को पलंग पर बंधे हुये नहीं देखा, क्योंकि मैं उसे नहीं पहचानता था । वहां पर कुछ व्यक्तियों को अलग-अलग कमरे में पलंग पर बंधे हुये देखा था । एक आदमी को पंखे में हुक के साथ लटके हुये मैंने देखा था । हमको 3-4 दिन तक बंद करके नहीं रखा गया था । दो बार पूछताछ के लिये बुलाया गया था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

17. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पल्टन.

18. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 अभय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

19. कुछ नहीं ।

नोट :- श्री सक्सेना ने पुनः परीक्षण की अनुमति चाही, न्यायहित में प्रदान की गई ।

20. मैं मूलचंद शाह का लेख पहचानता हूं । प्रदर्श पी-116 कैलाश चावला के नाम से अधूरी चिट्ठी है, लिखी हुई है । क्यू-1 से घेरा लाल स्याही का मूलचंद के हाथ का है ।

Jwhyw

पी.

गवाह नं0:-

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

21. यह ड्राफ्ट भेजा गया था या नहीं भेजा गया था मुझे नहीं मालूम । यह एक अधूरी चिट्ठी है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

22. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

23. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबक्श, बलदेव.

24. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

सत्यप्रतिलिपि

न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1 Application received on 8.3.95

2 Applicant told to appear on 11.3.95

3 Applicant appeared on 4.4.95

4 Appli... or wit... co... sent ... on 8.3.95

5 Ap... from... reco... f... particulars ... 30.3.95

6 Appli... for further ... particulars on

7 Applicant given notice for further ... s on

8 Notice in column (f) or ... complied with on

9 Copy ready on 4.4.95

10 ... ed or sent 4.4.95

जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

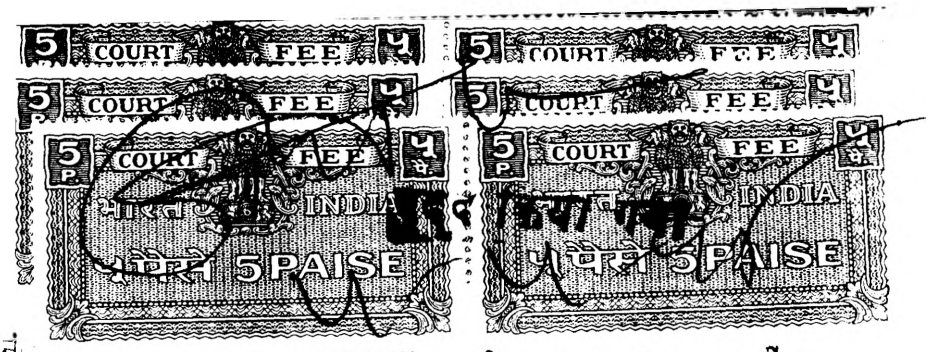

COURT FEE 5 PAISE (court fee stamps)

08

एस०सी०ए०सी०नं०
1094/95

आवेदक — श्री आर० मोरखेडे — — — की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/90 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोखाई मल्लाह,
   साकिन- सिमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-38, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

GRPI-153-7Lak

II-157
O. J.

Witness No. 23 for .... Deposition taken the 24-3-95 day of .... Witness's apparent age 40 वर्ष

States on affirmation my name is सी०आर०मोरघड़े

Son of श्री एम०जी०मोरघड़े occupation इंस्पेक्टर

Address सी०आई०एस०एफ० यूनिट, बी०एस०पी०, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं सी०आई०एस०एफ०, बी०एस०पी०, भिलाई-दुर्ग में मार्च 94 से पदस्थ हूं । पी०बी०बरमन भी यहां क्वाटर मास्टर रहे हैं, जो आजकल बाहर चले गये हैं । मैं आज अपने साथ सी०आई०एस०एफ० के कर्मचारियों को जो बी०एस०पी० से स्टेट ऑफिसर व्दारा मकान आवंटित होता है उसका रिकार्ड लेकर आया हूं । क्वा०नं०- 6एफ, कैम्प-1, भिलाई सी०आई०एस०एफ० को प्रदर्श पी-114 के जरिये दिनांक 20-1-91 को आवंटित हुआ था । इस मकान का कब्जा सी०आई०एस०एफ० के कब्जा ले लिया था । यह क्वार्टर सी०आई०एस०एफ० ने कांस्टेबल रामारेड्डी को आवंटित किया था ।

2. रामारेड्डी ने इस मकान का कब्जा कभी भी नहीं लिया था । इस मकान की चाबी सी०आई०एस०एफ० के पास थी । सन् 91 में यह मकान हमारे विभाग से किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया गया था । यह क्वार्टर 93 में सी०आई०एस० के आरक्षक राजू शर्मा को आवंटित किया गया है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधिवक्ता, वास्ते अभि० मूलचंद एवं नवीन शाह.

3. रिकार्ड के मुताबिक इस क्वार्टर पर सी०आई०एस०एफ० का ही कब्जा बना रहा ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

5. कुछ नहीं ।

कार्या. जिला एवं
दुर्ग (म.प्र.)

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधिवक्ता वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश,
अभयकुमार सिंह, अवधेश राय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

6. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।
Jrs Rajput
(जे० के० एस० राजपूत)
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।
Jrs Rajput
(जे० के० एस० राजपूत)
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

08

एम0सी0आर0सी0नं0
1094/95

- की जो कि श्री ज. क. रतन राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित हैं:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्स सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-38, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ0 रावेल सिंह संधू
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

GRPI-153-7Lakhs-8-9.

11-157
C. J.

Witness No. 24

the 24-3-95 .... witness's apparent age 42 वर्ष

States on affirmation my name is डी०एन०साहू

son of स्वर्गीय श्री केoसीo साहू occupation सब-इंस्पेक्टर

address सी०आई०एस०एफ०, बी०एस०पी०, भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. मैं 93 से सी०आई०एस०एफ०, बी०एस०पी०, भिलाई-दुर्ग में सब-इंस्पेक्टर [मिनिस्ट्रियल] के पद पर पदस्थ हूं । मैं आर०श्रीराम रेड्डी नं०-9023103‌75 कहार की फाईल लेकर आया हूं । यह 5-9-90 को सी०आई०एस०एफ० में कहार भर्ती हुआ था । 17-9-91 को इसकी नौकरी से इसे टर्मिनेट किया गया था । चूंकि इसका प्रोबेशन के समय इसकी गतिविधियां ठीक नहीं थी और यह काफी अनुपस्थित रहा है, इसलिये इसे टर्मिनेट किया गया था । इसका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह

2. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

3. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

कुछ नहीं ।

को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित :

[जे०के०एस०राजपूत]
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग [म०प्र०]

[जे०के०एस०राजपूत]
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश
दुर्ग [म०प्र०]

सत्यप्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिकार

1 A[illegible] received on .... 8·3·

2 Ap[illegible] told to [illegible] on .... 11·3·

3 [illegible] d on .... 4·4·

4 Appl[illegible] or with[illegible] r corr[illegible] s) sent t[illegible] on .... 8·3

5 Applic[illegible] received from[illegible] th [illegible] cord f[illegible] further or correct particulars on .... 30·

6 Applicant given notice for further or correct particulars on ....

7 Applicant given notice for further funds on ....

8 Notice in column (6) or (7) complied with on ....

9 Copy ready on .... 4·4·

[illegible] ed or sent .... 4·4·

[illegible] ....

प्रतिलिपि[illegible] न्यायाल[illegible]
जिला एवं सत्र
[illegible] गुना (म.प्र.)

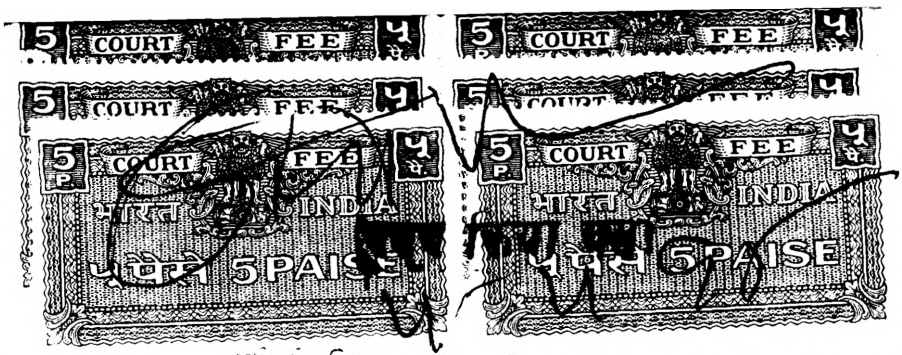

080

एस०सी०टी०ए०नं० 1094/95

प्रतिलिपि विज्ञापन - - - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरु नगर, भिलाई
2. भानुप्रकाश मिश्रा उर्फ भानू आ० छोटकन,
   साकिन- दादा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई ।
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निम्भही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-30, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह संधू आ० रावेल सिंह संधू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

प्रतिलिपि
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

थी, जहां क्या काम होता था इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

नोट :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

साक्षी के केस डायरी कथन का अवलोकन किया । साक्षी को विरोधी घोषित कर प्रति-परीक्षण की अनुमति प्रदान की जाती है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन.

5. सी0बी0आई0 ने मेरा कथन लिपिबद्ध किया है । प्रदर्श पी-117 में मैंने अ से अ सिम्पलेक्स कॉस्टिंग - - - - - - - - - - - - नवीन शाह का कथन मैंने सी0बी0आई0 को दिया था । पी-117 में अ से अ का बयान मैंने सही दिया था, जो मेरी जानकारी में है । नवीन शाह से मिलने-जुलने के लिये आने वाले व्यक्तियों के संबंध में मैं किसी प्रकार की डायरी या अन्य कोई दस्तावेज इंद्राज नहीं करता था । नवीन शाह ने किन-किन तिथियों को फैक्टरी में उपस्थित रहकर काम किया और किस-किस तिथियों से फैक्टरी में बाहर रहे मैंने इंद्राज नहीं किया । पी-117

6. सिम्पलेक्स कॉस्टिंग के फैक्टरी में नवीन शाह ने किन-किन तिथियों में मौजूद रहे और कब-कब बाहर रहे इसका रिकार्ड फैक्टरी में कहीं भी नहीं मिल सकता है ।

नोट:- प्र0:- नियोगी जी की हत्या के पहले सितम्बर 91 के प्रथम और द्वितीय सप्ताह में नवीन शाह भिलाई में थे और सिम्पलेक्स कॉस्टिंग फैक्टरी अटेंड किया ?

उत्तर:- गवाह प्रश्न का उत्तर देने में सोच रहा है । साक्षी ने कहा कि प्रथम सप्ताह में नवीन शाह भिलाई में थे और दूसरे सप्ताह में मैं छुट्टी पर था, इसलिये मैं नहीं बता सकता कि नवीन शाह भिलाई में थे या नहीं ।

7. ज्ञानप्रकाश मिश्रा, अवधेश राय, अभयकुमार वगैरह को मैं नहीं जानता ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मूलचंद शाह, नवीन शाह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

9. कुछ नहीं ।

गवाह नं0:- 25 . पेज नं0:- 2

प्रति-परीक्षण व्दारा-श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

11. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

(जे0के0एस0राजपूत)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(जे0के0एस0राजपूत)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि

कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

	...tion received on	8-3-95
2	Applicant told to ... on	11-3-95
3	... on	4-4-95
4	App... or wit... co... sen... on	8-3-95
5	Ap... received f... with recei... t... correct ...	30-3-95
6	Applicant ... notice for further or correct particulars on	
7	Applicant given notice for further funds on	
8	Notice in column 6, or (7) complied with on	
9	Copy ready on	4-4-95
	Copy delivered or sent	4-4-95
	...lised	

प्रतिलि... एवं ...
जिला ...
कार्य. ... (म.प्र.)

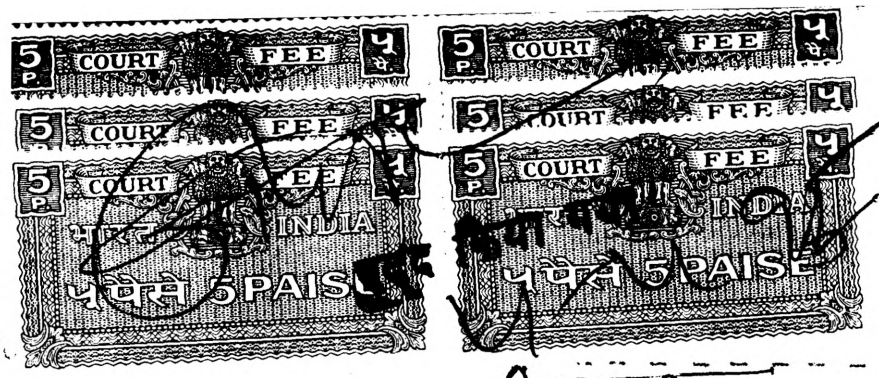

080

एस०सी०आर०नं० .... की जो कि श्री

1094/95 दीपनारायण(?)

जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. आनन्दप्रकाश मिश्रा उर्फ भानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोनाई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-30, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सन्धू आ० रावेल सिंह सन्धू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

GRPI- COURT FEE 5 PAISE — भारत INDIA

II-157
C. J.

Witness No. 27 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 25-3-95 day of Witness's apparent age 41 वर्ष

States on affirmation my name is दीपनारायण पांडे

son of श्री राघो पांडे occupation शिक्षक

address कैम्प नं0-1, 18 नंबर रोड, भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. मैं कैम्प नं0-1, 18 नंबर रोड में रहता हूं। मैं प्रभुनाथ मिश्रा और ज्ञानप्रकाश मिश्रा को अच्छी तरह जानता हूं। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। येमेरे मकान के सामने मकान में रहते हैं। आज ज्ञानप्रकाश मिश्रा अदालत में मौजूद है। मैं अभयसिंह को जानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद है। अभयसिंह यू0पी0 का है। अभयसिंह किस जिले का रहने वाला है मुझे नहीं मालूम है। ज्ञानप्रकाश मिश्रा और प्रभुनाथ मिश्रा गोरखपुर (उ0प्र0) के रहने वाले हैं। ज्ञानप्रकाश मिश्रा मेरा दूर का रिश्तेदार भी है।

2. मैं शिक्षक हूं, सुर्तीपार में स्थित विद्यालय बाबा राघवदास विद्यालय में शिक्षक हूं। मैंने अभयसिंह को ज्ञानप्रकाश मिश्रा के घर आते-जाते नहीं देखा हूं। मैं चंद्रबख्श एवं बलदेव को नहीं जानता। अवधेश रॉय को जानता हूं। अवधेश आज न्यायालय में उपस्थित है। मैं टोनी पंजाबी को नहीं जानता। मैं रवि उर्फ पलटन मल्लाह को भी नहीं जानता।

नोट :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रति -परीक्षण की अनुमति चाही।

केस डायरी कथन का अवलोकन किया। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रति-परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन

3. इस मुकदमे के सिलसिले में दुर्ग पुलिस ने मुझसे पूछताछ किया था। प्रदर्श पी-1 18 में अ से अ अभयसिंह - - - - - - - आते थे, का कथन मैंने पुलिस पी-1 को नहीं दिया था।

J.v.s.R...

प्रधान प्रतिलिपि विभाग,
प्रतिलिपि विभाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

4. नियोगी जी की हत्या हुई है यह मुझे मालूम है । नियोगी जी की हत्या के तुरंत बाद मैंने अभयसिंह को दुर्ग में नहीं देखा । साक्षी स्वत: कहता है कि मैं 6 .ह से स्कूल चला जाता हूं, इस कारण नहीं कह सकता । मैंने पुलिस को यह बयान नहीं दिया है कि रवि उर्फ पलटन नियोगी की हत्या के बाद फरार है । प्रदर्श पी-118 में ब से ब रवि उर्फ पलटन - - - - - - - - फरार है का कथन मैंने पुलिस को नहीं दिया था । मैं यह नहीं बता सकता कि पुलिस ने मेरा उपरोक्त बयान अ से अ तथा ब से ब कैसे लिख लिया । यह कहना गलत है कि ज्ञानप्रकाश मेरा रिश्तेदार है, इसलिये मैं उसे बचाने के लिये सही गवाही नहीं दे रहा हूं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 गुलचंद शाह, नवीन शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

7. मैं स्कूल पढ़ाने सुबह 7.00 बजे चला जाता हूं । मैं शाम को 5.00 बजे वहां से वापस आता हूं । खुर्सीपार स्कूल मेरे घर से 5 कि0मी0 दूर है । अभयसिंह का घर मेरे घर से लगभग 1/2 कि0मी0 दूर है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

8. रवि उर्फ पलटन मल्लाह को मैं नहीं जानता ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।
J.K.S. Rajput
(जे0के0एस0राजपूत)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।
J.K.S. Rajput
(जे0के0एस0राजपूत)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
9/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

received on ....
paid to ....
... on ....
... on ....
5 Applicant ... received from ... with record for ... correct
6 Applicant ... notice for further correct particulars on ....
7 Applicant given notice for further funds on ....
8 Notice in column (6) or (7) complied with on ....
Copy ready on ....
Delivered or sent ....

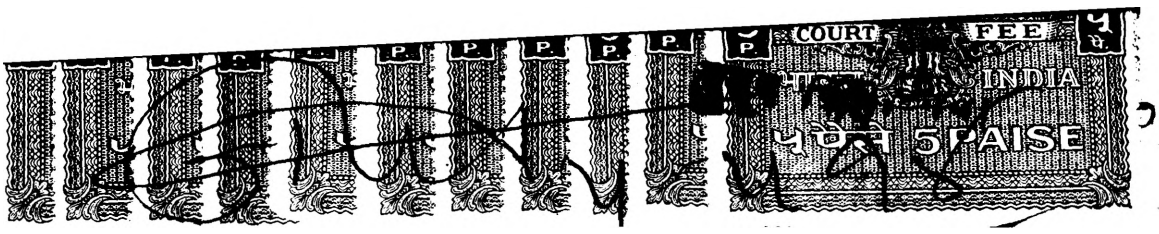

एस0सी0सी0एन0
1094/95

प्रतिलिपि - नायडू मारन - - - की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है:-

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.

2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ0 छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन-क्वा(नं)- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.

4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभ्भी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बल्देव सिंह संधू आ0 रावेल सिंह संधू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

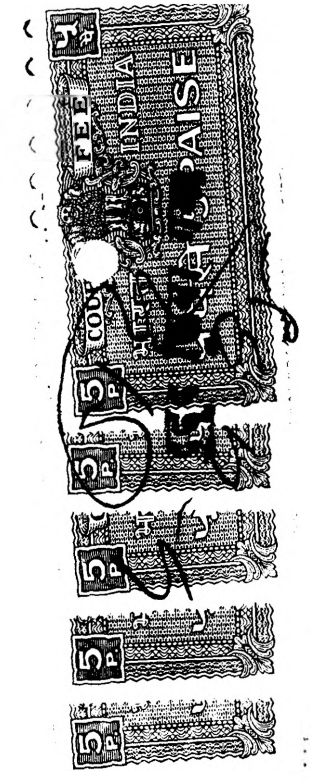

1-60

GRPI-153-7Lakhs-8-92 157/J.

Witness No. ....28 .28... for ....[illegible]........ Deposition taken

the ...25-3-95...... day of .... Witness's apparent age .39. वर्ष ....

States on affirmation my name is ..नायडू मारन........

son of ....श्री वी०टी०राजू.................................... occupation ..दर्जी.....

address ...कैम्प-1, भिलाई...

शपथपूर्वक :-

1. मैं प्रभुनाथ मिश्रा के भाई ज्ञानप्रकाश मिश्रा को जानता हूं, जो कि आज अदालत में मौजूद है । मैं टेलरिंग का काम करता हूं । मेरे दुकान का नाम पैराडाईज टेलर्स है, जो कैम्प-1 प्रभनाथ मिश्रा के कॉम्पलेक्स में है । मैं प्रभुनाथ मिश्रा को प्रतिमाह 500/- रूपये किराया देता हूं ।

2. मैं अभयसिंह, चंद्रबख्श, बलदेव, अवधेश एवं टोनी को नहीं जानता । [मैं] दीपनारायण को जानता हूं । इसके घर के सामने तखत या चौकी पड़ी रहती है, [इ]सकी जानकारी नहीं है ।

नोट:- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित [क]र प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

[प्र]ति-परीक्षण द्वारा श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन.

[3]. मुझसे इस मुकदमे के सिलसिले में दुर्ग पुलिस ने पूछताछ नहीं किया था । [सी]०बी०आई० वालों ने पूछताछ किया था । सी०बी०आई० ने पूछताछ नियोगी जी [क]ी हत्या के बाद की थी । मैं रवि को भी नहीं जानता । मैंने रवि का फोटो [दे]खकर सी०बी०आई० वालों के समक्ष शिनाखत नहीं किया था । प्रदर्श पी-119 में मैंने पी-[1 में अ] से अ ज्ञानप्रकाश मिश्रा -------- बैठते थे, का बयान नहीं दिया था । मैंने ब से ब ज्ञानप्रकाश के साथ -------- आता-जाता था, का बयान भी पुलिस को नहीं दिया था । मैंने स से स नियोगी हत्याकांड ----- फरार हैं, का बयान भी पुलिस को नहीं दिया था ।

4. मैं प्रभुनाथ मिश्रा का किरायेदार हूं, इसलिये ज्ञानप्रकाश को बचाने के लिये गलत बयान नहीं दे रहा हूं । J.K.S.Ny

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद शाह, नवीन शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंदबक्श एवं बलदेव.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभि० पलटन.

8. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
J. K. S. Rajput	J. K. S. Rajput
‖ जे०के०एस०राजपूत ‖	‖ जे०के०एस०राजपूत ‖
व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ‖म०प्र०‖	दुर्ग ‖म०प्र०‖

सत्यप्रतिलिपि

प्रभारी प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग.
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

Application received on ... 8.3.
... told to ...
... 30
6 ... notice for further ... correct particulars on
7 Applicant given notice for further funds on
8 Notice in column (6) or (7) complied with on ... 4.
Copy ready on ... 4.
Copy delivered or sent ...

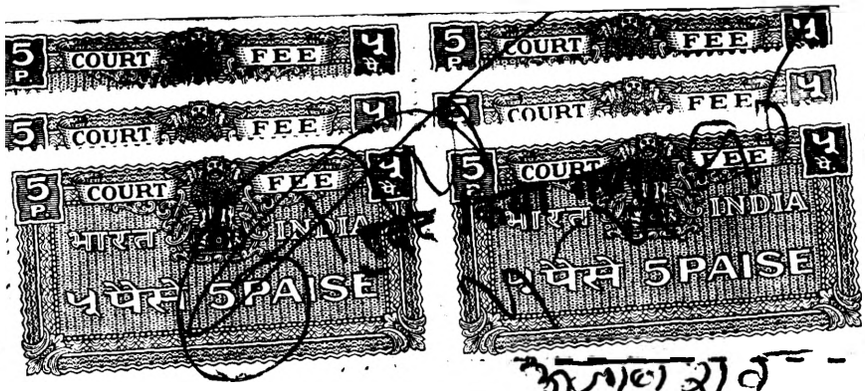

एक्सo मा०र०नं०
1094/95

अफलातून – – – की जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके पक्षकार निम्नलिखित है

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी.बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

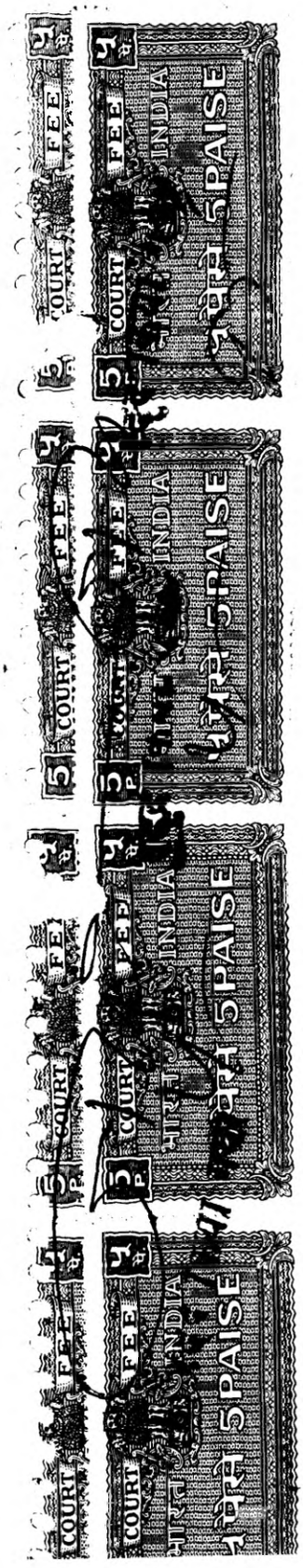

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
साकिन- बाबा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड़ नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड़ नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंग उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 बी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड़, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्रप्रकाश सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, एच०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सैधु आ० रावेल सिंह सैधू,
साकिन- क्वार्टर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .... अभियुक्तगण

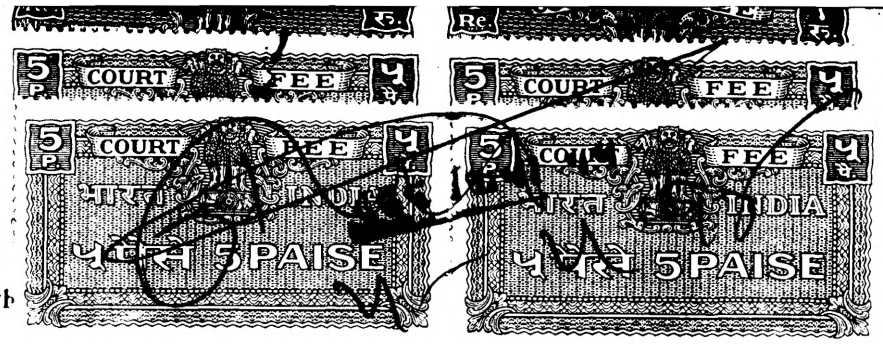

5 COURT FEE 5 पैसे 5 PAISE

GRPI-153-7Lakh

II-157
C. J.

Witness No. 29 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 25-3-95 day of .... Witness's apparent age 56 वर्ष

States on affirmation my name is अर्जा.ब. राव

son of श्री अर्जुन occupation सर्विस

address कैम्प-1, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं बी0एस0पी0 के जनरल मेंटेनेंस विभाग में सीनियर टैक्नीशियन हूं । मैं कैम्प नं0-1 में ब्लॉक 6 जी क्वार्टर नंबर में रहता हूं । मैं सन् 74-75 से जब से यह मकान बना तब से रहता हूं । क्वार्टर नंबर 6एफ मेरे मकान के बाल में लगा हुआ पड़ता है । सन् 90 में क्वार्टर नंबर 6एफ किसे एलॉट हुआ मुझे नहीं मालूम । मुझे नहीं मालूम कि जुलाई से सितम्बर 91 के मध्य क्वार्टर नं 6एफ में कौन रहता था । इस मकान में यदि कोई रहता हो तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

2. मैं अभयसिंह को जानता हूं । ज्ञानप्रकाश मिश्रा को नहीं जानता । अभयसिंह का मकान ब्लॉक नं0-7 में है । अभयसिंह का मकान मेरे मकान के सामने में नहीं है । अभयसिंह मेरे मकान के सामने वाले मकान में कभी नहीं रहा ।

नोट:- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन.

3. इस मुकदमे के सिलसिले में दुर्ग पुलिस और सी0बी0आई0 वालों ने मुझसे पूछताछ किया था । मुझे यह याद नहीं है कि दिनांक 28-10-91 और 21-11-91 को मेरा बयान लिया गया था । प्रदर्श पी-120 में अ से अ मैंने सुना था - - - - - - उठना-बैठना करता था, का बयान पुलिस को नहीं दिया था । प्रदर्श पी-121 में अ से अ अभयसिंह - - - - - - कब्जा किया था, का बयान नहीं दिया था । मैंने ब से ब नियोगी हत्याकांड - - - - - फरार है, का बयान नहीं दिया था । मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था, पुलिसवालों ने अपनी मर्जी से लिख लिया होगा ।

पी-120
पी-121

5 COURT FEE 5 पैसे

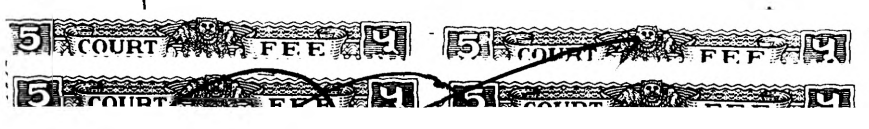

पुलिस मेरे घर में आकर बैठती थी, इसलिये हो सकता है कि उन्होंने मेरा बयान लिखकर मुझे गवाह बना लिया हो । उस समय पुलिस वाले मेरे घर आया करते थे, लेकिन अब नहीं आते । यह बात गलत है कि अभयसिंह मेरे पड़ोस में रहता था, और बी0एस0पी0 में काम करता था, इसलिये मैं उसे बचाने के लिये झूठा बयान दे रहा हूं । पुलिस वालों से मेरी रंजिश नहीं है ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभियुक्त मूलचंद शाह, नवीन शाह.

4. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री पटेरिया, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभियुक्त ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

6. अभयसिंह बी0एस0पी0 में नौकरी करता था, लेकिन मेरे विभाग में नौकरी नहीं करता था ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

7. मेरे क्वार्टर और क्वार्टर नं0-6एफ का दरवाजा गली के तरफ खुलता है । दोनों क्वार्टर लगे हुये हैं । क्वार्टर नं0 6एफ में यदि कोई आता-जाता है तो मुझे बाजू में रहने के कारण मालूम पड़ सकता है । सन् 90-91 में मैंने क्वार्टर नं0 6 एफ0 में किसी को रहते हुये नहीं देखा ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
J.M. Rajput	J.M. Rajput
(जे0के0एस0राजपूत)	(जे0के0एस0राजपूत)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
11/4/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

Application received on 9.3.95
Applicant told to appear on 11.3.95
Notice in column (6) or (7) complied with on
Copy ready on
Copy delivered or sent

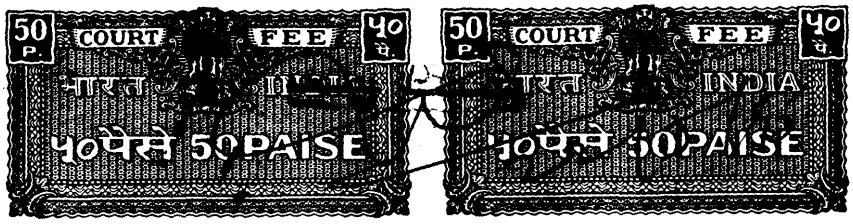

1-८

एस0डी0सी0 सी0नं0
1601/95

प्रतिलिपि श्री एम. वी. ऐ दुबे ---- को जो कि श्री के. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरु नगर, भिलाई.
2. शान्तिलाल मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटेलाल,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन-जी-36, एच0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह टेपू आ0 रावेल सिंह टेपू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

Witness No. 30 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 4-4-95 day of Witness's apparent age 57 वर्ष

States on affirmation my name is एम०वी०रेड्डी

son of स्वर्गीय श्री अमलीरेड्डी occupation सर्विस

address से०-10, भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. मैं सन् 1961 से टाईम कीपिंग आर्गेनाइजेशन भिलाई प्लांट में विभन्न पदों पर कार्य करता रहा हूं। भिलाई स्टील प्लांट में हर डिपार्टमेंट में बहुत से ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक में जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको टोकन नंबर दिया जाता है। हमारे यहां एक मास्टर अटेंडेंस रजिस्टर रहता है। जब कर्मचारी ड्यूटी पर आता है तो टाईम ऑफिस से अपना टोकन लेता है और वह टोकन ले जाकर अपने डिपार्टमेंट इंचार्ज के पास जाकर जमा करता है, जिसके आधार पर उसका अटेंडेंस प्रमाणित किया जाता है और ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद वह कर्मचारी वहां से टोकन लेकर वह कर्मचारी टाईम ऑफिस में जमा करता है। कर्मचारी की उसके आने व जाने का समय अंकित नहीं किया जाता है, परंतु यदि समय में हेराफेरी है अर्थात् आने में लेट और जाने में जल्दी है तब समय नोट किया जाता है। मास्टर अटेंडेंस रजिस्टर में जो सार्टिफिकेट कर्मचारी का इंचार्ज देता है उसके आधार पर कर्मचारी की हाजिरी का इंद्राज होता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं आता है तो कर्मचारी गैरहाजिर माना जाता है।

2. भिलाई स्टील प्लांट में 4 शिफ्ट होते हैं। ए०,जी०, बी०, सी० 4 शिफ्ट हैं। जी० का मतलब जनरल शिफ्ट है। सन् 91 में एवं आज भी ए० शिफ्ट का समय सुबह 6.00 बजे से लेकर दोपहर 2.00 बजे तक का तथा बी० शिफ्ट का समय 2.00 बजे दोपहर से लेकर रात के 10.00 बजे तक का तथा सी० शिफ्ट का समय 10.00 बजे रात से लेकर सुबह 6.00 बजे तक का तथा जनरल शिफ्ट का समय सुबह 8.00 बजे से लेकर शाम के 4.30 बजे तक का है।

3. मैं अभयकुमारसिंह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। अभयकुमार सिंह फर्नेस ब्लॉक/प्रोडक्शन सेक्शन में सन् 91 में ऑपरेटर था। उसका टोकन नं०- 22906 था।

50 COURT FEE 50 50 COURT FEE 50
50 COURT FEE 50 50 COURT FEE 50

उसका पर्सनल नंबर 148218 था । मैं 90-91 का मास्टर अटेंडेंस रजिस्टर लाया हूं । हमारे बी०एस०पी० में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि कर्मचारी खुद किसी अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत करे । टोकन के आधार पर कर्मचारी का इंचार्ज डी०पी०आर० बनाता है और टोकन के आधार पर उनका अटेंडेंस मार्क करता है । ये डी०पी०आर० कंप्यूटर ऑपरेटर को देते हैं और कंप्यूटर के जरिये कर्मचारी का अटेंडेंस प्रमाणित होता है, उसके आधार पर मास्टर अटेंडेंस रजिस्टर बनता है । इसी हाजिरी के आधार पर कर्मचारी को पेमेंट मिलता है ।

4. 1-9-91 को अभयकुमार सिंह बी० शिफ्ट में था तथा 2 से 5-9-91 तक ए० शिफ्ट में तथा 6-9-91 को वीकली रेस्ट तथा 7 से 8-9-91 तक ए० शिफ्ट तथा 9/10-9-91 को सी० शिफ्ट, 11-9-91 को सी०एल० 12-9-91 को सी० शिफ्ट, 13-9-91 को वीकली रेस्ट, 14-9-91 को तथा 15-9-91 को सी० शिफ्ट, 16 से 19-9-91 तक बी० शिफ्ट, 20-9-91 को वीकली रेस्ट तथा 21-22-9-91 बी० शिफ्ट तथा 23 से 26-9-91 तक ए० शिफ्ट, 27 वीकली रेस्ट तथा 28-9-91 से 29-9-91 तक ए० शिफ्ट तथा 30-9-91 को सी० शिफ्ट था ।

5. माह अक्टूबर 91 में उपरोक्त [illegible]
[illegible] 4-10-91 को वीकली रेस्ट तथा 5-10-91 से लगातार गैरहाजिर है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री बी०एल०जैन, अधि० वास्ते अभि० मूलचंद, नवीन शाह.

6. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

7. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

8. मैं डी०पी०आर० लेकर नहीं आया हूं । 10-91 15-10-91 को यदि अभयकुमार ने अपने विभाग में छुट्टी का आवेदन दिया हो तो मुझे नहीं मालूम । मास्टर अटेंडेंस रजिस्टर कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया है । मैंने डी०पी०आर० देखा है बिना डी०पी०आर० के यह रजिस्टर नहीं बनता है ।

1 Application received on	6-4-95	
2 Ap...	10-4-95	
3 ...	22-5-95	
4	6-4-95	
5	16-5-95	
	/	
	22-5-95	
	22-5-95	
	22-5-95	
...ed or sent on	22-5-95	
11 Court-Fee realised	4-50	

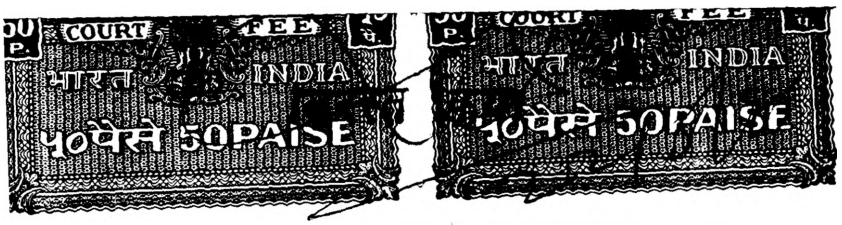

एस0सी0/आवेदन नं0
1601/95

प्रतिलिपि [illegible] को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शा[illegible] मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- [illegible] आटा चक्की, [illegible]-1. रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश र[illegible] आ0 रामआशीष राय,
   साकिन- [illegible]- 7९, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निम्ही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह टीपू आ0 रावेल सिंह टीपू,
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण.

Witness No. 31 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 4-4-95 day of Witness's apparent age 49 वर्ष

States on affirmation my name is अतुलचंद्र पाल

son of श्री रमेशचंद्र पाल occupation सर्विस

address सेo-6, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0, भिलाई में आज भी कर्मचारी हूं । उपरोक्त फैक्टरी इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थित है । सन् 91 में चंद्रकांत शाह को मैं मेसर्स ओ0आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 के मालिक के रूप में जानता था । आज चंद्रकांत शाह अदालत में मौजूद है । मैं इस फैक्टरी में सन् 84 से कार्य कर रहा हूं । मेरा काम मैकेनिकल का एवं ए0एस0कटिंग, वेल्डिंग का है । 1965-66 में मैं बी0एस0पी0 में काम करता था । वहां से छटनी होने के बाद मैं प्लांट के अंदर जो टाटा कंपनी था उसमें मैंने लोहा तोड़ने का काम किया । टाटा कंपनी को सोमानी साहब ने खरीद लिया, लेकिन मैं उसी कंपनीमेंलगातार 79 तक काम करता रहा ।

2. इसके बाद मैं भिलाई फाउंडरी में लोहा तोड़ने का काम करता रहा । वहां पर चंद्रकांत शाह का माल तोड़वाने के लिये आता था उससे भेंट हुई । उन्होंने बोला कि मैं फैक्टरी लगाने जा रहा हूं वहां पर आप काम करें तो मैं सन् 84 में उनकी फैक्टरी में मेसर्स ओ0आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0, भिलाई में काम करने लगा । शुरू में 90-91 से पहले 5-7 कंपनियों से माल तोड़ने के लिये आता था, जिसमें सि0 कॉस्टिंग, भिलाई भी एक कंपनी थी । मेसर्स ओ0आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0, भिलाई कभी भी बंद नहीं हुई ।

3. चंद्रकांत शाह ने मेरे नाम से एक ईंट भट्ठा ग्राम सोनपुर, पाटन तहसील, जिला दुर्ग में लगाया था । यह सन् 88 की बात है । इस भट्ठे की रजिस्ट्री मेरे नाम से हुई थी । इस भट्ठे की खर्चा और आमदनी के संबंध में खर्चा मैं चंद्रकांतशाह से लेता था और आमदनी मैं लेता था । यह भट्ठा घाटे में चलता था, इसलिये आमदनी का प्रश्न ही नहीं उठता । यह भट्ठा 91 में बंद हो गया । पुलिसवालों ने इसे सील कर दिया । सन् 91 तक भट्ठे में घाटा होता रहा ।

ग0 के0 एस0 राजपूत
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म0 प्र0)

50 COURT FEE 50
50 COURT FEE 50
50 P. COURT FEE 50
50 COURT FEE 50
भारत 50 COURT FEE 50 INDIA

4. मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को जानता हूं, वह आज अदालत में मौजूद नहीं है। ज्ञानप्रकाश मिश्रा उस भट्ठे में कोयला वगैरह लाने का काम करता था। इस भट्ठे का हिसाब-किताब रखने के लिये देवेन्द्रकुमार डे को भी रखा गया था। ज्ञानप्रकाश मिश्रा भट्ठे में खर्चे के सिलसिले में जो मुझसे ले जाता था उसका हिसाब दे देता था। भट्ठे पर मजदूरों को कभी-कभी मैं रखता था और कभी-कभी चंद्रकांत शाह से भी पूछ लेता था।

5. ओसवाल स्टील नाम की नंदिनी रोड में चंद्रकांत शाह की फैक्टरी थी। यह फैक्टरी सन् 90 के पहले ही बंद हो गई। ~~छछछछ~~ हेमर मशीन पहले ओसवाल स्टील में थी बाद में यह मशीन ओसवाल आयरन में भी लाई गई थी। इसमें पुरानी फैक्टरी ओसवाल स्टील है। सन् 88-89 में ओसवाल आयरन एंड स्टील फैक्टरी चालू हुई थी।

6. नियोगी की हत्या की मुझे जानकारी है। माह मुझे नहीं मालूम सन् 91 में हत्या हुई है। नियोगी जी की हत्या होने के लगभग एक-डेढ़ माह पहले से चंद्रकांत शाह फैक्टरी में कभी-कभी आता था। नियोगी की हत्या के बाद चंद्रकांत शाह फैक्टरी में नहीं आया।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री बी0एल0जैन, अधि0</u> वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, नवीन शाह.

7. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा <u>श्री त्रिवेदी, अधि0</u> वास्ते अभियुक्तचंद्रकांत शाह.

8. मैं सन् 84 में चंद्रकांत शाह के कहने से उसके यहां नौकरी करना प्रारंभ किया। मैं सन् 84 में ओसवाल स्टील इं0 में काम किया। चंद्रकांत शाह, मनीष एवं एक-दो अन्य और भागीदार इस फैक्टरी में थे। इस फैक्टरी में केवल हेमर मशीन से लोहा तोड़ने का काम होता था। मार्च 89 में चंद्रकांत शाह एवं अन्य इस फैक्टरी से रिटायर्ड हो गये तथा मनीष उसका मालिक हो गया। इसके बाद चंद्रकांत शाह ने एक प्रा0 लि0 कंपनी ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 बनाया। यह फैक्टरी अलग जगह पर नंदिनी रोड में चालू हुई। चूंकि मैं चंद्रकांत शाह के साथ ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 में काम करने चला गया, इसलिये ओसवाल स्टील का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम।

J. K. Ryan (signature)

के० के० ... द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग (म० प्र०)

गवाह नं0:- 31.   पेज नं0:- 2

9.   जनवरी 90 से ओ0आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 का कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ । इस फैक्टरी में जनवरी 90 से हम लोग भिलाई स्टील प्लांट स्टॉक अयार्ड वगैरह से रॉ मटेरियल खरीदकर उसकी प्रोसेसिंग कर अन्य व्यक्तियों को बेचते थे । हम लोग हर माह हजार मिट्रिक टन से ज्यादा माल खरीदकर प्रोसेस कर अन्य व्यक्तियों को बेचते थे । हमारी कंपनी के पास उपरोक्त काम करने के बाद जो समय बचता था तो हम लोग दूसरी कंपनियों का माल लेकर तोड़कर]xxxxxx जॉब वर्क] करते थे ।

10.   मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0, भिलाई कभी भी माल की कमी या काम की कमी के कारण बंद नहीं हुई ।

11.   ईंट भट्ठा मैंने अपने पैसे से अपने धंधे के लिये खरीदा था । मैं इस धंधे में चंद्रकांत से जो खर्चा लेने की बात बताई है वह उससे उधार लेता था । बाद में यह रकम मैं चंद्रकांत को वापस कर देता था ।

12.   मुझे मालूम है कि यह भट्ठा कोर्ट के आदेश से कुर्क हो गया था । उसके कब्जे के लिये मैंने आवेदन-पत्र पेश किया तथा शपथ-पत्र भी दिया था तब यह भट्ठा मुझे पिछले साल से मिल गया है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पलटन.

13.   कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।
(हस्ताक्षर)
] जे0के0एस0राजपूत]
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग]म0प्र0]

मेरे निर्देशन पर टंकित ।
(हस्ताक्षर)
] जे0के0एस0राजपूत]
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग]म0प्र0]

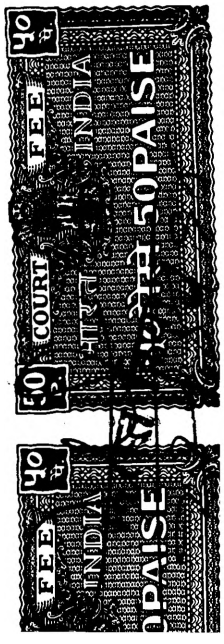

सत्यप्रतिलिपि
(हस्ताक्षर) 22/7/98
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1	Application received on	6-4-95
2	Ap[illegible]	10-4-95
3	[illegible]	22-5-95
4	A[illegible]	6-4-95
5	[illegible]	16.5.95 or
6	[illegible]	/
7	[illegible]	22.5.95
8	[illegible]	22-5-95
9	[illegible]	22.5.95
10	[illegible]	22-5-95
11	[illegible] realised	4-95

Extra cf allowed with consent

22/5/95

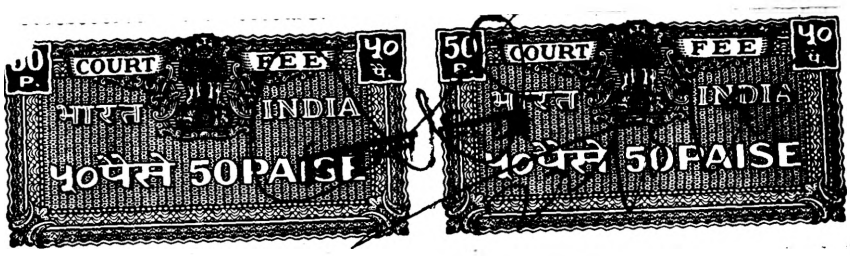

1—००

एम०सी०आर०नं०
1601/95

प्रतिलिपि आर.के. आर. कोरी ---- को जो कि श्री
के.के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय
में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. श्री...कान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
साकिन- ... आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामाशीष राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-36, एच०सी०सी० कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टेपू आ० रावेल सिंह टेपू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

Witness No. ...32............ for अभियोजन की ओर से............Deposition taken
the ...5-4-95.......day of .... Witness's apparent age ...28 साल...

States on affirmation my name is के0सी0भेरी.........

son of ...श्री के0एल0नारायण.................... occupation सर्विस.....

address.....नंदिनी.....................

शपथपूर्वक :-

1. सन् 90-91 में मैंने मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0, भिलाई में एकाउंट असिस्टेंट की हैसियत से काम किया है । इस फैक्टरी के मालिक चंद्रकांत शाह हैं, जो आज अदालत में मौजूद हैं । के0एस0भाटिया इस फैक्टरी में एकाउंटेंट थे । इस फैक्टरी में बड़ा लोहा छोटे लोहे में तोड़ने के लिये हेमर मशीन लगी थी । बिल्स बन के आते थे, जिनकी रजिस्टर में इंद्राज होते थे । बिल अमाउंट व फैक्टरी का नाम, जिनको माल तोड़कर भेजा जाता था उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाता था । प्रदर्श पी-122 सन् 90-91 का एवं प्रदर्श पी-123 सन् 91-92 के जॉब रजिस्टर्स हैं, जो उपरोक्त फैक्टरी में मेन्टेन किये जाते हैं । इनमें कुछ इंद्राज मेरे हाथ के भी हैं ।

2. प्रदर्श पी-122 के पेज नं0-8 पर 15-10-90 बिल नं0-116 से लेकर अंत तक के इस पेज के सभी इंद्राज मेरे हाथ के हैं, जिसे आज लाल स्याही से घेरा गया, जो प्रदर्श पी-122/3 है । पेज नं0-9 पर दिनांक 16-10-90 से 30-10-90 तक के सभी 122/3
इंद्राज मेरे हाथ के हैं, जिसे आज लाल स्याही से घेरा गया, जो प्रदर्श पी-122/4 है । 122/4
पेज नं0-10 पर दिनांक 6-12-90 बिल नं0-148 से 156 तक दिनांक 15-12-90 के
इंद्राज मेरे हाथ के हैं, जिसे आज लाल स्याही से घेरा गया है, जो प्रदर्श पी-122/5 122/5
है । पेज नं0-11 के सभी इंद्राज मेरे हाथ की हैं, जो प्रदर्श पी-122/6 है । पेज नं012 122/6
पर बिल नं0-182 एवं 183 दिनांक 28-1-91 के इंद्राज मेरे हाथ के हैं, जो लाल स्याही
से घेरे गये हैं, जो प्रदर्श पी-122/7 है । इसी पृष्ठ पर बिल नं0-185 दिनांक 29-1-91 122/7
का इंद्राज मेरे हाथ का है, जो लाल स्याही से घेरी गई है, जो प्रदर्श पी-122/8 है । 122/8
पेज नं0-13 पर बिल नं0-188 दिनांक 1-2-91 से बिल नं0-197 दिनांक 12-2-91 तक की प्रविष्टियां मेरे हाथ की हैं, जो आज लाल स्याही से घेरी गई है, जो प्रदर्श पी-122/9 है । 122/9

(हस्ताक्षर)
डी0के0एस0राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म0प्र0)

COURT FEE 50 P. भारत INDIA 50 PAISE

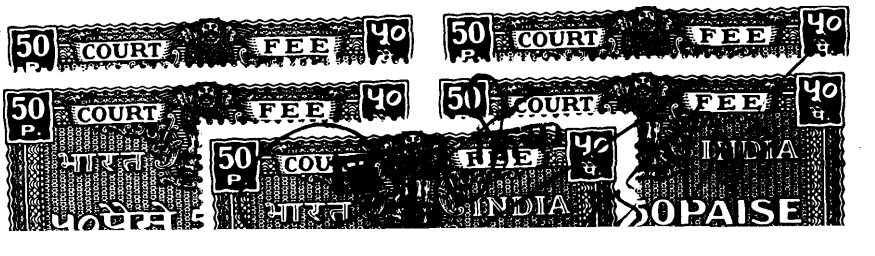

3. जॉब रजिस्टर प्रदर्श पी-123 की सभी प्रविष्टियां दिनांक 27-4-91 से लेकर दिनांक 25-11-91 तक की जो पेज नं0-1 से लेकर 8 तक में लिखी गई हैं, मेरे हाथ की हैं, जो प्रदर्श पी-123/1 है । जॉब रजिस्टर पी-122 के अनुसार 123/1
ज्यादातर माल तोड़ने के लिये सिम्पलेक्स कॉस्टिंग से ही आया है । इस जॉब रजिस्टर में जिन फर्मो का माल तोड़कर भेजा गया है, उनसे कितना एमाउंट लेना है, इसके संबंध में पेंसिल से टोटल किये गये हैं, जिसके अनुसार नवंबर में सिम्पलेक्स कॉस्टिंग से तोड़ने के लिये माल आया था और पेंसिल के इंद्राज के अनुसार 32,322/- रूपये का भुगतान पाना है । उसी प्रकार माह दिसंबर में सभी माल तोड़ने के लिये सि0 कॉस्टिंग, भिलाई से आया था, जिसके अनुसार 41,728/- रूपये लेना बाकी था । इसी प्रकार माह जनवरी में 34,360/- रूपये व फरवरी में 22,421/- रूपये व मार्च में 5,685/- रूपये माल तोड़ने के एवज में लेना बाकी है ।

4. जॉब रजिस्टर प्रदर्श पी-123 के अनुसार मई 91 में 13,172/- रूपये, जून में 13,022/- रूपये, जुलाई 91 में 8,613/- रूपये, अगस्त 91 में 9,107/- रूपये, सितंबर में 3,575/- रूपये अक्टूबर91 में 15,406/- रूपये, नवंबर 91 में 18,109/- रूपये माल तोड़ने के बाबत लेना बाकी है, जो मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0 को उन फर्मो से प्राप्त होने थे, जिनके इनमें नाम लिखे हैं । जॉब रजिस्टर पी-123 में कुल 44 इंद्राज हैं, जिसका माल तोड़कर भेजा गया है, जिसमें से 39 इंद्राज मेसर्स सिम्पलेक्स कॉस्टिंग, भिलाई के हैं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री बी0एल0जैन, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद, नवीन शाह.

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधि0 वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

6. मुझे पहले 23 मार्च के लिये समंस मिला था, जिसके संबंध में मैंने आवेदन दिया था कि मेरी परीक्षा होने के कारण मुझे मई के बाद बुलाया जावे, जो आवेदन इस न्यायालय व्दारा स्वीकार किया गया है । मुझे आज की तारीख का समंस लाकर सी0बी0आई0 वालों ने लाकर दिया । जिस दिन सी0बी0आई0 वाले आये थे उस दिन मैं परीक्षा देने गई थी ।

7. मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0, भिलाई एक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी है । इस कंपनी के कई डायरेक्टर हैं, जिनमें से एक चंद्रकांत शाह भी हैं ।

के0 के0 एस0 राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म0 प्र0)

गवाह नं0:- 32 पेज नं0:- 2

यह कहना सही है कि इस कंपनी के काम की देखभाल डायरेक्टर चंद्रकांत शाह, हेमंत शाह और मैनेजर राजेश भी करते थे । उस समय हमारी कंपनी में एकाउंटेंट के0एस0भाटिया थे और अतुलचंद पाल सुपरवाईजर थे । पाल कंपनी का प्रोसेसिंग और जॉब वर्क का काम देखते थे । हमारी कंपनी का मुख्य काम प्रोसेसिंग का था। इस काम के लिये कंपनी भिलाई स्टील प्लांट, स्टॉक अयार्ड तथा अन्य स्थानों से कच्चा माल खरीदकर प्रोसेसिंग कर उसे अन्य पार्टियों को विक्रय करती थी ।

8\. मैं इस कंपनी में अगस्त 90 से ~~अक्टूबर~~ 91 नवंबर तक कार्य करती रही हूं । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस समय मैं काम करती थी उस समय कंपनी वाले करीबन एक करोड़ का माल खरीदते थे । माल खरीदने का मूल्य और प्रोसेसिंग करके विक्रय करने की मूल्य की जानकारी के0एस0भाटिया को रहती थी, क्योंकि वही यह कार्य देखा करते थे ।

9\. दिनांक 20-7-90 , प्रदर्श पी-122 के पृष्ठ क्र0-4 में भिलाई इं0कार्पोरेशन का जॉब वर्क किया गया था, जिसके बिल की राशि 2,182/- रूपये 50 पैसे थी, इसी प्रकार से दिनांक 23-7-90 को भिलाई इं0कार्पो0 का जॉब वर्क किया गया था, जिसका बिल एमाउंट 1,514/- रूपये है, दिनांक 25-7-90 को भिलाई इं0का0 का जॉब वर्क किया गया था, जिसके बिल की राशि 1,689/- रूपये थी । दिनांक 25-7-90 को ही पुनः 1,764/- रूपये का जॉब वर्क भिलाई इं0का0 का किया गया था । 26-7-90 को पुनः भिलाई इं0का0 का जॉब वर्क किया गया था, जिसके बिल की राशि 1,901/- रूपया है । 26-7-90 को ही न्यू एम0पी0 मैकेनिकल इं0 का जॉब वर्क किया गया था, जिसके बिल की राशि 2,162/- रूपये है । यह प्रविष्टि प्रदर्श पी-122 के पृष्ठ क्र0-5 में है ।

10- दिनांक 28-7-90 को बी0ई0सी0 का जॉब वर्क किया गया था, जिसके बिल की राशि 1,687/- रूपये है । 6-8-90 को पुनः बी0ई0सी0 का जॉब वर्क किया गया था, जिसके बिल की राशि 1,706/- रूपये है । 6-8-90 को ही बी0ई0सी0 का अन्य जॉब वर्क किया गया था, जिसके बिल की राशि 1,132/- रूपये है । 7-8-90 को बी0ई0सी0 का जॉब वर्क किया गया था, जिसके बिल की राशि 1,031/- रूपये है । 9-8-90 को बी0ई0सी0 का जॉब वर्क किया गया था, जिसके 3 अलग-अलग बिल काटे गये थे उन बिलों की राशि

J.K.S Rajput
जे0 के0 एस0 राजपूत
विशेष अति सत्र न्यायाधीश
रायपुर (म0 प्र0)

50 P. COURT FEE 50 P. 50 P. 50 P. INDIA

क्रमशः 1,703/- रुपये, 1,914/- रुपये तथा 1,547/- रुपये हैं । प्रदर्श पी-122 के पृष्ठ क्र0-6 में दिनांक 13-8-90 को बी0ई0सी0 के जॉब वर्क के दो बिल बने थे, जिनका विवरण पृष्ठ-6 में है, जिनकी राशि क्रमशः 1,374/- रुपये तथा 2,024/- रुपये है । दिनांक 17-8-90 को पुनः बी0ई0सी0 का दो बिल काटे गये थे, जिनकी राशि 1,762/- रुपये एवं 1,420/- रुपये है ।

11. प्रदर्श पी-122 एवं 123 में जो जॉब वर्क दर्शाया गया है उसमें सिम्लेक स कॉस्टिंग के अलावा अन्य कंपनियों का भी जॉब वर्क हमारी कंपनी में किया गया है । यह कहना सही है कि ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0, भिलाई का मुख्य काम माल खरीदकर प्रोसेसिंग कर उसका विक्रय करना था तथा अन्य कंपनियों का माल तोड़कर उसे वापस करना था गौण कार्य था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अभय, अवधेश, चंद्रबख्श एवं बलदेव.

12. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पलटन.

13. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
J.K.S. Rajput	J.K.S. Rajput
(जे0के0एस0राजपूत)	(जे0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
2/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म.प्र.)

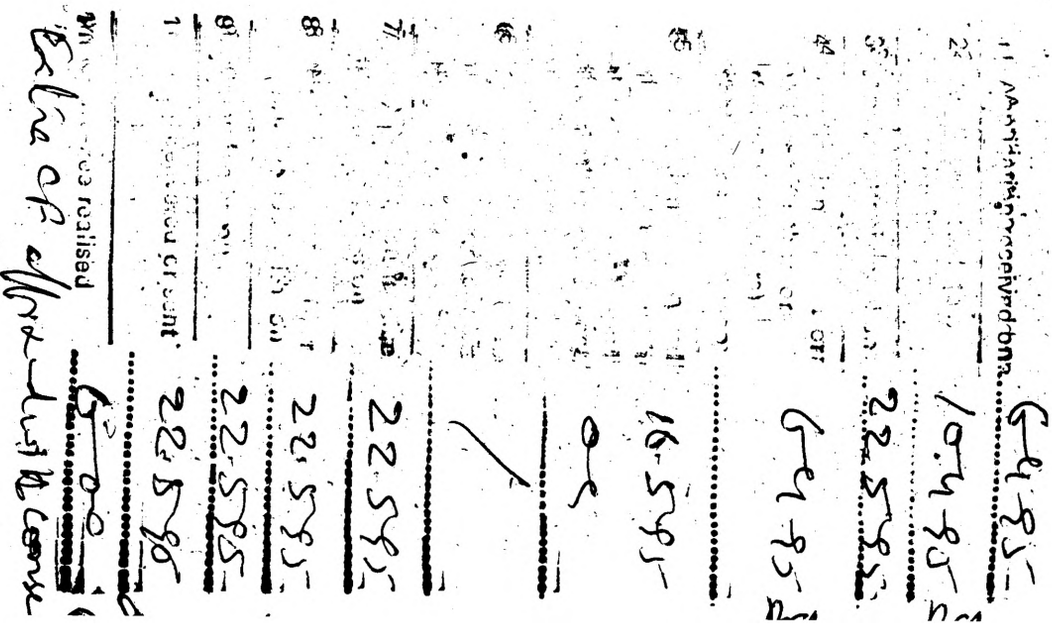

1-

एम०सी०आर०सी०नं०
1601/95

प्रतिलिपि [illegible] को जो कि श्री के.के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरु नगर, भिलाई.

2. श[illegible]कान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छो[illegible]लाल,
साकिन- [illegible] आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,

3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.

4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निम्मी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बलदेव सिंह टेहू आ० रावेल सिंह टेहू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

250

CRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. 33 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the 5-4-95 day of ... Witness's apparent age 31 वर्ष

States on affirmation my name is अम्मा वर्गिस

son of पति - श्री. जॉर्ज. वर्गिस occupation सर्विस

address सै0-6, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं दिसम्बर 90 से मे0 ओ0आयरन एंड स्टील प्रा0 लि0, भिलाई में टायपिस्ट की हैसियत से काम कर रही हूं । चंद्रकांत शाह मौजूद अदालत इस फैक्टरी के मालिक हैं । उपरोक्त स्टॉक रजिस्टर, जिसमें रिजेक्टेड माल तोड़ने का इंद्राज होता था वह मैं आज नहीं लाई हूं, चूंकि यह फैक्टरी 2 साल बंद रही है, इसलिये बहुत से कागजों का लॉस हो गया और रजिस्टर ढूंढने पर भी नहीं मिला । मई 92 से 94 अप्रैल तक यह फैक्टरी बंद रही है ।

2. रिजेक्टेड माल जो आता था उसकी एन्टरी मैं नहीं करती थी । सी0बी0आई0 वालों ने स्टॉक रजिस्टर के बारे में मुझसे पूछताछ नहीं किया है ।

नोट:- केस डायरी कथन की कार्बन प्रति उपलब्ध है । असल उपलब्ध नहीं है ।

श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर कार्बन प्रति के आधार पर साक्षी से प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

3. प्रदर्श पी-125 में मैंने अ से अ का कथन सिम्पलेक्स कॉस्टिंग से - - - P-125 प्राप्त हुआ था, का बयान सी0बी0आई0 को नहीं दिया था । सी0बी0आई0 वालों ने मेरा यह बयान कैसे लिख लिया मुझे नहीं मालूम । वर्तमान में आज भी मैं मेसर्स ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा0लि0, भिलाई में काम कर रही हूं । यह बात गलत है कि स्टॉक रजिस्टर आज भी मौजूद है और इंद्राज मेरे हाथ की है तथा यह बात भी गलत है कि स्टॉक रजिस्टर के इंद्राज चंद्रकांत शाह के खिलाफ हैं, इसलिये मैं उसे आज नहीं लाई हूं । यह बात गलत है कि मैं चंद्रकांत शाह को बचाने के लिये झूठा बयान दे रही हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री बी0एल0जैन, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद, नवीन शाह.

[signature]

50 P. COURT FEE 50 पै.
50 P. COURT FEE 50 पै. भारत INDIA

5. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

5. यह बात सही है कि मे० ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा० लि०, भिलाई प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी है । इस कंपनी में चंद्रकांत शाह, हेमंत शाह, आर० बी० शाह व अन्य कई लोग डॉयरेक्टर हैं ।

6. इस कंपनी में एकाउंटेंट भाटिया साहब थे और सुपरवाईजर अतुलचंद पाल थे । कंपनी में जो भी माल खरीदा जाता था, प्रोसेस किया जाता था और अन्य व्यक्तियों को विक्रय किया जाता था इस सबकी जानकारी भाटिया साहब को रहती थी । भाटिया साहब कंपनी का हिसाब-किताब मेन्टेन करते थे । भाटिया साहब हमारी कंपनी का माल के संबंध में सेल्टैक्स सेलटैक्स वकील के पास जमा करते थे । हमारे यहां जो भी माल खरीदकर प्रोसेसिंग किया जाता था और विक्रय किया जाता था उसकी जानकारी अतुलचंद पाल को रहती थी, क्योंकि यह काम उनकी देखरेख में होता था ।

7. हमारी कंपनी जो भी माल खरीदती थी, प्रोसेसिंग करती थी और बेचती थी उसका इंद्राज रजिस्टर में किया जाता था । मैं आज अपने साथ दो रजिस्टर लेकर आई हूं, उसमें कंपनी व्दारा 90-91 एवं 91-92 में खरीदे गये माल का विवरण है ।

8. प्रदर्श डी-11 का स्टॉक रजिस्टर प्रोसेसिंग से संबंधित है । प्रदर्श डी-11/1 अनुक्रम सूची है, जिसमें इस रजिस्टर में कंपनी व्दारा क्रय किये गये माल का विवरण है । प्रदर्श डी-11 के पृष्ठ-1/51, 81, 111, 131, 171, 201, 224, 231, 241, 141, 151, 153, 159, 167, 180, 194, 199, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, में कंपनी व्दारा वर्ष 90-91 में प्रोसेसिंग हेतु क्रय किये गये माल का विवरण दर्ज है । इस रजिस्टर के आधार पर सेलटैक्स रिटर्न दिये जाते हैं । डी-11

9. प्रदर्श डी-12 मे० ओसवाल आयरन एंड स्टील प्रा० लि०, भिलाई के वर्ष 91-92 का स्टॉक रजिस्टर है । प्रदर्श डी-12/1 इस रजिस्टर में दर्ज किये गये माल के विवरण का इंडेक्स है । यह माल कंपनी व्दारा प्रोसेसिंग हेतु क्रय किया गया था, इस रजिस्टर के आधार पर सेलटैक्स का रिटर्न कंपनी व्दारा प्रस्तुत किया गया है । डी-12

180

गवाह नं0:- 33   पेज नं0:- 2

प्रदर्श डी-12 में कंपनी व्दारा प्रोसेसिंग हेतु क्रय किये गये माल का विवरण पृष्ठ -1 ,51,69,71,75, 115, 125, 131, 135, 151, 171, 175, 181, 201, 159 में है ।

10. हमारी कंपनी की मुख्य आमदनी कंपनी व्दारा भिलाई स्टील प्लांट, स्टॉक अयार्ड व अन्य लोगों से माल क्रय कर , प्रोसेसिंग कर उसको विक्रय करने से होती थी । जब कभी हमारी कंपनी के पास समय बचता था तो जॉब वर्क का काम किया जाता था । हमारी कंपनी वर्ष 90 से 92 तक माल की कमी या अन्य कारणों के कारण बंद नहीं रही ।नियोगी जी की हत्या होने के बाद सी0 बी0आई0 वाले हमारे कंपनी कार्यालय में आये थे और कागज वगैरह जांच करना है करके ले गये थे ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि0 वास्ते अभि0 ज्ञानप्रकाश, अवधेश, अभय, चंद्रबक्श एवं बलदेव.

11. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभि0 पलटन.

12. कुछ नहीं ।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।	मेरे निर्देशन पर टंकित ।
J. K. S. Rajput	J. K. S. Rajput
(जे0के0एस0राजपूत)	(जे0के0एस0राजपूत)
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,	व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)	दुर्ग (म0प्र0)

सत्यप्रतिलिपि
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

1	Application received on	6-4-95
2	A[illegible]	20-4-95
3	A[illegible]	22-5-95
4	Application [illegible]	6-4-95
5	[illegible]	16-5-95
6	[illegible]	/
7	[illegible]	22-5-95
8	N[illegible] (7) [illegible]	22-5-95
9	Copy [illegible]	22-5-95
10	Copy delivered or sent on	22-5-95
11	Court-Fee realised	4-50

22/5/95

1-20

एस०सी०सी०एस०नं०

1970/95

प्रतिलिपि स्थान कोर्ट फी ...... को जो कि श्री के. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क० 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शशिकान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटेलाल,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन-क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० सिकन्दर सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सिद्धू आ० रावेल सिंह सिद्धू
साकिन- आर-37, एम०पी०हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई .... अभियुक्तगण

GRPJ-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. ...34... for ...अभियोजन की ओर से... Deposition taken on ...16-4-95... day of .... Witness's apparent age ...59 वर्ष...

States on affirmation my name is ...[illegible]...

son of ...स्वर्गीय श्री [illegible]... occupation ...रिटायर्ड पोस्टमास्टर...

address ...[illegible]-10, [illegible]...

शपथपूर्वक :-

1. मैं इन्डस्ट्रीयल स्टेट, भिलाई में स्थित पोस्टऑफिस [illegible] में [illegible]-पोस्टमास्टर के पद से सेवानिवृत्त जून 92 में हो गया हूं । सन् 92 में मैं उक्त पोस्टऑफिस में सब-पोस्टमास्टर के रूप में कार्यरत था । भिलाई-टाईम्स के पेपर पर पोस्टऑफिस का जो सील है वह पठनीय नहीं है । भिलाई-टाईम्स के पेपर पर 15 पैसे का टिकट लगा हुआ है और उस पर जो सील है वह पठनीय नहीं है । भिलाई-टाईम्स का पेपर पी-126 है, जिस पर ऊपर में सिम्पलेक्स कॉस्टिंग कंपनी [illegible] लाईट इंडस्ट्रीज एरिया, भिलाई (म0प्र0) लिखा हुआ है । उस पेपर का सॉर्टिंग मेरे अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा किया जाता है, यह पेपर मैंने अपने सेवाकाल में कभी नहीं देखा है । पी-126

2. कंपनी के जो अधिकृत मैसेंजर होते हैं वे पेपर एवं अन्य डाक ले जाते हैं । [illegible] मैंने यह सुना है कि सिम्पलेक्स [illegible] कॉस्टिंग एंड सिम्पलेक्स उद्योग की फैक्टरी है यह मैं इसलिये जानता हूं कि उस नाम का डाक आता-जाता था । सन् 89 से मैंने 92 तक इस पोस्टऑफिस में काम किया हूं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सुरेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 [illegible] शाह, नवीन शाह.

3. आर0एम0एस0, दुर्ग से सीधा डाक मेरे पोस्टऑफिस को प्राप्त होता था । वह डाक थैलों में आया करता था । डाक पोस्टऑफिस में उपलब्ध होने के बाद थैलियों को खोला जाता है और खोलने के बाद टेबल पर उन डाक को बांटा जाता है । डाक की छटाई में मेरे मातहत सभी कर्मचारियों का उपयोग किया जाता था । मुझे सम्मिलित करने के बाद लगभग 11 कर्मचारी हमारे पोस्टऑफिस में काम करते थे । डाक की छटाई का काम सभी के द्वारा किया जाता था ।

[illegible signature]

[illegible]

4. [illegible] टैंक की जांच में समय लगना आवश्यक होता है तथा [illegible] टैंक [illegible] में काम उसी दिन न आती अगर दूसरे दिन आ [illegible] जा सकती थी। [illegible]-126 मेरे विभाग में [illegible] नहीं है, इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि यह टैंक हमारे यहां से [illegible] हुआ है। [illegible]-126 मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ यह भी मैं नहीं कह सकता।

5. अधिकृत [illegible] को ही [illegible] दिये जाते थे। [illegible] के [illegible] अपने [illegible] को [illegible] के नाम से अधिकृत करते थे। मेरी जानकारी में यह आया है कि [illegible] उद्योग समूह की तीन फैक्टरियां थीं। इनमें [illegible] फास्फेट, [illegible] दूसरा तथा तीसरा [illegible] उद्योग थी। [illegible] उद्योग समूह के अधिकृत [illegible] का नाम मैं नहीं जानता। सन् 89 में मेरी जानकारी के अनुसार [illegible] शाह ने [illegible] को अधिकृत किया था। यह अधिकार-पत्र मेरे कार्यालय में उपलब्ध है या नहीं मैं [illegible] नहीं [illegible] सकता।

6. अनुसंधान के दौरान [illegible] अधिकारियों ने [illegible] अधिकार-पत्र को पेश करने के लिये नहीं कहा था। [illegible] अधिकारी मेरे पास आये भी नहीं थे।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री [illegible], अधि० वास्ते अभियुक्त संक्रांत शाह.

7. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अजय, अवधेश, ज्ञानप्रकाश, चंद्रप्रकाश एवं अवधेश.

8. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण व्दारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त [illegible].

9. कुछ नहीं।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया। — मेरे निर्देशन पर टंकित।

(हस्ताक्षर) — (हस्ताक्षर)

(के०के०एस०राजपूत) — (के०के०एस०राजपूत)

व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश, — व्दितीय अति० सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (म०प्र०) — दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि

(हस्ताक्षर) 23/5/90

प्रधान प्रतिलिपिकार

प्रतिलिपि विभाग,

कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (म.प्र.)

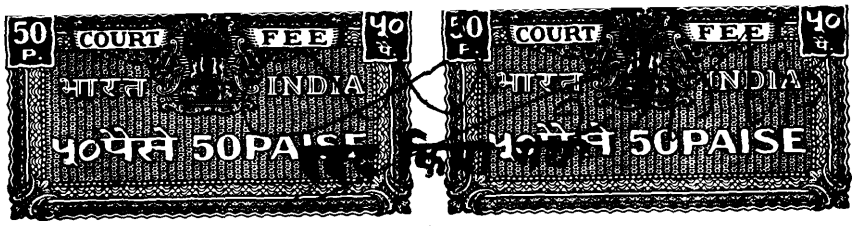

50 P. COURT FEE ५० पै.
भारत INDIA
५० पैसे 50 PAISE

50 P. COURT FEE ५० पै.
भारत INDIA
५० पैसे 50 PAISE

1 - ८०

एम0सी0सी0सं0
1970/95

प्रतिलिपि ब्यान को-जेन्‍टा0 ८७७ -- को जो कि श्री
जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय
में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्तिलाल मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
साकिन- क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
साकिन- निभ्भी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सिद्धू आ0 रावेल सिंह सिद्धू,
साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .... अभियुक्तगण

GEPI-153-7Lakhs-8-92

H-157
C. J.

Witness No. 35 for अभियोजन की ओर से Deposition taken on 18-4-95 day of ... Witness's apparent age 60 वर्ष

States on affirmation my name is [illegible]

son of श्री [illegible] occupation रिटायर्ड पोस्टमास्टर.

address [illegible]-6, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं [illegible] , भिलाई से [illegible]-94 को उप-पोस्टमास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अप्रैल 91 में मैं कुम्हारी में उप-पोस्टआफिस में उप-पोस्टमास्टर था। [illegible]-126 का भिलाई-टाईम्स का पेपर कुम्हारी उप-पोस्टआफिस में आया था, जिसका हमारे पोस्टआफिस में रजिस्ट्रेशन है। यह पेपर [illegible] आर०एम०एस० में [illegible] था। [illegible] पर [illegible], भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया, भिलाई [illegible] का पता लिखा हुआ है। इस पेपर पर 15 पैसे का टिकट लगा हुआ है और उसके ऊपर मैं गोल सील लगी हुई है, जो पठनीय नहीं है।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सुरेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते आरोपी [illegible], नवाज [illegible]

2. प्रदर्श पा-126 पर रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स फ०नं० 50211/89 लिखा है, जिसका [illegible] हमारे कार्यालय में भी है। भिलाई टाईम्स का [illegible] यह पेपर हमारे कार्यालय में छोड़ जाता था वह [illegible] कौन है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पेपर पर जो [illegible] है वह पढ़ने में नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही मैं यह कह सकता हूँ कि यह पेपर हमारे पोस्टआफिस में आया था। हमारे [illegible] में जो डाक आती है उसको छांटने के बाद आर०एम०एस०, दुर्ग को भिजवाई जाती है। [illegible] डाक को पहले बंद करते हैं उसके बाद [illegible] आती है, जो यह डाक [illegible] के आर०एम०एस०, दुर्ग को जाती है।

3. हमारे उप-डाकघर से आर०एम०एस०, दुर्ग के बीच लगभग 6-7 कि०मी० की दूरी है। आर०एम०एस०, दुर्ग से इंडस्ट्रीयल एरिया उप-डाकघर लगभग 8-9 कि०मी० दूर है।

J.n.s.[illegible]

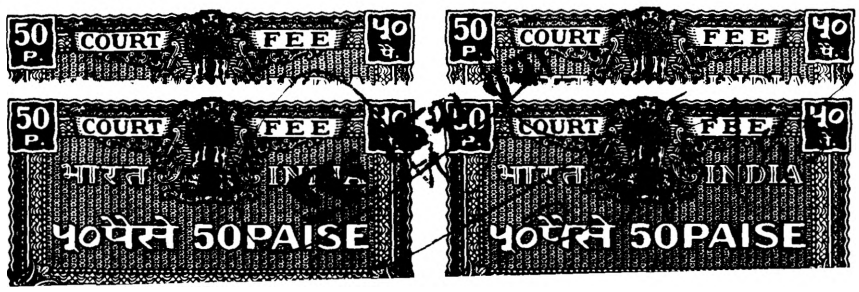

[illegible] द्वारा श्री [illegible], अधि० वास्ते [illegible] चंद्रकांत शाह.

[illegible] मार्ग ।

प्रति-पक्षी [illegible] द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अधि० [illegible], [illegible],
[illegible], चंद्रकांत एवं [illegible].

[illegible] मार्ग ।

[illegible] द्वारा श्री [illegible], अधि० वास्ते [illegible].

[illegible] मार्ग ।

[illegible] पढ़कर सुनाया, [illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] ।

([illegible] गुप्त)
[illegible] अति० [illegible] न्यायाधीश,
दुर्ग [illegible]

([illegible] गुप्त)
द्वितीय अति० [illegible] न्यायाधीश,
दुर्ग [illegible]

सत्यप्रतिलिपि

प्रधान [illegible]
प्रति[illegible],
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)

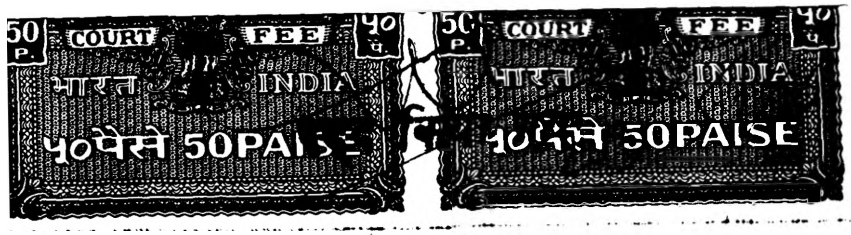

1-00

एस०आर०सी०/आर०सी० 1970/95

प्रतिलिपि श्री नर्मदाप्रसाद निकलकार कुमार -- को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है जिसके प्रकार निम्नलिखित है:

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई
2. ज्ञानप्रकाश मिश्रा उर्फ ज्ञानू आ० छोटकन,
   साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० शिवकुमार सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र केश सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टेपू आ० राजेन्द्र सिंह टेपू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०एच०बी० कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

2-००

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157
C. J.

Witness No. 36 for अभियोजन की ओर से Deposition taken

on 18-4-95 day of .... Witness's apparent age 40 वर्ष

States on affirmation my name is श्रीमती त्रिष्टला कुमार

son of श्री प्रमोद कुमार occupation गृहिणी

address सेक्टर-1, भिलाई.

मुख्यपरीक्षण :

1. सन् 91 में मैं भिलाई-टाईम्स में ऑफिस वर्क का काम करती थी । भिलाई टाईम्स का कार्यालय परदेशी चौक, रामनगर, कलारास होटल के पास में है । इसके प्रधान संपादक और मालिक डॉ0 देवादास थे । लगभग दो वर्ष पूर्व डॉ0 देवादास की मृत्यु हो चुकी है । मैंने भिलाई टाईम्स 93 में छोड़ा है । पी-126 में ऊपर जो सिम्प्लेक्स कास्टिंग इंजीनियरिंग वर्क्स लाईट इन्डस्ट्रीज एरिया, भिलाई (490026) लिखा है वह मेरे हाथ का लिखा हुआ है । इस पते से उस पेपर को डिस्पेच किया गया है । [illegible] है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सुरेन्द्रसिंह, अधि0 वास्ते अभि0 मूलचंद शाह, मनोज शाह.

2. हमारे कार्यालय में सब्स्क्राईबर्स रजिस्टर रहता था । हमारे कार्यालय में डिस्पेच रजिस्टर भी रहता है । डॉ0 देवादास ने मुझे एक लिस्ट दिया था और कहा था कि इसके अनुसार डिस्पेच रजिस्टर में नाम और पता लिख लीजिये । डिस्पेच रजिस्टर में मैंने 40-45 नाम लिख लिये थे । भिलाई टाईम्स के पेपर को वितरण करने के बाद मैं डिस्पेच रजिस्टर में इन्द्राज उल्लेख करती थी । उस पेपर को एक लेडीज प्यून पोस्टऑफिस ले जाती थी तथा उसके न रहने पर मैं भी ले जाती थी ।

3. पेपर छपने के बाद कुछ सारी कापियां हमारे कार्यालय में भी रह जाती थी । प्रदर्श पी-126 में लिखे पते को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि यह कौन सी तारीख को लिखा गया है । यह कहना गलत है कि सी0बी0आई0 वालों ने अक्टूबर 91 में यह पता मुझसे लिखवा लिया था ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि0 वास्ते अभि0 चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं । [signature]

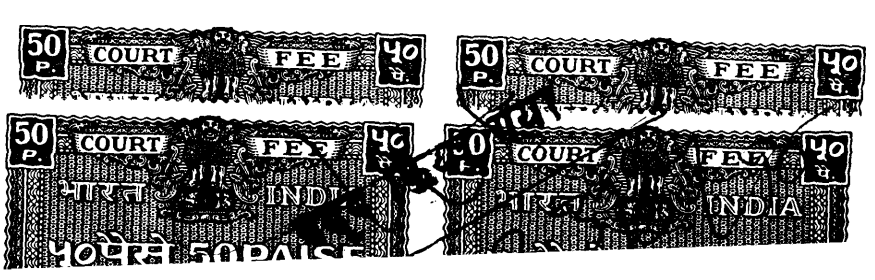

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री [illegible], अधि० वास्ते [illegible], [illegible],
[illegible], चंद्र [illegible] एवं [illegible].

5. [illegible] मैं नहीं जानती कि [illegible] देवादास [illegible] लिखते थे और [illegible] नहीं थे। देवादास [illegible] नहीं करते थे। [illegible] में देवादास [illegible] इंडस्ट्री शाह [illegible] था यह मुझे नहीं मालूम। यह कहना [illegible] है कि देवादास [illegible] लोगों से [illegible] इस प्रकार के [illegible] उन्हें [illegible] करते थे, यह बात मुझे नहीं मालूम। मैंने पेपरों में पढ़ा था कि [illegible] हत्याकांड को [illegible] देवादास ने [illegible] था। मुझे नहीं मालूम कि इस हत्याकांड में सी०एस०पी०, डी०आई०जी०, सिविल [illegible], दुर्ग के और एक उद्योगपति मुलजिम हैं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त [illegible].

6. कुछ नहीं।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया।	मेरे निर्देशन पर टंकित।
[signature]	[signature]
([illegible])	([illegible])
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,	द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)	दुर्ग (म०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि
23/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायालय
दुर्ग (म.प्र.)

23/5/95

एम०सी०आर०सी०नं०
1970/95

प्रतिलिपि बयान अभियोग -- को जो कि श्री
जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय
में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसका प्रकार निम्नलिखित है:

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

<u>विरुद्ध</u>

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरु नगर, भिलाई.
2. शा[illegible]काश मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
   साकिन- बा[illegible] आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश रा[illegible] आ० रामआशीष राय,
   साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभ्मी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
   साकिन- जी-36, एच०सी०सी० कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह टेप्पू आ० रावेल सिंह टेप्पू,
   साकिन- आर-37, एम०पी०ई०बी० हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

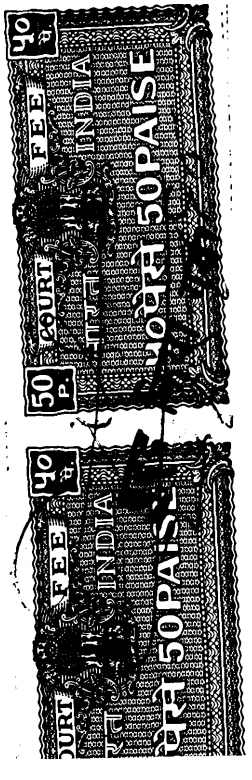

Witness No. 37 for अभियोजन की ओर से Deposition taken the .... day of .... Witness's apparent age 27 वर्ष

States on affirmation my name is आशीष घोष

son of श्री बी. सी. घोष occupation पत्रकारिता

address रिसाली सेक्टर, भिलाई.

शपथपूर्वक :-

1. मैं वर्तमान समय में अखबारों में लेख लिख रहा हूं और बीमा का भी काम करता हूं। सन् 91 में मैं भिलाई-टाईम्स में संपादक था। भिलाई-टाईम्स के मालिक और प्रधान संपादक डॉ० देवीदास थे। देवीदास की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु 93 में हुई है। उनकी मृत्यु के बाद भिलाई-टाईम्स बंद हो गई है।

2. प्रा-126 का पेपर सिम्प्लेक्स कास्टिंग कंपनी को भेजा गया है। p126

यह पेपर 30-4-91 का है। यह पेपर आमतौर पर अपने से दूसरे दिन रिलीज होता है। उस समय हमारे स्टॉफ में मेजर क्लिटन कुमार भी थी। पेपर पर पता किसके हाथ का लिखा हुआ है मैं नहीं बता सकता।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सुरेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० नूलचंद शाह, नवीन शाह.

3. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अवस्थी, अधि० वास्ते अभियुक्त चंद्रकांत शाह.

4. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अवधेश, अभय, ज्ञानप्रकाश, चंद्रलेखा एवं कादेव.

5. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पल्टन.

6. कुछ नहीं।

गवाह को पढ़कर सुनाया, समझाया गया।

सही होना पाया।

J. S. Rajput

(जे०के०एस०राजपूत)

द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (म०प्र०)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

J. S. Rajput

(जे०के०एस०राजपूत)

द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (म०प्र०)

50 P. COURT FEE 50 पै.

50 P. COURT FEE 50 पै.

सत्यप्रतिलिपि

1	...on	4-5-95
2		2-5-95
3		23-5-95
4		4-5-95
5		22-5-95
6		
7		23-5-95
8		23-5-95
9	Co...	23-5-95
10		23-5-95
11	C...	2...

23/5/95

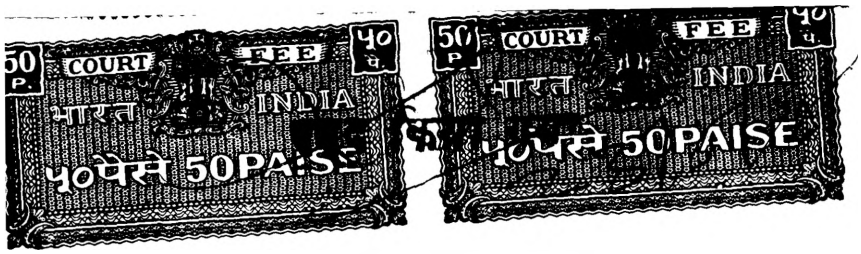

1-

[illegible]
1970/95

प्रतिलिपि [illegible] ---- को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि[illegible] गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.

2. शा[illegible] सि[illegible] उर्फ शानू आ0 छोटकन,
साकिन- [illegible] आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.

3. अवधेश र[illegible] आ0 रामआशीष राय,
साकिन- [illegible] - 79, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई

4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 शिवकुमार सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.

5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग

6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग

7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 भोलाई मल्लाह,
साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)

8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
साकिन- जी-36, ए0सी0सी0 कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.

9. बलदेव सिंह टीटू आ0 रावेल सिंह टीटू,
साकिन- आर-37, एम0पी0ई0बी0 हाउसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .... अभियुक्तगण

2-50

GRPH-152-71 B. 8-92

II-157
C. J.

Witness No. 96 for अभियोजन .... Deposition taken 17-8-92 day of .... Witness's apparent age 37 साल

States on affirmation my name is .... [illegible] .... son of .... [illegible] .... occupation चाय ठेला

address सेक्टर-[illegible], भिलाई .... [illegible]

शपथपूर्वक :-

1. मैं उड़ीसा का मूल निवासी हूं । मेरा अपने पिता से झगड़ा हो गया था, इसलिये मैं भाग कर भिलाई रोजी-रोटी कमाने के लिये आ गया । बिसारी होटल से०-9 उक्ति हॉस्पिटल सेक्टर में स्थित है । उस होटल में मैंने 4 वर्ष तक काम किया है । उसके बाद मैं फिर रिक्शा चलाया । रिक्शा चलाने के बाद नारायण नाम का दोस्त मिला तो चाय का धंधा शुरू किये । से०-9 हॉस्पिटल में चाय का ठेला लगाते थे । यह ठेला गेट के अंदर में था । पिछले 5 वर्षों से यह ठेला लगाते हैं । सन् 91 में भी चाय का ठेला लगाता था । चाय के साथ-साथ ब्रेड और बिस्कुट भी रखता था । चाय का ठेला रात को 7.00 बजे लगाकर सुबह 8.00 बजे बंद कर देता था ।

2. मेरा दोस्त नारायण भी चाय का ठेला लगाता था । मैं नियोगी जी का नाम सुना है, मैं सुना है कि उनकी हत्या हो गई है । [illegible] सुधार भी ठेला लगाता था, जो नारायण का लड़का है । नियोगी जी की हत्या की रात कुछ लोग मेरे ठेले पर चाय पीने आये थे । प्रदर्श पी-127 के फोटो के पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर हैं । पी-127 फोटो के पृष्ठ पर दिनांक 13-12-91 मेरे हाथ की लिखी हुई है । [illegible] में पुलिस वालों ने यह फोटो मुझे दिखाया था । जिस समय मैं दस्तखत किया उस समय फोटो नहीं था । साक्षी स्वतः कहता है कि मुझसे दस्तखत नायलोन के संबंध में कराया गया था ।

3. पुलिसवालों ने मेरा बयान लिया था, मुझसे पूछताछ की थी । उस रात मेरे ठेले पर कोई हट्टा-कट्टा आदमी सिगरेट पाने के लिये नहीं आया था ।

नोट :- साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही ।

केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई ।

[signature]

ए० के० एस० राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म० प्र०)

50 P. COURT FEE 50 पै. | 50 P. COURT FEE 50 पै.
50 P. COURT FEE 50 पै. | 50 P. COURT FEE 50 पै.

प्रति-परीक्षण द्वारा [illegible] अधि० वास्ते अभि० [illegible]

4. अर्जी पी-128 में [illegible] - - - - - - - अपने [illegible] पी-128 [illegible] किया है, [illegible] नहीं दिया है। [illegible] मैं [illegible] [illegible] था [illegible] में [illegible] फोटो देखी था।

5. मैं अनपढ़ हूं। मैं नहीं बता सकता कि लायसेंस के संबंध में दरख्वास्त फोटो के [illegible]। [illegible] लायसेंस [illegible] हूं। मैं म्युनिसिपल्टी में लायसेंस [illegible] कि लायसेंस मुझे मिलेगा। [illegible] मुझे लायसेंस नहीं मिला है। [illegible] ने मुझे लायसेंस के संबंध में [illegible] नहीं कहे।

6. लायसेंस म्युनिसिपल्टी से मिलता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

प्रश्नः- तुम म्युनिसिपल्टी क्यों गये थे, जब मालूम नहीं है कि लायसेंस म्युनिसिपल्टी में मिलता है?

उत्तर :- [illegible] लोगों ने कहा था कि कुछ पर्चा भरेगा और लायसेंस मिल जायेगा, इसलिये मैं म्युनिसिपल्टी गया था।

7. अदालत में उपस्थित अजयकुमारसिंह को देखकर साक्षी ने कहा कि मैं इसे नहीं जानता। मैंने अजयकुमारसिंह को देखा ही नहीं है, इसलिये यह कहना गलत है कि मैं उसके दबाव में झूठा बयान दे रहा हूं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री संघी, अधि० वास्ते अभि० [illegible] शाह, [illegible].

8. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

9. कुछ नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक पांडेय, अधि० वास्ते अभि० ज्ञानप्रकाश, अजय, अवधेश, चंद्रप्रकाश एवं बलदेव.

10. मैंने किसी व्यक्ति का फोटो नहीं पहचाना था। मुझसे कोरे कागज में 2-3 बार दस्तखत लिया गया था। आज का दस्तखत देखकर मैं यह कह सकता हूं कि ऐसा भी हुआ होगा कि कोरे कागज में फोटो रखकर उसके पास मेरे दस्तखत ले लिये गये हों।

[signature]

द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश

दुर्ग (म० प्र०)

गवाह नं0:- 38   पेज नं0:- 2

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि0 वास्ते अभियुक्त पवन.

11.   कुछ नहीं ।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया ।

Jmrl ymu

(के0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

Jmrl ymu

(के0के0एस0राजपूत)
द्वितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म0प्र0)

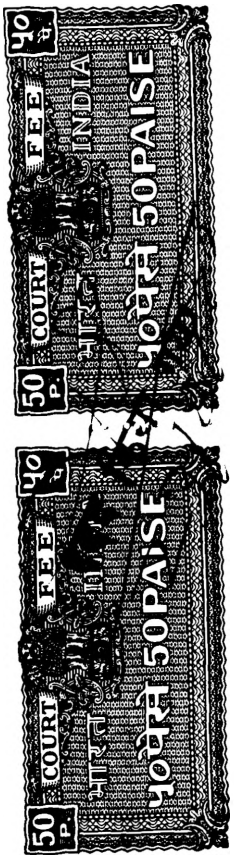

सत्यप्रतिलिपि
23/1/15

न्यायाधीश,
दुर्ग

1	on	4-5-95
2		2-5-95
3		23-5-95
4		4-5-95
5		22-5-95
6		
7		23-5-95
8		23-5-95
9		23-5-95
10		23-5-95
11		4-5-0

23/5/95

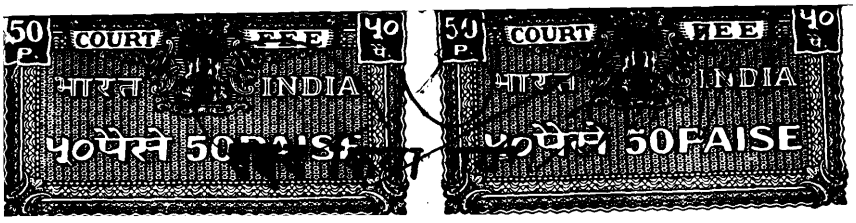

[illegible] 1970/95

प्रतिलिपि आवेदक [illegible] - - - को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ﴾म0प्र0﴿ के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है. जिसके प्रकार निम्नलिखित हैः

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शशिकान्त मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- [illegible] आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामाशीष राय,
   साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी. कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- निभही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया ﴾उ0प्र0﴿
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, एसी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह सैनी आ0 रावेल सिंह सैनी,
   साकिन- आर-37, एम0पी0एच0ऊ0सिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण.

GRPI-153-7Lakhs-8-92

II-157 / C. J.

Witness No. 40 for अभियोजन की ओर से Deposition taken on 19-4-95 day of ... Witness's apparent age 53 साल

States on affirmation my name is [illegible]

son of [illegible] occupation नौकरी

address [illegible] भोपाल

मुख्य परीक्षण :-

1. मैं प्रतापगढ़ उ०प्रदेश का मूल निवासी हूं । [illegible] कहाँ का रहने वाला है यह मुझे नहीं मालूम । मैं बी०एच०ई०एल० में [illegible] प्रोसेसिंग प्लांट में सीनियर ऑपरेटर हूं । मुझे लगभग 30 वर्ष बी०एच०ई०एल० में काम करते हुये हो गया है । मैं प्लाट नं०-7छ, क्वा०नं०-ई में रहता हूं, जो बी०एच०ई०एल० से मिला है । इस क्वार्टर में मैं 25 वर्षों से रहता हूं ।

2. मैं अभयसिंह को जानता हूं, वह अदालत में मौजूद है । अभयसिंह बी०एच०ई०एल० में काम करता है । अभयसिंह मेरे क्वार्टर के बाद में एक क्वार्टर छोड़ने के बाद दूसरे क्वार्टर में निवास करता है । मैं अभयसिंह के मकान का नंबर नहीं बता सकता । मेरे दो लड़के हैं, जिनका नाम सतीश कुमार और मनोज कुमार हैं । प्लाट नं०-6 में क्वार्टर नं०-एच० मेरे मकान के सामने दूसरी दिशा में पड़ता है । सन् 90-91 में क्वार्टर नं०-6एच० किसे अलाट हुआ मुझे नहीं मालूम । उस मकान में मैंने ताला लगा हुआ देखा था । मैंने किसी को ताला तोड़कर रहते हुये नहीं देखा । मैंने इस मकान में पल्टन को भी रहते हुये नहीं देखा है ।

3. इस मुकदमे के सिलसिले में मुझसे पुलिस और सी०बी०आई० वालों ने मुझसे पूछताछ किया था । अलग-अलग समय में यह पूछताछ दो बार की गई थी । सुनील को मैं जानता हूं, जो बहुत पहले क्वार्टर नं०-6एच० में रहता था । बाद में उस मकान में ताला लगा देखा । यह बात गलत है कि अभयसिंह ने इस मकान का ताला तोड़कर पल्टन को उस मकान में रखा था । साक्षी को अभियुक्त पल्टन को दिखाया गया, साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने उसे इस मकान में रहते हुये नहीं देखा है ।

नोट :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर

[signature]
अ० क० एस० राजपूत
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म० प्र०)

50 P. COURT FEE 50 पै. 50 P. COURT FEE 50 पै.

[illegible] कुर्क़ी पाटी। [illegible] हज़ूरी [illegible] कुर्क़ी की गई।

[illegible] प्रदर्श [illegible]-129 में [illegible] – – – – [illegible]-129 [illegible] नहीं [illegible] था। [illegible] – – – – – – [illegible] नहीं दिया था। [illegible] नहीं दिया था। [illegible] अमरसिंह [illegible] बयान नहीं दिया था।

5. प्रदर्श [illegible]-130 में मैंने [illegible] ज्ञानप्रकाश [illegible] – – – – – – [illegible] रहता था [illegible] बयान नहीं दिया था। [illegible] नहीं [illegible] बयान पुलिस को नहीं दिया था। [illegible]-130 में [illegible] – – – – – – [illegible] नहीं रखा था [illegible] बयान नहीं दिया था। [illegible]-130 में [illegible] – – – – – [illegible] नहीं दिया था। [illegible] अमरसिंह – – – – – – – – [illegible] घर [illegible] देखा [illegible] बयान नहीं दिया था। [illegible] -130 में [illegible] सियोगी – – – – – – – [illegible] में नहीं [illegible] बयान नहीं दिया था। [ना-130]

6. [illegible] सियोगी [illegible] नहीं [illegible] और [illegible] बताया कि सियोगी की [illegible] हत्या [illegible] मुझे नहीं मालूम कि सियोगी की की हत्या के सिलसिले में [illegible] अमरसिंह [illegible]। सियोगी की [illegible] हत्या होने के [illegible] बाद [illegible] अमरसिंह [illegible] है। [illegible] अमरसिंह [illegible] घर नहीं गया। [illegible] हत्या होने के बाद अमरसिंह [illegible] पर [illegible] हुई थी। [illegible] पुलिस अमरसिंह [illegible] में नहीं था। अमरसिंह से मैंने यह नहीं पूछा [illegible] यह [illegible] तुम्हारे ऊपर क्यों [illegible]। सियोगी की [illegible] हत्या के बाद मैंने अमरसिंह से पूछा कि कहाँ चले गये थे तो उसने कहा कि घर चला गया था। अमरसिंह का घर कहाँ है मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि अमरसिंह का मकान [illegible] नहीं हुआ है, जिसमें वह रहता है। [illegible] मैंने देखा है कि अमरसिंह उस मकान में [illegible] रहता था। मैंने अमरसिंह से यह नहीं पूछा कि पुलिसवालों ने [illegible] क्यों [illegible] दिया है।

[illegible]
[illegible] न्यायाधीश
[illegible] दुर्ग [illegible]

7. अभयसिंह अब भी उसी मकान में रहता है । मुझे इस मुकदमे में आने के लिये सम्मन मिला था । मैंने अभयसिंह को बताया था कि मेरे नाम से सम्मन आया है । मैं नहीं कहता कि मैं गवाह सरकारी हूँ । पुलिस ने मुझको पलटन का फोटो दिखाया था तो मैंने कहा था कि मैं इसको नहीं जानता । पुलिस वालों ने मेरा ब्यान क्यों लिख लिया ये पुलिस वाले जानें । मेरे ऊपर अभी भी थाने में कोई मुकदमा नहीं चला । मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चला, इसलिये थाने में मेरा और मेरे बाप का नाम नहीं लिखा है ।

प्र0:- थाने में आपका कोई नाम दर्ज नहीं है, पुलिस थाने या सी0बी0आई0 वाले आपको नहीं जानते थे, फिर वो तुम्हारे पास तुम्हारा ब्यान लिखने कैसे आये ?

उत्तर :- बतला क्या नहीं सकता ।

8. मैं सी0बी0आई0 वालों के पास खुद नहीं पहुंचा मुझे पुलिस उनके पास ले गई थी । मुझे इंस्पेक्टर ले गया था । इंस्पेक्टर कौन से थाने का था मुझे नहीं मालूम । इंस्पेक्टर वर्दी पहने था । वह इंस्पेक्टर सादगी में था ।

नोट :- गवाह सोचकर ब्यान दे रहा है ।

मुझे याद नहीं रहा, इसलिये मैंने ऊपर कहा कि इंस्पेक्टर कहाँ का था मुझे नहीं मालूम । इंस्पेक्टर किस दिन और किस तारीख को तथा कितने बजे मेरे पास आये थे मुझे नहीं मालूम । मौसम क्या था मुझे याद नहीं है । उस दिन मैं सुबह ड्यूटी करके वापस आ गया था । इंस्पेक्टर साहब से मैंने पूछा कहाँ चलना है तो उसने कहा कि सी0बी0आई0 वालों के पास चलना है । उस इंस्पेक्टर का नाम मुझे याद नहीं है । इंस्पेक्टर से मैंने पूछा कि क्यों चलना है तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मोहल्ले में [illegible] और अभयसिंह मोहल्ले का है । मेरे साथ कृष्णकुमार, अनील कुमार को भी ले गये थे ।

नोट :- श्री राजेन्द्रसिंह, अधि0 ने आपत्ति की है कि न्यायालय का समय समाप्त किये जाने के लिये अनावश्यक प्रश्न पूछा जा रहा है ।

आपत्ति निरस्त की गई ।

9. मुझे से0-4 में ले जाया गया था । हम तीनों से से0-4 में अलग-अलग पूछताछ की गई । मेरे साथ मारपीट नहीं की गई थी ।

J. w. Ryw.

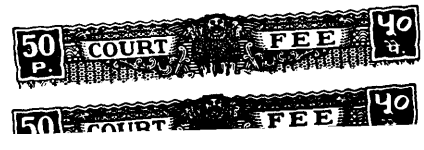

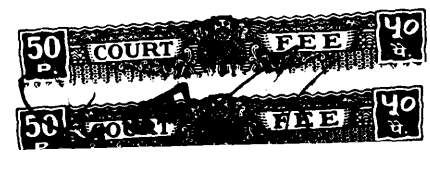

[illegible] पार्टी के [illegible] नहीं थी था कि [illegible]
है । [illegible] है [illegible] नहीं दिया है । मैं यह नहीं [illegible] कि
[illegible] बयान क्यों लिख लिया गया । [illegible] है कि मैं [illegible]
[illegible] हूँ [illegible] पर [illegible] झूठा बयान दे रहा
[illegible] झूठा बयान दे रहा हूँ ।
[illegible] । [illegible] है कि मैं [illegible]
मैंने [illegible] नहीं देखा है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री [illegible], अधि० वास्ते [illegible], [illegible]

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभि० [illegible]

11. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री [illegible], अधि० वास्ते अभि० [illegible], [illegible], [illegible] एवं [illegible]

12. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त [illegible]

13. कुछ नहीं ।

[illegible] ने पढ़कर सुनाया, समझाया गया । सही होना पाया ।

[signature]

([illegible])
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

[signature]

([illegible])
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
[signature] [illegible]
प्रधान प्रतिलिपि [illegible]
कार्या. जिला एवं सत्र न्याया[illegible]
दुर्ग (म.प्र.)

23-5-95 23-5-95 23-5-95 23-5-95 22-5 4-5 23-5 4-5

एमएलसी/50/95
1970/95

प्रतिलिपि अभियोजन प्रकरण -- की जो कि श्री के. के. सिंह राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है:

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. झा. कांत मिश्रा उर्फ झानू आ0 छो कन,
   साकिन- द्वारा आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई,
3. अवधेश रा आ0 रामआशीष राय,
   साकिन-मकान नं0- 75, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्प्लेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्प्लेक्स कालोनी, मानवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 नोलाई मल्लाह,
   साकिन- नैमझी थाना सूरपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, एस0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बलदेव सिंह यू आ0 रावेल सिं यू,
   साकिन- प्लॉट-37, एम0पी0ई0बी0 ऑफिस कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. .....अभियुक्तगण

2-50

[illegible] 53-7L [illegible] -8-92

II-157
C. J.

Witness No. 41 for अभियोजन की ओर से Deposition taken 19-4-95 day of [illegible] Witness's apparent age 24 वर्ष

states on affirmation my name is [illegible] कुमार

son of [illegible] occupation पढ़ाई

address [illegible]-4, भिलाई

शपथपूर्वक :-

1. मैं कलकत्ता से इंजीनियरिंग स्कूल आफ [illegible] का कोर्स कर रहा हूं। मैं [illegible]-1, 7[illegible] में रहता हूं। मैं सन् 91 में [illegible] पॉलीटेक्निक, [illegible] से डिप्लोमा कर रहा था।

2. मैं अभयसिंह को जानता हूं, जो आज अदालत में मौजूद है। मैं अवधेश को नहीं जानता। मैं ज्ञानप्रकाश मिश्रा को भी नहीं जानता। अभियुक्त रवि [illegible] मकान का फोटो साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने इस फोटो को नहीं देखा है। मेरे घर के सामने क्वार्टर नं-[illegible] है। उस क्वार्टर में पहले [illegible] रहता था, बाद में उसमें ताला लगा हुआ था। मैंने ताला तोड़कर या खोलकर किसी को उस क्वार्टर में रहते हुये किसी को नहीं देखा। मैंने अभियुक्त [illegible] को उस क्वार्टर में रहते हुये नहीं देखा, जिसका मुझे फोटो दिखाया गया है।

नोट :- श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक ने साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से प्रति-परीक्षण की अनुमति चाही।
केस डायरी कथन देखा, अनुमति दी गई।

3. प्रति-परीक्षण द्वारा श्री सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक वास्ते शासन.

इस मुकदमे के सिलसिले में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। प्रदर्श पी-13। पी-13। में मैंने पुलिस को अ से अ, मेरे घर के सामने - - - - यह फोटो रवि की है का बयान नहीं दिया था। मैंने ब से ब वह मकान जहां रवि - - - - - - अभयसिंह ने उसे यह मकान दिलवाया था का बयान नहीं दिया है। मैंने स से स दो-तीन दिन की - - - - आते रहते थे/ -5- - - नहीं होता था, का बयान नहीं दिया था। मैंने द से द का बयान रवि के पास - - - फरार है का बयान नहीं दिया था।

4. पुलिस वालों ने से0-6 में मुझसे पूछताछ किया था। थाने में पूछताछ की थी।

[illegible]

[illegible] थाने में तिवारी जी और [illegible] मुझसे [illegible] पूछताछ कर रहे थे । तिवारी टी [illegible] थे । मैं घर में पढ़ रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने दरवाजा खोला तो तिवारी [illegible] थे, वे मुझे थाने ले गये । मैं तिवारी जी को पहले से नहीं जानता था [illegible] बम विस्फोट [illegible] में [illegible] हुआ था । [illegible] दिन में 12.00 [illegible] बज रहा है । मुझसे 10-15 मिनट तक पूछताछ [illegible] । मुझसे कोई कोरे-कागजात पर हस्ताक्षर नहीं [illegible] । मुझसे पूछने के बाद मुझे [illegible] था घर में [illegible] गया ।

5. मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं जानता तो भी वे मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गये । जो बयान प्रदर्श डी-13 है, मैंने पुलिस वालों से नहीं कहा था कि ऐसा ही बयान देना । मेरे पिताजी उस दिन क्वार्टर में थे मेरे साथ नहीं गये थे । 10-15 मिनट के पूछताछ के बाद मैं घर वापस आ गया । जब मैं घर आया तो मेरे पिताजी मुझे देखने के लिये निकल गये थे । मेरे पिताजी से मेरी भेंट आधे घंटे बाद हुई । उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे देखने गये थे । मैंने अपने पिताजी को बताया था कि मुझे थाने ले गये थे और मुझसे पूछताछ की था ।

6. नियोगी जी की हत्या 92 में हुई था । साक्षी ने अब कहा कि नियोगी जी की हत्या सन् 91 में हुई है । अभयसिंह 7वीं क्वार्टर में रहता था । नियोगी जी की हत्या के पहले अभयसिंह कभी-कभी मुझे रास्ते में दिखता था । नियोगी जी की हत्या के बाद 4-5 दिन तक मुझे अभयसिंह उस मोहल्ले में दिखाई दिया । उसके बाद मैंने अभयसिंह को मोहल्ले में नहीं देखा । जमानत पर छूटने के बाद मैंने अभयसिंह को देखा । मैंने पेपर में पढ़ा था कि अभयसिंह भी इस मुकदमे में अभियुक्त है । अभयसिंह को मैंने कभी भी यह नहीं बताया कि मेरा बयान भी इस मामले में पुलिस ने लिया है, क्योंकि वह मुझसे उम्र में काफी बड़ा है । मेरे पिताजी का बयान पुलिस वालों ने लिया, लेकिन बयान की तिथि नहीं मालूम । जिस दिन मुझे पुलिस वाले ले गये उस दिन पिताजी घर पर थे । मुझे मेरे पिता [illegible] वापस आये तो वे घर पर ही रहे ।

7. मुझे न्यायालय का समंस मिला है । मैंने समंस देने वाले व्यक्ति को यह नहीं कहा कि मुझे क्यों समंस दे रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता । मेरे पिता भी इस मामले में गवाह हैं । मैंने या मेरे पिताजी ने किसी अधिकारी को कभी कोई आवेदन नहीं दिया कि हम लोगों को क्यों गवाह बनाया जा रहा है ।

[illegible]
विशेष अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म० प्र०)

जब मुझे और मेरे पिताजी को समंस मिला तो राय करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो देते थे वह तो हमें मालूम ही था । मैं इस अदालत में उपस्थित हुआ था और मेरी गवाही नहीं हुई थी । मैंने [illegible] ने यह दिलचस्पी नहीं दिया कि मैं कुछ नहीं जानता । यह बात [illegible] है कि मैं [illegible] को बचाने के लिये [illegible] झूठी गवाही दे रहा हूं, क्योंकि वह मेरा भतीजा है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० फूलचंद शाह, नवीन शाह.

8. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री त्रिवेदी, अधि० वास्ते अभि० चंद्रकांत शाह.

9. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री अशोक यादव, अधि० वास्ते अभि० अभय, जयदेव, ज्ञानप्रकाश, चंद्रप्रकाश एवं कुलदेव.

10. कुछ नहीं ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री तिवारी, अधि० वास्ते अभियुक्त पाटील.

11. कुछ नहीं ।

बयान को पढ़कर सुनाया, समझाया गया ।

सही होना पाया । मेरे निर्देशन पर टंकित ।

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

(के०के०एस०राजपूत) (के०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०) दुर्ग (म०प्र०)

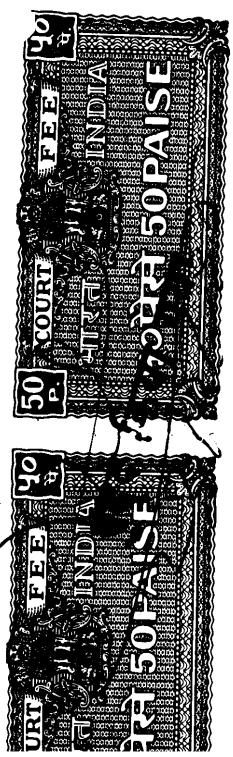

सत्यप्रतिलिपि
23/5/95
प्रमाण [illegible]
[illegible] न्यायाधीश,
[illegible]

1 4-5·95

2 8-5·95

3 23-5·95

4 4-5·95

5 22-5·95

6

7 23-5·95

8 23-5·95

9 23-5·95

10 23·5·95

4·50

23/5/95

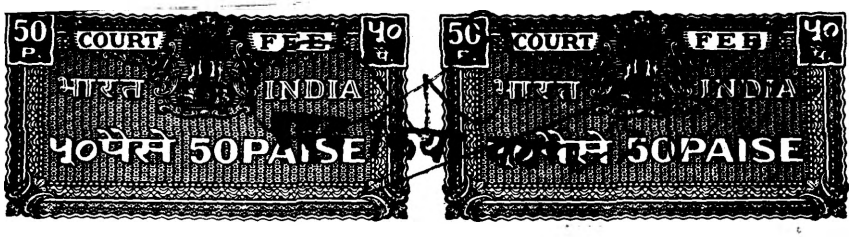

स्व0प्र0तो0प्र0नं0
1970/95

प्रतिलिपि ------ को जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म0प्र0) के न्यायालय में सत्र प्र0क्र0 233/92 अभिलिखित कि गया है, जिसके प्रकार निम्नलिखित है.

म0प्र0शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी0बी0आई0 न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शान्तिलाल मिश्रा उर्फ शानू आ0 छोटकन,
   साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ0 रामआशीष राय,
   साकिन-क्वा0नं0- 7ए, रोड नं0-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ0 विक्रमा सिंह,
   साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ0 रामजी भाई शाह,
   साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी0ई0रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ0 भोलाई मल्लाह,
   साकिन- निमही थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ0प्र0)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ0 भारत सिंह,
   साकिन-जी-36, ए0सी0सी0कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेठू आ0 रावेल सिंह सेठू,
   साकिन- आर-37, एम0पी0हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
   इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई. ....अभियुक्तगण

RPI-153-7Lakhs-8-92

H-157
C. J.

Witness No. ....42.......... for ...[illegible]..........Deposition taken the ....20-4-95... day of .... Witness apparent age ....42 वर्ष..

States on affirmation my name is ....[illegible].......

son of ....श्री [illegible]........................ occupation ..[illegible] मशीन

address ..[illegible]..,.....[illegible]..........

[illegible] :-

1. मैं बी०एच०ई०एल० में सन् 86 से क्रेन ऑपरेटर हूँ । मुझे बी०एच०ई०एल० से क्वा०नं०-7 [illegible] अलाट हुआ है । मैं उस मकान में 87 से रह रहा हूँ । मैं अभियुक्त अजयकुमारसिंह को जानता हूँ । अजयकुमारसिंह आज अदालत में मौजूद है, जो बी० एच०ई०एल० में क्रेन ऑपरेटर का काम करता है । यदि मेरे मकान के सामने खड़ा रहा जाये तो अभियुक्त अजयसिंह का मकान दाहिनी ओर पड़ता है, जो मेरे क्वार्टर से 3 क्वार्टर छोड़कर चौथा क्वार्टर है । [illegible] मिश्रा को मैं नहीं जानता ।

2. मुझे यह पता है कि सितम्बर 91 में नियोगी जी की हत्या हो गई है नियोगी जी की हत्या के पहले मैंने क्वार्टर नं०-6 [illegible] में पल्टन मल्लाह को रहते हुये देखा था । मैं पल्टन मल्लाह को पहचानता हूँ, जो आज अदालत में मौजूद है । नियोगी जी की हत्या के लगभग एक माह पूर्व ही पल्टन मल्लाह को मैंने उस मकान में रहते देखा था । पल्टन मल्लाह का लाल वाला स्कूटर मैंने देखा था । स्कूटर और मोटरसायकिल में फर्क समझता हूँ, [illegible] कि पल्टन के पास मोटरसायकिल है । मैंने [illegible] एक-दो बार पल्टन मल्लाह को क्वार्टर नं०-6 [illegible] में देखा था । पल्टन मल्लाह के मकान में मैंने किसी अन्य व्यक्ति को आते-जाते नहीं देखा है ।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह, अधि० वास्ते अभि० [illegible], नवीन शाह.

3. पुलिस एक बार जब मैं ड्यूटी जा रहा था तब उन्होंने मेरा नाम, विभाग और टेलीफोन नंबर पूछा था, इसके अलावा और कोई पूछताछ नहीं की थी । इसके बाद से पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया । मैं पल्टन मल्लाह का नाम नहीं जानता था । पेपर में पल्टन मल्लाह का नाम पढ़ा था, इसलिये मैं पल्टन मल्लाह का नाम जानता हूँ । पुलिस ने दो-चार व्यक्तियों के साथ पल्टन मल्लाह को मिलाकर मुझसे शिनाख्त नहीं करवाई थी ।

K.S. [illegible]
[illegible] राजपूत
[illegible] न्यायाधीश
[illegible]

50 P. COURT FEE ५० पै.

50 P. COURT FEE ५०

मैं [illegible] –ही [illegible] [illegible] समय देता था। रात [illegible]

[illegible] देता था। उसी डी-15 में मैं पुलिस के/की रात में आना-जाना रहता था, डी-15

[illegible] पूछताछ रहता था [illegible] नहीं देखा था। मेरा [illegible]

[illegible] नहीं [illegible]

[illegible]

[illegible] मेरा [illegible] क्वार्टर नं-6 [illegible] है, [illegible]

[illegible] था।

5. मुझे [illegible] पार्टी ने [illegible] फोटो दिखाया था और [illegible] था [illegible] पहचानना है। [illegible] पार्टी ने मुझे 4-5 फोटो दिखाया था, [illegible] यह नहीं [illegible] था कि [illegible] फोटो है। मैं पुलिस [illegible] में [illegible] फोटो [illegible] – – – – [illegible] नहीं [illegible] था। सच्चाई यह है कि मुझे पुलिस ने कोई फोटो बताया ही नहीं था।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री [illegible]वाल, अधि० वास्ते अधि० [illegible]

6. मुझे नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री [illegible], [illegible] वास्ते अधि० [illegible], [illegible],
[illegible], [illegible]

7. मुझे नहीं।

प्रति-परीक्षण द्वारा श्री शिवहरे, अधि० वास्ते अधि० [illegible]

8. मैं [illegible] और [illegible] को जानता हूँ, जो मेरे पड़ोसी हैं। [illegible] मेरे क्वार्टर [illegible] क्वार्टर के बाजू में क्वार्टर नं-7 [illegible] में रहता है। [illegible] था [illegible] से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। सन् 90 में क्वार्टर नं-6 [illegible] में [illegible] की रहते थे, जो धंधा-पानी [illegible] है, [illegible] मुझे नहीं मालूम। सन् 90 में [illegible] क्वार्टर नं-6 [illegible] में [illegible] रहते थे। [illegible] बी०एस०पी० कर्मचारी नहीं था। मेरा क्वार्टर और क्वार्टर नं-6 [illegible] बी०एस०पी० का क्वार्टर है। मैं [illegible] से यह नहीं पूछा कि [illegible] एस०पी० [illegible] कर्मचारी नहीं हो, फिर इस मकान में कैसे रहते हो। मैं सन् 87 से [illegible] क्वार्टर 7 [illegible] में रहता हूँ। [illegible] क्या धंधा

[illegible]
द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश
दुर्ग (म० प्र०)

[illegible] हुये [illegible] प्राप्त की ।

9. [illegible] ड्यूटी [illegible]

[illegible] ड्यूटी

[illegible] ड्यूटी ऑफिसर 2 [illegible]

[illegible] ड्यूटी [illegible] 10.00 [illegible] 6.00 [illegible]

[illegible] रहती है । [illegible] हुआ [illegible] और [illegible]

की याद नहीं है । [illegible] हुआ [illegible] ड्यूटी [illegible]

[illegible] थी या हुई याद नहीं है । [illegible] हत्या [illegible]

[illegible] को [illegible] आर्टिकल नं०-[illegible] में देखा था । आर्टिकल नं०-

6 [illegible] के समान आर्टिकल नं०-6 [illegible] सामने है । [illegible] के

[illegible] आर्टिकल नं०-6 [illegible] दिखाई देता था । [illegible] में आर्टिकल नं०-6

[illegible] नहीं हुआ था । [illegible] में आर्टिकल नं०-6 [illegible] में

[illegible] नहीं [illegible] था, [illegible] था ।

10. [illegible] आर्टिकल नं०-6 [illegible]

में नहीं [illegible] था । [illegible]

आर्टिकल नं०-6 [illegible] में [illegible] देख रहा हूँ । मैं [illegible]

का [illegible] नहीं हूँ । मैं [illegible] हूँ । मैं [illegible]

भी नहीं हूँ ।

बयान को पढ़कर सुनाया, तस्दीक किया ।

सही [illegible] पाया ।
(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

मेरे निर्देश पर टंकित ।
(जे०के०एस०राजपूत)
द्वितीय अति० सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म०प्र०)

सत्यप्रतिलिपि
23/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि [illegible]
कार्या. जिला [illegible]
दुर्ग (म.प्र.)

... received 20... 4-5-95

2 ... 24-5/95

23-5-95

4-5-95

22-5-95

23-5-95

8 ... 23-5-95

9 ... 23-5-95

10 ... 23-5-95

11 ... 4-5-95